



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 4

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.3	4
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	11
लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा	1.5	15
कुल देनदारियाँ	1.6	16
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2020-21 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	18
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	29
संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	30
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	30
राजस्व व्यय	2.4.1	32
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	34
पूँजीगत व्यय	2.4.3	39
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	41
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2.4.6	44
लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय	2.4.7	45
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता	2.4.8	46
व्यय की प्राथमिकता	2.4.9	46
वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय	2.4.10	47
लोक लेखा	2.5	48
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	48

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	49
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	51
लोक दायित्व प्रबंधन	2.5.4	54
ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान	2.6	57
राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता	2.6.1	59
उधार निधि की उपयोगिता	2.6.2	63
प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)	2.6.3	64
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	64
निष्कर्ष	2.8	67
अनुशंसाएँ	2.9	68
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजटीय प्रक्रिया	3.1	69
विनियोग लेखे	3.2	73
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	80
व्यय का वेग	3.4	83
अनुदान संख्या 01-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	84
अनुदान संख्या 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.6	95
निष्कर्ष	3.7	102
अनुशंसाएँ	3.8	102
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
गैर-बजट उधार	4.1	103
राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि	4.2	103
स्थानीय निकाय निधि जमा	4.3	105
उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.4	105
अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	4.5	107
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	109
डीसी विपत्रों का अप्रस्तुतिकरण	4.7	111
डीसी विपत्रों का विलंब से प्रस्तुतिकरण	4.8	113
वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों का आहरण	4.9	114
स्थानीय निधियों की जमा	4.10	114
व्यक्तिगत जमा खाता	4.11	116
लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.12	116

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
जमा, प्रेषण, उचंत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.13	117
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	4.14	118
नकद शेष का समाशोधन	4.15	119
लेखा मानकों का अनुपालन	4.16	120
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.17	120
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.18	122
दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि	4.19	123
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.20	123
निष्कर्ष	4.21	124
अनुशंसाएँ	4.22	124
अध्याय 5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		
परिचय	5.1	125
अधिदेश	5.2	125
इस अध्याय में क्या शामिल है	5.3	126
एसपीएसई और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में उनका योगदान	5.4	126
एसपीएसई में निवेश और बजटीय सहायता	5.5	127
एसपीएसई से प्रतिफल	5.6	128
ऋण भुगतान	5.7	130
एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन	5.8	131
एसपीएसई जिसे घाटा हो रहा है	5.9	134
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.10	137
सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11	137
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खाते प्रस्तुत करना	5.12	137
सीएजी का निरीक्षण-खातों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	139
सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.14	140
निष्कर्ष	5.15	140
अनुशंसाएँ	5.16	141

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	143
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	144
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	144
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2022-23 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	145
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	148
परिशिष्ट 2.3	31.03.2023 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	152
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	153
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक पुनर्विनियोग	155
परिशिष्ट 3.3	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	156
परिशिष्ट 3.4	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)	158
परिशिष्ट 3.5	मार्च 2023 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि	159
परिशिष्ट 3.6	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	161
परिशिष्ट 3.7	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	162
परिशिष्ट 3.8	व्यय का वेग	169
परिशिष्ट 3.9	परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	170
परिशिष्ट 3.10	सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण	171
परिशिष्ट 3.11	नमूना जाँच जिलों में सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण	172
परिशिष्ट 3.12	वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण	173
परिशिष्ट 3.13	व्यय का वेग	174
परिशिष्ट 3.14	बैंक खातों में जमा राशि	176
परिशिष्ट 3.15	लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना	178
परिशिष्ट 3.16	अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	180
परिशिष्ट 3.17	व्यय का वेग	181

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.18	निधि का अनुपयोग	182
परिशिष्ट 3.19	शौचालय निर्माण का लक्ष्य तथा उपलब्धि	184
परिशिष्ट 4.1	डी. सी. विपत्र का अप्रस्तुतिकरण	185
परिशिष्ट 4.2	डी. सी. विपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब	187
परिशिष्ट 4.3	चालान/चेक के माध्यम से निधि का प्रेषण	190
परिशिष्ट 4.4	वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्र का आहरण	191
परिशिष्ट 4.5	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	194
परिशिष्ट 5.1	सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची, जिनके पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में से किसी एक के खाते 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए हैं	197
परिशिष्ट 5.2	कार्यात्मक पीएसयू जिनके खातों में तीन वर्ष से अधिक का बकाया है/पहले खाते प्राप्त नहीं हुए हैं/देय नहीं हैं	198
परिशिष्ट 5.3	राज्य सरकार के निवेश का निवल वर्तमान मूल्य	199
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द		200

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

अध्याय - 1 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/ घाटा, राजकोषीय आधिक्य/ घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ को समाहित करता है।

अध्याय - 2 एवं 3 क्रमशः राज्य सरकार के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्त एवं विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के उपरांत प्राप्त लेखापरीक्षा परिणाम को समाहित करता है। आवश्यकतानुसार झारखण्ड सरकार से जानकारीयाँ प्राप्त की गयी हैं।

अध्याय - 4 लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार पर अवलोकन प्रस्तुत करता है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन, कार्यप्रणाली और निर्देशों की स्थिति को दर्शाता है।

अध्याय - 5 सरकारी कंपनियों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन का सार प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबन्धित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन एवं खातों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के आशुचित्र के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट उद्देश्यों के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (मौजूदा कीमतों पर) 6.53 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 2018-19 में ₹ 3,05,695 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,93,722 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 11.30 प्रतिशत की सीएजीआर से 2018-19 में ₹ 86,153.82 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,17,617.72 करोड़ हो गया।

2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. में वृद्धि 9.71 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियाँ 15.09 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और स.रा.घ.उ. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021-22 में 19.43 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 20.38 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 15.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 17.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। झारखण्ड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) पिछले वर्ष से 15.34 प्रतिशत बढ़कर ₹ 73,617.80 करोड़ से ₹ 84,908.36 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 6.22 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2021-22 की तुलना में 95.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए राजस्व अधिशेष ₹ 6,943.94 करोड़ से बढ़कर ₹ 13,563.59 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹ 2,604.21 करोड़ से 77.28 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,616.73 करोड़ हो गया।

प्राप्तियाँ एवं व्यय

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं हस्तांतरण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते के व्यय के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) भी शामिल है।

2018-19 से 2022-23 तक राजस्व प्राप्तियाँ 9.34 प्रतिशत सीएजीआर के साथ ₹ 56,152 करोड़ से बढ़कर ₹ 80,245 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 7,850 करोड़ से बढ़कर ₹ 9,189 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार के सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 16.45 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 13.58 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,871.79 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्वों के भुगतान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 50,631 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 16.56 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 66,681 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 16.94 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (79 से 85 प्रतिशत) था, जो 7.13 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा।

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा/अधिशेष होता है। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2018-19 में ₹ 5,521 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.81 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 13,564 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 3.44 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने केवल पूँजीगत मद में ₹ 14,016 करोड़ खर्च किये। यह साल 2022-23 में कुल खर्च का 17 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में पूँजीगत व्यय में ₹ 4,639 करोड़ की वृद्धि के कारण 2022-23 में पूँजीगत व्यय से स.रा.घ.उ. अनुपात 3.56 प्रतिशत था, जबकि राज्य के कुल बजट (₹ 1,17,618 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 11.92 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 6,629 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 2.17 प्रतिशत) से घटकर 2022-23 में ₹ 4,617 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.17 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। प्रतिबद्ध व्यय संसाधनों पर पहले भारित होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 2018-19 (45 प्रतिशत) और 2022-2023 (43 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 43-45 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 5.94 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा यानि 2018-19 में ₹ 22,981 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 28,944 करोड़ हो गया {2021-22 (₹ 27,879 करोड़) से 3.82 प्रतिशत की वृद्धि}।

2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के साथ अनम्य व्यय राजस्व व्यय में 12 से 15 प्रतिशत के बीच दोलित रहा। अनम्य व्यय 2021-22 में ₹ 7,910 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 8,000 करोड़ हो गया और इसमें 1.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, अनम्य व्यय ₹ 6,472 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,000 करोड़ हो गया।

2022-23 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय एक साथ ₹ 36,944 करोड़ था जो राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूँजी निर्माण के लिए कम लचीलापन छोड़ती है।

सब्सिडी पर व्यय

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की राशि 2018-19 में ₹ 2,092 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 5,653 करोड़ हो गई जो 2022-23 में घटकर ₹ 4,087 करोड़ रह गई। 2018-19 में सब्सिडी कुल राजस्व व्यय का 4.13 प्रतिशत और 2022-23 में 6.13 प्रतिशत थी। 2022-23 के दौरान फसल कृषि-कर्म पर सब्सिडी कुल सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (31 प्रतिशत) थी।

आकस्मिक देयातायें

2022-23 में सरकार ने ₹ 4,998.38 करोड़ की उधारी के विरुद्ध गारंटी प्रदान की। वर्ष के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लेने की सूचना जारी की थी। राज्य की ऋण स्थिरता का आकलन करते समय ओपीएस के कार्यान्वयन के कारण आसन्न वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राजकोषीय धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता की जाँच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, ऑफ-बजट उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय की तुलना का सवाल है, इसमें एक महत्वपूर्ण बाधा प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र

प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, रक्षित निधि में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों को स्थानांतरण इत्यादि भी शामिल हैं।

एफआरबीएम की आवश्यकताएँ एवं राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ऋण एवं देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के प्रतिशत के रूप में और पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी शामिल हैं। 2022-23 में, राज्य का राजस्व अधिशेष 3.44 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 3.50 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 1.17 प्रतिशत और ऋण 33.15 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 30.08 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, झारखण्ड सरकार का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के बीच बकाया लोक ऋण 4.04 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। झारखण्ड का लोक ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात 2018-19 में 19.88 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 21.57 प्रतिशत हो गया, जो उधार पर निर्भर हुए बिना ऋण दायित्वों को पूरा करने में चुनौतियों का संकेत देता है।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, जबकि डोमार अंतर ने इस अवधि के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई। 2019-20 और 2020-21 के दौरान, प्राथमिक घाटे के साथ डोमार अंतर नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक प्रगति का संकेत था। 2021-22 और 2022-23 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार अंतर सकारात्मक था जो लोक बचत के लिए स्थिर आर्थिक स्थितियों का संकेत देता है। 2021-22 के दौरान, 2020-21 (कोविड वर्ष) के निम्न आधार के कारण वास्तविक आर्थिक प्रगति उच्चतम (10.87 प्रतिशत) थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार अंतर (9.62 प्रतिशत) था।

बजट प्रदर्शन

समग्र व्यय परिणाम

बजटीय इरादे और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जाँच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अधिशेष और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान (बीई) की तुलना में परिणाम में विचलन (-)10.82 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत तक, 16 अनुदानों में (-) 25 प्रतिशत और (-) 50 प्रतिशत के बीच; और दो अनुदानों में (-) 50 प्रतिशत और (-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, बीई की तुलना में आउटपुट में विचलन 0.55 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में (-) 25 प्रतिशत तक, 14 अनुदानों में (-) 25 प्रतिशत और (-) 50 प्रतिशत के बीच; और आठ अनुदानों में (-) 50 प्रतिशत और (-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के

कारण था। पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट प्रदर्शन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह माप अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व अनुभाग में, संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में आउटपुट में विचलन (-) 22.08 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत तक, 17 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत और (±) 50 प्रतिशत के बीच और पांच अनुदानों में (±) 50 प्रतिशत और (±) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, आरई की तुलना में आउटपुट में विचलन (-) 17.68 प्रतिशत था। यह 18 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत तक, 10 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत और (±) 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (±) 50 प्रतिशत और (±) 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 43 मामलों में ₹ 6,221.83 करोड़ के पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया था।

यह देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे पूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं हुआ था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रक्रिया की आवश्यकता है।

लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन वस्तुओं, लेनदेन और घटनाओं को शामिल करती है जो अनुपालन में अंतर, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन रिकॉर्ड या समायोजन रिकॉर्ड की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह खातों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है जैसे कि सरकारी खातों के बाहर धन की पार्किंग, देनदारियों का गैर या कम भुगतान और लेनदेन और डेटा अंतर का गलत वर्गीकरण।

अनुदान/विनियोजन से अधिक का नियमितीकरण

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोजन पर अधिकता का नियमितीकरण प्राप्त करना होता है। यह देखा गया कि 2022-23 में, एक विनियोग के तहत ₹ 15.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा,

वित्त वर्ष 2001-02 से 2021-22 से संबंधित ₹ 3,762.49 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी नियमित किया जाना है।

समाशोधन

झारखण्ड कोषागार नियमों के अनुसार, सभी विभागों को अपने व्यय और प्राप्तियों का मिलान महालेखाकार कार्यालय में खातों में दर्ज व्यय एवं प्राप्तियों के साथ करना आवश्यक है। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने कुल व्यय का 96 प्रतिशत और कुल प्राप्तियों का 99 प्रतिशत का समाशोधन किया।

आईजीएस का अनुपालन

भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आईजीएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन किया।

पीडी खातों का संचालन

झारखण्ड में भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि जमा करने के लिए 24 पीडी खातों का संचालन किया गया। ये सभी खाते चालू हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,018.13 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹ 850.24 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन पीडी खातों के कुल जमा में से, वर्ष के दौरान ₹ 499.58 करोड़ वितरित किए गए, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,368.79 करोड़ शेष रहा।

एकल नोडल एजेंसी को धनराशि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। राज्य सरकार को अपने ट्रेजरी खातों में 2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,617.25 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से में से ₹ 6,917.88 करोड़ और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 6,978.52 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिए। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। सीजीए/एसएनए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 8,089.63 करोड़ अव्ययित पड़े थे।

सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र

निर्धारित समय अवधि के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,16,153.09 करोड़ के 43,469 उ.प्र.प. लंबित थे।

एसी विपत्र के विरुद्ध डीसी विपत्र

इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से निकाले गए अग्रिम धन के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 6,114.71 करोड़ के 18,215 एसी विपत्र के विरुद्ध डीसी विपत्र लंबित थे।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन, विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध यूसी का समय पर जमा न करना, एसी विपत्र के विरुद्ध डीसी विपत्र जमा न करना, आईजीएस-3 का अनुपालन न करना, सरकारी खातों से बाहर शेष धनराशि, और एसएनए से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत झारखण्ड में 32 एसपीएसई (तीन गैर-कार्यशील सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी सहित) थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 एसपीएसई, जिनके 107 खाते बकाया थे, द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था। 11 कार्यरत एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 53.57 करोड़ के कुल लाभ में 77.26 प्रतिशत का योगदान केवल दो एसपीएसई द्वारा किया गया था। नवीनतम प्राप्त अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार, तीन कार्यरत एसपीएसई द्वारा ₹ 2,597.72 करोड़ का नुकसान हुआ।

राज्य सरकार अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एसपीएसई के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है। अंतिम खातों के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार घाटे में चल रहे एसपीएसई में घाटे के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

अध्याय-1

अवलोकन

अध्याय 1

अवलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 29.76 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है तथा राज्य में 24 जिले हैं।

झारखण्ड विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। वृहत खनिज संसाधन कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है। 2022-23 तक राज्य में वृहत खनिजों के 121 खदानें, लघु खनिजों के 589 खदानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या अंतिम 10 वर्षों में 15.84 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2013 में 3.41 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2023 में 3.95 करोड़ हो गई। राज्य का जनसंख्या घनत्व 495.08 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था जो राष्ट्रीय औसत 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.40 प्रतिशत थी।

1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समयसीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दर्शाती है।

उपलब्ध नई श्रृंखला के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के स.रा.घ.उ. आँकड़ों में बदलाव हुआ। तदनुसार, विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित प्रासंगिक वर्षों के लिए प्रासंगिक तालिकाओं में प्रतिशत/अनुपात में बदलाव आया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए देश की स.घ.उ. की तुलना में झारखण्ड की स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि और स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि के रूझान **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में रुझान
(चालू मूल्य पर)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
जी.वी.ए.	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.59	6.37	-1.36	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में जी.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.77	7.02	-1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
झारखण्ड					
स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
जी.एस.वी.ए.	2,78,824	2,83,196	2,75,196	3,33,216	3,66,147
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.30	1.51	-4.40	20.97	9.71
पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.03	1.57	-2.82	21.08	9.88
प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ में)	82,220	82,276	77,561	92,581	1,00,288


स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,93,722 करोड़ था और मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में स.घ.उ. ₹ 2,72,40,712 करोड़ थी। इसके अलावे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ₹ 1,00,288 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति स.घ.उ. ₹ 1,96,983 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. में वृद्धि (8.32 प्रतिशत) उसी वर्ष के दौरान देश की प्रति व्यक्ति स.घ.उ. में वृद्धि (14.86 प्रतिशत) के साथ तालमेल नहीं रख सकी। जैसा कि तालिका 1.1 से देखा जा सकता है, झारखण्ड की स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया।

सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का उपयोग भारत सरकार और आई.एम.एफ. और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जी.वी.ए. को स.घ.उ. की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजर अंदाज करता है। जहाँ तक शुद्ध करों के उपचार का सवाल है, दोनों उपाय अलग-अलग हैं। इसलिए, एक नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप निर्माण के लिए जी.वी.ए. और सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) आंकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. और जी.एस.वी.ए. के रुझान चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. बनाम जी.एस.वी.ए. का वृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23)




स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

1.1.2 स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान

चार्ट 1.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान स.रा.घ.उ. में क्षेत्र-वार योगदान को दर्शाता है। 2022-23 के दौरान, स.रा.घ.उ. में प्रमुख योगदानकर्ता सेवा क्षेत्र था जिसके बाद कृषि क्षेत्र था। हालाँकि, वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रूप से कम हो गयी।

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार वृद्धि



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान उल्लेखनीय गिरावट के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स.रा.घ.उ. में सभी क्षेत्रों का योगदान काफी बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि और सेवा क्षेत्रों का योगदान कम हो गया।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रा.वि.ले.प्र.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रेषित अभिश्रव, चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, जो ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बजट के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े;
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग (वि.आ.) के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के साथ दिनांक 21 जून 2023 को प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया। दिनांक 13 सितम्बर 2023 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को उत्तर/टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार (18 अक्टूबर 2023) को भेजा गया था। जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2023)।

1.3 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को विकलित कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, रक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष हैं) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज

वार्षिक वित्तीय विवरण: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” मूल बजट दस्तावेज का गठन करता है। आगे, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ: बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

गैर-ऋण प्राप्तियाँ: विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल है।


सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है, जैसा नीचे दर्शाया गया है।

	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच* में मानकीकृत	कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य आदि	अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप प्रमुख शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप	वस्तु शीर्ष: वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंकीय)

*मुख्य और लघु शीर्षों की सूची

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय इत्यादि हेतु हैं। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। सरकारी खातों की संरचना का चित्रात्मक वर्णन **चार्ट 1.3** में दिया गया है। वित्त लेखे के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.1 भाग ख एवं ग** में दिये गए हैं।

चार्ट 1.3 : सरकारी लेखे की संरचना



लोक ऋण एवं लोक दायित्व: इस प्रतिवेदन में लोक ऋण में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (रा.ल.ब.को.) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण आदि शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 और 6004-लोक ऋण विचारणीय है।

आगे, लोक लेखा के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधि आदि "रक्षित निधि" और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त निधि को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि वसूलने का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत "प्रेषण" और "उचंत" से संबंधित लेनदेन में केवल समायोजन शीर्ष शामिल है जैसा कि विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच अंतरण एवं कोषागारों और मुद्रा कोष के बीच नकदी का प्रेषण।

इस प्रतिवेदन में 'लोक दायित्व' में मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि' तथा 'रक्षित निधि और जमा एवं अग्रिम' के लेन-देन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन-देन को शामिल किया गया है।

बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, राज्य की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में विस्तृत है।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिखाती है।

तालिका 1.2: बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	ब. आ. से वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	49,024.26	51,856.58	56,521.63	109.00	14.36
(i)	स्वयं कर राजस्व	21,289.61	35,317.75	25,117.51	71.12	6.38
(ii)	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	27,734.65	16,538.83	31,404.12	189.88	7.98
2	गैर-कर राजस्व	10,030.75	13,762.84	12,830.05	93.22	3.26
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	10,666.85	17,405.74	10,893.54	62.59	2.77
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	69,721.86	83,025.16	80,245.22	96.65	20.38
5	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,291.73	75.84	46.41	61.19	0.01
6	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0.00	0.00
7	ऋण एवं अन्य देनदारियाँ ^६	2,604.21 [*]	11,286.46	4,616.73 ^६	40.91	1.17
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	3,895.94	11,362.30	4,663.14	41.04	1.18
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	73,617.80	94,387.46	84,908.36	89.96	21.57
10	राजस्व व्यय	62,777.92	76,273.30	66,681.63	87.42	16.94
11	ब्याज भुगतान [#]	6,286.05	6,661.57	6,238.29	93.65	1.58
12	पूँजीगत व्यय	9,376.90	16,606.48	14,015.59	84.40	3.56
13	ऋण एवं अग्रिम	1,462.98	1,507.68	4,211.14	279.31	1.07
14	कुल व्यय (10+12+13)	73,617.80	94,387.46	84,908.36	89.96	21.57
15	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य(+) (4-10)	6,943.94	6,751.86	13,563.59	200.89	3.44

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	ब. आ. से वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता
16	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) {14-(4+5+6)}	-2,604.21	-11,286.46	-4,616.73	40.91	1.17
17	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)	3,681.84	-4,624.89	1,621.56	35.06	0.41

स्रोत-वित्त लेखे

\$ ऋण एवं अन्य देनदारियाँ: निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिक निधि+निवल (प्राप्तियाँ-लोक लेखा का संवितरण+प्रारंभिक एवं अंत रोकड़ का निवल शेष।

* जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के एवज 2021-22 में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में ₹ 2,484.41 करोड़ को शामिल किया गया है।

& 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 2,964.32 करोड़ के पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त विशेष सहायता को शामिल किया गया है।

क्र.सं. 10 पर दिखाए गए राजस्व व्यय में शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ 15.09 प्रतिशत बढ़ी जबकि यह बजट अनुमान की तुलना में 3.35 प्रतिशत कम रही। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि 6.22 प्रतिशत थी। हालाँकि, यह बजट अनुमान से ₹ 9,591.67 करोड़ कम थी। आगे, उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 13,563.59 करोड़ का राजस्व अधिशेष था।

जी.एस.टी मुआवजा जी.एस.टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को राजस्व प्राप्त के रूप में ₹ 2,064.65 करोड़ के जी.एस.टी मुआवजे की प्राप्ति हुई।

तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व और पूँजीगत खातों पर प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्त के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्त के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2018-19	56,152	50,631	90.17	7,850	10,712	136.46
2019-20	58,147	56,457	96.64	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27
2021-22	69,722	62,778	90.04	11,132	9,377	84.23
2022-23	80,245	66,682	83.10	9,189	14,016	152.53

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्त के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत न्यूनतम (83.10 प्रतिशत) था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिक राजस्व अधिशेष हुआ।
- पूँजीगत प्राप्तियों पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 84.23 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 152.53 प्रतिशत हो गया, जो 2018-23 की अवधि के दौरान सबसे अधिक था।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' (₹ 2,078 करोड़ से), 'ग्रामीण विकास' (₹ 1,077 करोड़ से) और 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' (₹ 917 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी, जिसकी भरपाई 'अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों' (₹ 999 करोड़ से) पर कम व्यय से हुई। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय, ₹ 16,606 करोड़ के बजट प्रावधान से काफी कम था।

1.3.2 सरकार की सम्पत्तियों और दायित्वों का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे और रक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशिकृत स्थिति वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए तालिका 1.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.4: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देनदारियाँ			परिसम्पत्तियाँ				
		2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत		2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत	
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	74,538.31	73,580.43	-1.29	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,05,394.58	1,19,410.18	13.30
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	7,993.22	11,363.95	42.17	ब	ऋण एवं अग्रिम	24,348.48	28,513.21	17.10
आकस्मिक निधि		500.00	500.00	0.00					
लोक लेखा									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,001.19	1,016.98	1.58	अ	अग्रिम	19.67	17.66	-10.22
ख	जमा	23,609.29	26,955.09	14.17	ब	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
ग	रक्षित निधियाँ	6,844.35	6,535.66	-4.51	स	उचंत एवं विविध	0.00	0.00	0.00
घ	प्रेषण	112.64	76.55	-32.04		नकद शेष (कर्णांकित निधि में निवेश सहित)	5,572.70	6,682.68	19.92
ङ	उचंत एवं विविध	117.65	412.70	250.79		राजस्व लेखा में घाटा	-	-	-
	व्यय से प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	20,618.78	34,182.37	65.78					
कुल		1,35,335.43	1,54,623.73	14.25	कुल	1,35,335.43	1,54,623.73	14.25	

स्रोत: वित्त लेखें

*जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं।

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तो सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को एक प्रवाह माना जाता है जिसे ऋण के स्टॉक में जोड़ा जाता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संग्रहण होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण में योगदान देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बाँण्ड जारी करके उधार लेता है, लेकिन करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके बाण्ड का भुगतान बहुत बाद में करने का निर्णय ले सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधारी निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर “बोझ” के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। ऐसे में, सरकार और उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य स.घ.उ.) की वृद्धि से आँकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, प्रमुख जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने मई 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2007 पारित किया, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने तथा सुधार स्थापित करके बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना और मध्यम अवधि के ढाँचे में सुधार एवं पारदर्शिता लाना था। इस संदर्भ में, अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तरों के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राज्य के राजकोषीय समेकन पर भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, नवम्बर 2021 में झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में संशोधन किया गया।

नवंबर 2021 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम का लक्ष्य वित्तीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित स.रा.घ.उ. के 4 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक कम करना है। बिजली क्षेत्र में सुधारों के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित स.रा.घ.उ. का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त कम किया जाना था। इसके अलावा, जीएसटी मुआवजे के विकल्प 1 के तहत उधार और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत उधार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपरोक्त शर्तों के दायरे से बाहर रखा गया था।

1.4.1 राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्य मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धियाँ तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य एम.टी.एफ.पी. के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)	शून्य	5,521 ✓	1,960 ✓	-3,114 X	6,944 ✓	13,564 ✓
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत (2020-21 के लिए 5 प्रतिशत, 2021-22 के लिए 4 प्रतिशत एवं 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत)	6,629 (2.17)	8,035 (2.59)	14,911 (5.03)	2,604 (0.73)	4,617 (1.17)
	लक्ष्य (प्रतिशत)	3.0 ✓	3.0 ✓	5.0 X	4.0 ✓	3.5 ✓
स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	27.20	27.10	27.00	33.00	33.15
	वास्तविक	27.41 X	30.42 X	36.23 [#] X	30.93 [#] ✓	30.08 ✓

[#] इसमें जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय

घाटा भी निर्धारित लक्ष्य से कम था। स.रा.घ.उ. के लिए बकाया देनदारी का अनुपात झारखण्ड एफआरबीएम अधिनियम के तहत एमटीएफपी में निर्धारित मानदंडों को पार कर गया था और वित्तीय वर्ष 2020-21 तक चिंता का क्षेत्र था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें सुधार हुआ था और चालू वर्ष के दौरान यह लक्ष्य के भीतर बना रहा।

15वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2022-23 के दौरान स.रा.घ.उ. के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में राज्य के बजट में अनुमानित उपलब्धियों को तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका: 1.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में लक्ष्य बनाम उपलब्धियाँ

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2022-23			
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक (लेखापरीक्षा के पश्चात)
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+)	शून्य	1.77	3.44	3.29
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	उपलब्ध नहीं	-3.5	-1.17	-1.33
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	37.5	33.15	30.08	30.08

एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय वित्तीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी को निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी. में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किए गए अनुमानों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वर्ष 2022-23 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के सापेक्ष में वास्तविकता

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2022-23)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	24,850	25,118	1.08
2	गैर-कर राजस्व	13,763	12,830	-6.78
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	27,007	31,404	16.28
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	17,891	10,893	-39.12
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	83,511	80,245	-3.91
6	राजस्व व्यय	76,273	66,682	-12.57
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	7,238	13,564	87.40
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	-11,286	-4,617	59.09
9	देनदारी/ स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	33.15	30.08	9.26
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.01	9.71	-11.81

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, मुख्य रूप से भारत सरकार से सहायता-अनुदान की कम प्राप्तियाँ के कारण राज्य की प्राप्ति एम.टी.एफ.पी लक्ष्य से कम रही।


1.4.2 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.4 एवं चार्ट 1.5 क्रमशः 2018-23 की अवधि में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष घाटे के मापदंडों और प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड की प्रवृत्ति



चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति



राज्य अपने प्रमुख वित्तीय मापदंडों के संबंध में वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट और उसके एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 6,944 करोड़ का राजस्व अधिशेष वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 13,564 करोड़ रुपये हो गया। हालाँकि, राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,604 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 4,617 करोड़ हो गया, जो अभी भी वर्ष के लिए अनुमान के अंदर था और उधार ली गई धनराशि पर राज्य की कम निर्भरता का संकेत था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राथमिक

अधिशेष ₹ 3,682 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटकर ₹ 1,622 करोड़ रह गया।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों, जैसे घाटा, देनदारियों की सीमा और गारंटी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जैसा कि राज्य के लिए गणना की गई है, विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय और ऑफ-बजट राजकोषीय संचालन के रूप में गलत वर्गीकरण से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, हास निधि और प्रत्याभूति मोचन निधि आदि में कम योगदान भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूँजी परिव्यय और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटे का विश्लेषण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
(₹ करोड़ में)			
2022-23 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के कम/नहीं अंतरण	173.30	173.30	2.5.3
2022-23 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	131.95	131.95	2.5.2
2022-23 के दौरान राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	161.56	161.56	2.5.2
2022-23 के दौरान एस.डी.एम.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	151.40	151.40	2.5.2
कुल	618.21	618.21	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

जैसा कि तालिका 1.8 से देखा जा सकता है कि चालू वर्ष में राजस्व अधिशेष को ₹ 618.21 करोड़ अतियोक्ति हुई और राजकोषीय घाटा में ₹ 618.21 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस प्रकार, यदि उपरोक्त मदों को ध्यान में रखा जाए, तो राज्य का वास्तविक राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 13,563.59 करोड़ और ₹ 4,616.73 करोड़ के बजाय ₹ 12,945.38 करोड़ और ₹ 5,234.94 करोड़ होगा।

1.6 कुल देनदारियाँ

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के अनुसार, कुल देनदारियों का अर्थ राज्य के समेकित निधि और लोक लेखा के तहत देनदारियाँ हैं। बकाया ऋण/ देनदारियों को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: 31 मार्च 2023 तक बकाया देनदारियों के घटक

वित्त लेखा के अनुसार ऋण एवं अन्य देनदारियाँ	राशि (₹ करोड़ में)
आंतरिक ऋण (अ)	73,580.43
ब्याज सहित बाजार ऋण	55,812.65
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड	4,447.39
अन्य संस्थानों आदि से ऋण	8,036.65
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	5,247.91
अन्य ऋण	35.79
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ब)	11,363.94
गैर-योजना ऋण	8.80
राज्य योजनाओं के लिए ऋण	11,355.14
अन्य	0.00
लोक लेखा पर देनदारियाँ (स)	33,503.85
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,016.98
जमा एवं अग्रिम	26,955.09
रक्षित निधि	5,531.78
कुल (अ+ब+स)	1,18,448.22

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, राज्य की बकाया देनदारियों में प्रमुख योगदानकर्ता 'आंतरिक ऋण' के तहत ब्याज सहित बाजार ऋण (₹ 55,812.65 करोड़) और लोक लेखा के तहत 'जमा एवं अग्रिम' (₹ 26,955.09 करोड़) थे।

अध्याय-2

राज्य का वित्त

अध्याय 2

राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र रूझानों, राज्य की ऋण धारणीयता और मुख्य लोक लेखा लेन-देनों राज्य के वित्त लेखों के आधार पर चर्चा करता है। जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई।

2.1 वर्ष 2021-22 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन प्रत्येक संकेतकों को उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषित किया गया है।

तालिका 2.1: 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 15.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की स्वयं के कर प्राप्तियों में 17.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 27.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 13.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 12.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.84 प्रतिशत की कमी हुई
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ वर्ष 2021-22 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 27.36 प्रतिशत की कमी हुई जिसमें चालू वर्ष के दौरान 7.09 प्रतिशत से और कमी हुई✓ 2022-23 के दौरान गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों में ₹ 1,245.32 करोड़ की कमी आई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 49.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 18.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 227.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 12.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 187.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 96.41 प्रतिशत की कमी हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 7.09 प्रतिशत की कमी हुई✓ लोक ऋण के पुर्नभुगतान में 58.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 35.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ लोक लेखा के संवितरण में 16.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ वर्ष 2022-23 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,109.98 करोड़ (19.92 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग


तालिका 2.2 2021-22 से 2022-23 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है। अधिक विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.2: 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)

	ब्यौरा	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	160.55	149.37	-11.18
	राजस्व प्राप्तियाँ	69,721.86	80,245.22	10,523.36
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,291.73	46.41	-1,245.32
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	5,592.79	2,412.84	-3,179.95
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	-2,999.76	2,145.59	5,145.35
	कुल	73,767.17	84,999.43	11,232.26
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	62,777.92	66,681.63	3,903.71
	पूँजीगत व्यय	9,376.90	14,015.59	4,638.69
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	1,462.98	4,211.14	2,748.16
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	149.37	91.07	-58.30
	कुल	73,767.17	84,999.43	11,232.26

चार्ट 2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.1: 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिये गये हैं:

1. **राजस्व प्राप्तियाँ** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक चार्ट 2.2 में दिये गए हैं।

चार्ट 2.2: 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों के रूझान का विश्लेषण करता है। इसके बाद, प्राप्तियों में रूझान को केंद्र सरकार से प्राप्ति और राज्य की अपनी प्राप्तियों में विभाजित किया गया है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियाँ (रा. प्रा.) (₹ करोड़ में)	56,152	58,417	56,150	69,722	80,245
रा. प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.44	4.03	-3.88	24.17	15.09
स्वयं का कर राजस्व	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118
स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि दर	19.42	13.69	0.65	26.12	17.98
कर-भिन्न राजस्व	8,258	8,750	7,564	10,031	12,830
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर	5.24	5.96	-13.55	32.61	27.91
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	13.90	10.90	-4.20	28.13	21.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.30	1.51	-4.40	20.97	9.71
रा. प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	18.37	18.83	18.93	19.43	20.38
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.48	2.67	*	1.15	1.55
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	1.05	7.22	*	1.34	2.18
स्वयं का कर राजस्व के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	0.33	0.29	#	0.93	0.84

स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

* चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।


चूँकि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक थी, उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।

यद्यपि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 69,722 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 80,245 करोड़ हो गईं, लेकिन उनकी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 24.17 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.09 प्रतिशत रह गई।


जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, स.रा.घ.उ. की कम वृद्धि दर के कारण, स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व और स्वयं के राजस्व की उछाल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सुधार हुआ।

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ



आगे, जैसा कि तालिका 2.3 में दिखाया गया है, 2022-23 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व में 21.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी के संग्रह में ₹ 1,817 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जबकि गैर-कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत संग्रह में ₹ 2,501 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।


राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद, वाहन कर, पेट्रोलियम एवं शराब पर बिक्री कर, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत् पर कर एवं शुल्क आदि शामिल हैं। चार्ट 2.5 राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है और तालिका 2.4 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि



तालिका 2.4: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,475	3,996	4,301	5,213	6,271	
एस.जी.एस.टी.	8,201	8,418	7,931	9,557	11,374	
राज्य उत्पाद	1,083	2,009	1,821	1,807	2,057	
वाहन कर	864	1,129	976	1,263	1,574	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	451	560	708	987	1,108	
भू-राजस्व	389	338	873	1,621	1,557	
विद्युत् कर एवं शुल्क	209	236	195	792	1,132	
अन्य	80	85	75	50	45	
कुल	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118	

स्रोत: वित्त लेखे

स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 0.65 से 26.12 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्शाया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं कर राजस्व में 17.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर करों (20 प्रतिशत) और एसजीएसटी (19 प्रतिशत) का अधिक संग्रह था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसजीएसटी का वास्तविक संग्रह (₹ 11,374 करोड़) बजट अनुमान (₹ 10,450 करोड़) से अधिक था।

जैसा कि परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में वाहनों पर करों के संग्रह में वृद्धि अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा वाहनों के पंजीकरण के लिए नई शुल्क संरचना की शुरूआत के कारण हुई थी। राज्य का अपना कर संबंधित अन्य घटकों के संग्रह में वृद्धि या कमी का कारण विभागों से प्राप्त नहीं हुआ है।

जीएसटी प्राप्तियों का ऑडिट

जीएसटीएन परिसर में पैन-इंडिया डेटा तक पहुंच प्रदान करने का भारत सरकार का निर्णय 22 जून 2020 को बताया गया था। झारखण्ड एक मॉडल-II राज्य है और जनवरी 2021 से, आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक कर मंडल के परिसर में लेखापरीक्षा दल को बैक-एंड सिस्टम तक उपयोगकर्ता-आईडी आधारित पहुंच प्रदान की गई है। सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग से ऑडिट के लिए समर्पित यूजर-आईडी आधारित पहुंच प्रदान करने का अनुरोध किया गया था (जुलाई 2023)।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए जून 2022 में समाप्त होने वाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाएगा। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) वसूलती है तथा उस राज्य को कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

2022-23 के दौरान, झारखण्ड को अप्रैल 2021 से जून 2022 की अवधि से संबंधित जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के मुआवजे के लिए ₹ 2,064.64 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। 2021-22 के लिए ₹ 1,385.00 करोड़ और अप्रैल 2022 से जून 2022 की अवधि के लिए ₹ 679.64 करोड़ का अनुदान राज्य को इस शर्त पर प्राप्त हुई थी कि यदि राज्य की कुल जीएसटी मुआवजे की पात्रता भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित राजस्व आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार को पहले ही जारी किए गए अनंतिम जीएसटी मुआवजे की कुल राशि से कम हो जाती है तो अतिरिक्त भुगतान प्रक्रिया के अनुसार भविष्य के दावों से या राज्य सरकार के खाते में सीधे डेबिट द्वारा वसूल किया जाएगा।

बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण

बकाया राजस्व सरकार के राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार, बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से मूल्यांकन के कारण अवरूद्ध होती है। दोनों संभावित राजस्व प्राप्ति से राज्य को वंचित रखते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2023 को, राजस्व संग्रहण में बकाया ₹ 640 करोड़ (मोटर वाहन कर विभाग) था जिनमें से ₹ 435.91 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से ₹ 4.90 करोड़ की राशि न्यायालयों में अवरुद्ध थी। अन्य विभागों के ब्यौरे सितम्बर 2023 तक उपलब्ध नहीं थे।

मुख्य शीर्ष 0041 के अंतर्गत राजस्व के लेखांकन में विसंगति

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 और 81 के तहत लगाया गया शुल्क और राष्ट्रीय परमिट योजना के तहत समग्र शुल्क में राज्य का हिस्सा, लघु शीर्ष '101-भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राप्तियाँ' का हिस्सा है।

मोटर वाहन कर और जुर्माना, झारखण्ड मोटर वाहन नियम, 2001 के तहत लगाया जाने वाला एकमुश्त कर और शुल्क, राज्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत लघु शीर्ष '102-प्राप्तियाँ' में दर्ज राजस्व का गठन करता है।

यह देखा गया कि लघु शीर्ष '101' (2021-22 में ₹ 947.80 करोड़ और 2022-23 में ₹ 1,225.68 करोड़) के तहत दर्ज की गई राशि लघु शीर्ष '102' (2021-22 में ₹ 3.70 करोड़ और 2022-23 में ₹ 5.53 करोड़) के तहत दर्ज की गई राशि से कहीं अधिक है। हालाँकि, एकत्र की गई प्राप्तियाँ कर और जुर्माने के कारण थीं, जो परिवहन विभाग के राजस्व का बड़ा हिस्सा है, यह देखा गया कि लघु शीर्ष 102 के तहत दर्ज की गई राशि लघु शीर्ष 101 के तहत दर्ज की गई राशि से कम थी। आगे यह देखा गया कि खातों में दर्ज की गई राशि लघु शीर्षों के बजट अनुमान के आधार पर थी।

यह मामला परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में उठाया गया था और जवाब में कहा गया कि वित्त विभाग से सलाह लेने के बाद लेखा शीर्षों के वर्गीकरण को उचित रूप से ठीक किया जाएगा।

ब. कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 12,830 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण वर्ष हेतु ₹ 13,763 करोड़ के बजट आकलन से उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्ति	47	310	81	96	282	
लाभांश एवं लाभ	0	0	15	0	0	
अन्य कर भिन्न प्राप्ति	8,211	8,440	7,468	9,935	12,548	
(क) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,935	5,461	5,012	7,535	10,036	
(ख) शिक्षा, खेल कद, कला एवं संस्कृति	590	469	166	128	6	
(ग) शहरी विकास	265	529	80	263	102	
(घ) वृहद सिंचाई	321	424	32	79	36	
(ङ) जन आपूर्ति	6	420	137	132	20	
(च) विविध सामान्य सेवाएँ	37	140	171	483	1,172	
(छ) वन एवं वन्य जीव	15	18	328	656	638	
(ज) अन्य	1,042	979	1,542	659	538	
कुल	8,258	8,750	7,564	10,031	12,830	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त खाते

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति में कर-भिन्न राजस्व की हिस्सेदारी 13.47 प्रतिशत से 15.99 प्रतिशत के बीच थी। यह 2021-22 में 14.39 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 15.99 प्रतिशत हो गया। कर-भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग था जो 2021-22 में ₹ 7,535 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,036 करोड़ हो गया। 2022-23 के दौरान विविध सामान्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि (₹ 689 करोड़ से) देखी गई।


राजस्व प्राप्ति का गलत वर्गीकरण

झारखण्ड ट्रेजरी कोड, 2016 के नियम 334 के अनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत खाता (पीडी/पीएल) खातों के तहत पड़ी अव्ययित शेष राशि को व्यय में कटौती के रूप में संबंधित सेवा शीर्षों में स्थानांतरित किया जाना था, जहां से पैसा निकाला गया था। 2022-23 के दौरान यह देखा गया कि, पीडी/पीएल खातों के अंतर्गत पड़े ऋणों की अव्ययित शेष राशि, जो ₹ 1,115.39 करोड़ थी, को प्राप्त शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएं-800-अन्य प्राप्ति" के तहत गलत तरीके से जमा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व प्राप्ति के साथ ही ऋण की अत्योक्ति हुई।

स. केन्द्र सरकार से अंतरण

2022-23 के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से राज्य को हस्तांतरण राज्य के कुल गैर-ऋण राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक था। स्वयं के राजस्व के संग्रह में गिरावट के कारण 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार से गैर-ऋण प्राप्ति के हस्तांतरण का अनुपात उच्चतम (62 प्रतिशत) था। जून 2022 में पांच साल की अवधि पूरी होने के कारण जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कमी का मुआवजा भी रोक दिया गया था। 2022-23 के दौरान यह अनुपात 52.68 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: केन्द्र से राज्य को अंतरण



जैसा कि चार्ट 2.6 में दिखाया गया है, 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर केंद्र सरकार से राज्य को करों का हस्तांतरण 2013-14 में ₹ 8,939 करोड़ से लगातार बढ़कर 2022-23 में ₹ 31,404 करोड़ हो गया।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकवार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	5,900	5,844	5,863	8,367	8,874
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	471	0	0	0	0
निगम कर	8,313	7,021	5,944	7,139	10,529
निगम कर के अलावा आय पर कर	6,122	5,502	6,093	8,693	10,279
सीमा शुल्क	1,695	1,305	1,050	2,060	1,235
संघ उत्पाद शुल्क	1,126	908	663	1,089	387
सेवा कर	220	0	85	356	49
अन्य कर ²	59	13	14	31	51
केन्द्रीय कर अंतरण	23,906	20,593	19,712	27,735	31,404
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	13	-14	-4	41	13
राजस्व प्राप्त के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशतता	43	35	35	40	39

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2022-23 में केन्द्रीय कर अंतरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,669 करोड़ की वृद्धि हुई थी। यह मुख्य रूप से निगम कर और निगम कर के अलावा आय पर करों के हस्तांतरण में वृद्धि के कारण था।

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतम (33.21 प्रतिशत) थी जो 2022-23 में घटकर 2.13 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान मामूली वृद्धि, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 333 करोड़), प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (₹ 227 करोड़) और प्रजनन बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए लचीले पूल (₹ 369 करोड़) के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण थी जिसकी भरपाई एसडीआरएफ का हिस्सा (₹ 596 करोड़) न मिलने से हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.7 में दिखाया गया है।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	6,996.85	7,339.05	6,838.85	6,577.16	6,871.79
वित्त आयोग अनुदान	1,059.89	3,154.60	2,990.50	2,198.30	1,826.59
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	604.12	2,236.71	1,689.00	699.30	1,271.00
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	140.02	586.39	733.50	600.20	441.94
अन्य (एस.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. सहित)	315.75	331.50	568.00	898.80	113.65
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,178.78	1,809.01	2,164.06	1,891.40	2,195.16
राज्य सड़कों के लिए अनुदान	63.33	137.67	78.77	40.79	81.56
जीएसटी के क्रियान्वयन से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई	1,029.00	1,531.82	1,958.32	1,525.63	2,064.64
जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता	73.54	111.66	102.78	122.64	48.96
अन्य	12.91	27.86	24.19	202.34	0.00
कुल	9,235.52	12,302.66	11,993.41	10,666.86	10,893.54
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	-19.07	33.21	-2.51	-11.06	2.13
राजस्व प्राप्तियों से सहायता अनुदान की प्रतिशतता	16.45	21.06	21.36	15.30	13.58

स्रोत: वित्त लेखे

2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार से राज्य को सहायता अनुदान में ₹ 9,235.52 करोड़ से ₹ 12,302.66 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव आया और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में उनका प्रतिशत 13.58 से 21.36 प्रतिशत के बीच रहा। इस अवधि के दौरान सहायता अनुदान की वृद्धि (-) 19.07 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच दोलित रही। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान में मामूली वृद्धि हुई।

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को इसके लिए प्रत्येक केंद्र प्रायोजित

योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करना आवश्यक है। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एकल नोडल खाता खोलेगी। आगे, नई प्रक्रिया के अनुसार यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खर्च की गई पूरी राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए।

राज्य सरकार को अपने ट्रेजरी खातों में 2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,617.25 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,917.88 करोड़ और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 6,978.52 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिए। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। सीजीए/एसएनए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 8,089.63 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (15^{वें} वि. आ.)

15^{वें} वि. आ. की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15 ^{वें} वि. आ. की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन (केन्द्रीय निर्गमन सहित)		
	2021-26	2021-22	2022-23	कुल	2021-22	2022-23	कुल
स्थानीय निकाय							
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,585.00	699.30	1,271.00	1,970.30	772.76	1,462.57	2,235.33
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	2,634.00	699.30	883.10	1,582.40	772.76	1,462.57	2,235.33
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	3,951.00	0.00	387.90	387.90			
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	3,367.00	600.20	441.94	1,042.14	1,042.33	1,266.41	2,308.74
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	819.60	0.00	116.40	116.40	1,042.33	1,266.41	2,308.74
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	2,547.40	600.20	325.54	925.74			
स्वास्थ्य अनुदान	2,370.00	444.40	0.05	444.45	438.49	4.41	442.90
स्थानीय निकायों के लिए कुल	12,322.00	1,743.90	1,712.99	3,456.89	2,253.58	2,733.39	4,986.97
राज्य आपदा मोचन कोष*	4,182.00	454.40	0.00	454.40	605.60	0.00	605.60
कुल योग	16,504.00	2,198.30	1,712.99	3,911.29	2,859.18	2,733.39	5,592.57

* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

केंद्र सरकार ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान यूएलबी और पीआरआई के लिए 2021-26 की अवधि के लिए 15^{वें} वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 12,322.00 करोड़ के मुकाबले ₹ 3,342.90 करोड़ जारी किए। आगे, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य द्वारा यूएलबी और पीआरआई को जारी कुल ₹ 2,733.39 करोड़ में केंद्र सरकार से ₹ 1,712.99 करोड़ प्राप्त हुए।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2018-23 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,850.43	9,642.31	13,595.36	11,131.62	9,188.71
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47.57	49.19	48.78	1,291.73	46.41
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,743.34	5,361.72	10,801.76	5,592.79	2,412.84
आंतरिक ऋण	4,637.10	5,109.14	8,411.43	2,581.42	(-)957.88
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)9.37	10.17	64.63	-69.31	(-)137.11
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	106.22	252.44	2,390.33*	3,011.37*	3,370.72#
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	50.52	137.66	846.89	25.98	11.93
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)4.10	22.93	41.21	(-) 27.36	(-)7.09
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)29.85	4.66	(-)0.83	2,548.07	(-)96.41
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.30	1.51	(-)4.40	20.97	9.71
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)4.31	22.83	41.00	(-)18.12	(-)17.45

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

* बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए (2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में ₹ 1689 करोड़)

2022-23 में पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त ₹ 2,964.32 करोड़ की विशेष सहायता शामिल है

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में 2018-19 से 2022-23 के दौरान (-) 18.12 प्रतिशत और 41 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। 2022-23 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से बाजार ऋण के तहत कम प्राप्तियाँ (₹ 1,000 करोड़ से) के कारण कम हो गईं।

बिजली कंपनियों से पिछले वर्ष में ऋणों के एकमुश्त निपटान के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों में उल्लेखनीय (₹ 1,245 करोड़ से) कमी आई।

केन्द्रीय ऋणों को बड़े खाते में डालना

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2010 को केन्द्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को बड़े खाते में डाल दिया था (फरवरी 2012)। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) और इसके कार्यान्वयन से किए गए मूलधन और ब्याज के अतिरिक्त भुगतान को वित्त मंत्रालय को भविष्य के भुगतान के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी थी। झारखण्ड सरकार ने 31 मार्च 2023 के अंत तक ₹ 5.73 करोड़ (मूलधन: ₹ 2.50 करोड़ और ब्याज: ₹ 3.23 करोड़) का अतिरिक्त पुनर्भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹ 3.51 करोड़ का समायोजन किया है। चालू वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया।

2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है। बजट/एम.टी.एफ.पी तथा 2022-23 के लिए 15^{वें} वित्त आयोग में संसाधनों के संग्रहण के अनुमान तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2022-23 हेतु कर एवं कर-भिन्न अनुमान के सापेक्ष प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	15 ^{वें} वित्त आयोग अनुमान	वास्तविक	एम.टी.एफ.पी. अनुमान के सापेक्ष वास्तविक विचलन की प्रतिशतता
स्वयं-कर राजस्व	24,850	16,472	25,118	1.08
कर-भिन्न राजस्व	13,763	9,707	12,830	-6.78

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक संग्रह एमटीएफपी और 15^{वें} एफसी अनुमानों से अधिक था, जबकि गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रह 15^{वें} वित्त आयोग अनुमानों से अधिक था लेकिन एमटीएफपी अनुमानों से लगभग सात प्रतिशत कम था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की लागत पर ना हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।


तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु.व्य.)	62,827	66,501	71,110	73,618	84,908
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,631	56,457	59,264	62,778	66,681
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	10,712	9,879	8,466	9,377	14,016
ऋण एवं अग्रिम	1,485	165	3,380	1,463	4,211
स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	20.60	21.40	24.00	20.51	21.57
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	16.56	18.19	19.98	17.49	16.94
पूँजीगत व्यय/ स.रा.घ.उ.	3.50	3.18	2.85	2.61	3.56
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.49	0.05	1.14	0.41	1.07


जैसा कि तालिका 2.11 दर्शाया गया है, 2022-23 के दौरान स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, ऋण और अग्रिम आदि का अनुपात 2021-22 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में बढ़ गया, राजस्व व्यय से स.रा.घ.उ. अनुपात को छोड़कर जो थोड़ा कम हुआ। पूँजीगत व्यय से स.रा.घ.उ. अनुपात, जो 2020-21 और 2021-22 में तीन प्रतिशत से नीचे गिर गया, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 4,639 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण 2022-23 में बढ़कर 3.56 प्रतिशत हो गया। राज्य के कुल बजट (₹ 1,17,618 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 11.92 प्रतिशत रहा।

चार्ट 2.7: कुल व्यय - गतिविधियों के अनुसार व्यय



चार्ट 2.7 से यह देखा जा सकता है कि, जहां 2018-19 से 2022-23 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा लगातार बढ़ा, वहीं इसी अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा लगातार कम हुआ। 2022-23 के दौरान सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी भी घट गई।

चार्ट 2.8: कुल व्यय - इसके घटकों के भाग का रुझान



जैसा कि चार्ट 2.8 से देखा जा सकता है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2021-22 में 85.28 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 78.53 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पूर्व के उत्तरदायित्व हेतु भुगतान तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा विस्तार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता।

कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर और स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अनुपात तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

यह देखा गया कि स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) 2021-22 में 17.49 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 16.94 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.12: राजस्व व्यय-आधारभूत मापदंड


(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु.व्य.)	62,827	66,501	71,110	73,618	84,908
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,631	56,457	59,264	62,778	66,681
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-0.60	11.50	5.00	5.93	6.22
कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	80.60	84.90	83.30	85.28	78.53
रा.व्य/ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	16.56	18.19	19.98	17.49	16.94
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	90.20	96.60	105.50	90.00	83.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चाट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



2022-23 के दौरान ₹ 66,681 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से स्थापना पर ₹ 34,328.93 करोड़ और राज्य व केंद्र की योजनाओं पर ₹ 32,352.70 करोड़ खर्च किये गये। आगे, राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा (46 प्रतिशत) सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया गया, उसके बाद आर्थिक सेवाओं (26 प्रतिशत) पर खर्च किया गया।

2021-22 और 2022-23 के दौरान, राजस्व व्यय की वृद्धि दर लगभग छः प्रतिशत के लगभग बराबर रही, हालांकि कुल व्यय में इसका प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग सात प्रतिशत अंक से कम हो गया। 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय बजट अनुमान (₹ 76,273 करोड़) की तुलना में ₹ 9,592 करोड़ से कम था।

राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन उल्लेखनीय विचलन तालिका 2.13 में वर्णित है।

तालिका 2.13: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में विचलन
(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2049- ब्याज भुगतान	6,286.05	6,238.29	(-)47.76
2055- पुलिस	5,277.62	5,932.65	655.03
2071- पेंशन	7,614.3	7,803.17	188.87
2202- सामान्य शिक्षा	10,817.1	11,166.76	349.66
2217- शहरी विकास	2,421.43	1,945.13	(-)476.3
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,943.19	5,486.89	1543.7
2236- पोषण	544.75	357.67	(-)187.08
2401- फसल कृषि-कर्म	2,213.40	909.17	(-)1,304.23
2505- ग्रामीण रोजगार	3,608.95	2,881.84	(-)727.11
2801- उर्जा	3,658.29	3,239.96	(-)418.33
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,621.3	2,256.42	635.12
3451- सचिवालय आर्थिक सेवा	174.73	492.66	317.93

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के घटकों, जैसे फसल कृषि-कर्म, शहरी विकास, बिजली और ग्रामीण रोजगार पर राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान कम हो गया।

फसल कृषि-कर्म और बिजली पर राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत योजनाओं पर कम व्यय के कारण थी। शहरी विकास पर कम व्यय मुख्य रूप से स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना को कम सहायता के कारण था। ग्रामीण रोजगार पर कम खर्च का मुख्य कारण जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पर कम खर्च होना था।

पुलिस पर अधिक व्यय का मुख्य कारण जिला पुलिस और विशेष पुलिस पर अधिक व्यय था।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल है। यह सरकारी संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित होता है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकास पर व्यय के लिए सरकार के पास कम संभावना छोड़ती है।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं, जिन्हें आम तौर पर बदला नहीं जा सकता है या पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है :

- i. स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण)
- ii. रक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएँ - समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा शमन/प्रतिक्रिया निधि (एसडीएमएफ/ एसडीआरएफ) आदि में योगदान
- iii. आकस्मिक निधि की पुनर्प्राप्ति - वर्ष के दौरान पुनर्प्राप्त राशि
- iv. उपकर को रक्षित निधि/ अन्य निकायों में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक हैं
- v. प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान - राज्य के हिस्से की राशि एसएनए को हस्तांतरित की जाएगी/ राज्य द्वारा खर्च की जाएगी
- vi. ब्याज वाले धन की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर भारित व्यय-ब्याज भुगतान के रूप में किया जाता है।

प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास व्यय के लिए कम विकल्प छोड़ती है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों का रुझान विश्लेषण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	12,138	12,832	12,885	13,979	14,903
पेंशन पर व्यय	5,991	6,005	6,797	7,614	7,803
ब्याज भुगतान	4,852	5,308	5,790	6,286	6,238
कुल	22,981	24,145	25,472	27,879	28,944
राजस्व प्राप्तियों (रा. प्रा.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	21.60	22.00	22.90	20.05	18.57
पेंशन पर व्यय	10.67	10.28	12.11	10.92	9.72
ब्याज भुगतान	8.64	9.09	10.31	9.02	7.77
कुल	40.91	41.37	45.32	39.99	36.07
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
रक्षित निधि में योगदान	105	55	244	151	0
आकस्मिकता निधि की भरपाई	0	0	0	0	0
रक्षित निधि/अन्य निकायों को उपकर का स्थानांतरण	0	0	0	0	154
प्राप्त केंद्रीय निधियों के विरुद्ध सीएसएस का योगदान साझा करें	6,132	6,957	7,972	7,278	7,421
ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान	235	241	478	480	425
कुल	6,472	7,254	8,694	7,910	8,000
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	13	13	15	13	12
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.97	22.73	21.74	22.27	22.35
पेंशन पर व्यय	11.83	10.64	11.47	12.13	11.70
ब्याज भुगतान	9.58	9.40	9.77	10.01	9.35
कुल	45.42	42.74	42.98	44.41	43.40

2021-22 में 44.41 प्रतिशत के सापेक्ष 2022-23 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन का सम्मिलित योगदान राजस्व व्यय का 43.40 प्रतिशत था, जबकि राजस्व प्राप्तियों में इसकी हिस्सेदारी 2021-22 में 39.99 प्रतिशत के सापेक्ष 2022-23 में काफी कम होकर 36.07 प्रतिशत हो गई।

ब्याज अदायगी

2021-22 में 8.57 प्रतिशत के सापेक्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर (-)0.76 प्रतिशत रही। राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि दर और वर्ष के दौरान

आंतरिक ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज भुगतान में कमी के कारण राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2021-22 में 9.02 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.77 प्रतिशत हो गया।

पेंशन भुगतान

झारखण्ड सरकार ने 2022-23 के दौरान अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में ₹ 7,402.32 करोड़ (नियोक्ता के योगदान के रूप में एनएसडीएल को हस्तांतरित ₹ 400.85 करोड़ को छोड़कर) का भुगतान किया। नियोक्ता के योगदान (₹ 7,803.17 करोड़) सहित कुल पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ क्रमशः राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का 7.77 प्रतिशत और 9.35 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गए कुल वेतन एवं मजदूरी की तुलना में कुल पेंशन भुगतान का प्रतिशत 52.36 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) में रखा गया है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके विरुद्ध 1 अप्रैल 2019 से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

झारखण्ड राज्य सरकार ने 1 सितम्बर 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। 1,16,326 पात्र कर्मचारियों में से 1,14,436 कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना है। शेष 1,890 कर्मचारियों ने कोई विकल्प नहीं चुना है और इस प्रकार एनपीएस के साथ बने हुए हैं।

2022-23 के दौरान ₹ 400.85 करोड़ नियोक्ता योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को कर्मचारियों के योगदान से प्राप्त ₹ 341.30 करोड़ के विरुद्ध ₹ 286.51 करोड़ की प्राप्ति हस्तांतरित किया। वर्ष 2022-23 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ₹ 78.94 करोड़ शेष रह गयी।

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक जिनमें रक्षित निधि में योगदान, सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर का हस्तांतरण, प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान और ब्याज वाले निधि पर ब्याज शामिल है, इसमें 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 6,472 करोड़ से ₹ 8,694 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव आया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय में 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव आया। आगे, पिछले वर्ष (₹ 7,910 करोड़) की तुलना में 2022-23 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 8,000 करोड़) 1.14 प्रतिशत बढ़ गया।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.15 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान सब्सिडी में कमी आई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में 8.11 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 5.09 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में नौ प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 6.13 प्रतिशत हो गई।

2022-23 के दौरान मुख्य रूप से प्रमुख शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म (₹ 1,271.67 करोड़ से) और 2801-बिजली (₹ 182 करोड़ से) के तहत सब्सिडी में कमी आई और 3456-जन आपूर्ति (₹ 48.39 करोड़ से) के तहत वृद्धि हुई। वित्त लेखे के परिशिष्ट-II के अनुसार सिंचाई हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान सब्सिडी में कमी मुख्य रूप से किसानों को ऋण माफी योजना के लिए सब्सिडी में ₹ 1,184 करोड़ और बागवानी विकास सब्सिडी में ₹ 72 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2401 के तहत) की कमी के कारण हुई।

2022-23 के दौरान देखा गया कि मुख्यमंत्री सब्सिडी योजना के तहत दोपहिया वाहनों की सवारी के लिए पेट्रोल की खरीद के लिए ₹ 61.25 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था जिसमें से ₹ 6.07 करोड़ खर्च किए गए।

तालिका 2.15: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	2,092	4,275	3,208	5,653	4,087
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	3.73	7.32	5.71	8.11	5.09
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	4.13	7.57	5.41	9.00	6.13

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। विवरण तालिका 2.16 में दी गई है।

तालिका 2.16: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकायें					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,748.50	1,505.45	1,930.03	1,042.33	1,266.41
पंचायती राज संस्थान	2,937.69	2,497.70	1,771.20	772.76	1,462.57
कुल (अ)	4,686.19	4,003.15	3,701.23	1,815.09	2,728.98
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	621.08	1,265.29	1,771.17	1,807.60	2,393.67
विकास प्राधिकरण	3,952.30	10,771.73	8,283.26	8,751.59	8,033.52
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	0	1,753.28	2,119.77	2,469.66	1,000.70
अन्य संस्थान	8,716.24	1,398.01	4,202.24	4,786.01	8,037.18
कुल (ब)	13,289.62	15,188.31	16,376.44	17,814.86	19,465.07
कुल (अ+ब)	17,975.81	19,191.46	20,077.67	19,629.95	22,194.05
वेतन के लिए सहायता अनुदान	1,877.41	1,386.79	2,871.82	2,914.63	3,253.09
गैर-वेतन के लिए सहायता अनुदान	8,727.35	10,725.29	10,835.98	11,356.68	12,889.08
पूँजी परिसंपत्तियों के परिनिर्माण के लिए सहायता अनुदान	7,371.03	7,079.39	6,369.87	5,358.63	6,051.88
वस्तुओं के रूप में सहायता अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी				
राजस्व व्यय	50,631	56,457	59,264	62,778	66,681
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	35.5	33.99	33.88	31.27	33.28

2022-23 के दौरान, यूएलबी को वित्तीय सहायता में ₹ 224.08 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्रदान किए गए अधिक अनुदान (₹ 160.40 करोड़ से) के कारण हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान की अधिक प्राप्ति (₹ 646.50 करोड़ से) के कारण पीआरआई को वित्तीय सहायता में ₹ 689.81 करोड़ की वृद्धि हुई।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 2021-22 तक घटती प्रवृत्ति देखी गई लेकिन 2022-23 के दौरान इसमें वृद्धि हुई। वेतन और गैर-वेतन उद्देश्य के लिए सहायता-अनुदान में वर्ष 2019-20 को छोड़कर जब वेतन के लिए सहायता-अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया था, पिछले पाँच वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अलावा, राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की हिस्सेदारी 2018-19 से 2022-23 के दौरान 31.27 प्रतिशत और 35.50 प्रतिशत के बीच दोलित रही।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

संविधान के अनुच्छेद 243 आई एवं 243 वाई में प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल, अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक

पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, एक वित्त आयोग का गठन करेंगे जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी तथा राज्य एवं यू.एल.बी. के बीच करों, शुल्कों आदि के निर्धारण, वितरण, यू.एल.बी. को सहायता अनुदान तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार ने तीन राज्य वित्त आयोगों (एस.एफ.सी) का गठन किया था। पहले एस.एफ.सी की सिफारिशों केवल शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) के लिए थीं। दूसरे और तीसरे एस.एफ.सी. का गठन क्रमशः दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2015 में किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए एस.एफ.सी के द्वारा कोई सिफारिश नहीं दी गई।

चौथे एस.एफ.सी के गठन की अधिसूचना भी राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 में जारी की गई थी, लेकिन जुलाई 2023 तक एस.एफ.सी. के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

पहले एस.एफ.सी. ने 2009-10 में राज्य द्वारा यू.एल.बी. के साथ करों को आवंटित/साझा नहीं करने के कारण ₹ 375 प्रति व्यक्ति की दर से “केंद्रीकृत नगर सेवा प्रावधान अनुदान” के प्रावधान के लिए सिफारिश की थी, जिसमें अगले चार वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था दी गयी थी। हालाँकि, न तो यू.एल.बी. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई और न ही पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए सिद्धांत को एस.एफ.सी. द्वारा निर्धारित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और यह निर्णय (अक्टूबर 2013) लिया गया था कि कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 40 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। सभी प्रकार के सैरात³ स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने के लिए यू.एल.बी. को स्थानांतरित कर दिया था। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान जारी किया गया। आगे, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार झारखण्ड शहरी विकास निधि के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-19 के दौरान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (यू.आई.डी.पी) के लिए बजट प्रावधान बनाया। हालाँकि, निधि यू.एल.बी को हस्तांतरित नहीं की गई। 2018-19 के बाद राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया।


2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो स्थायी आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर किया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों में

³ सैरात का मतलब निगम की राजस्व अर्जित करने वाली परिसंपत्तियाँ जैसे सार्वजनिक भूमि, बाजार, तालाब इत्यादि।

पूँजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/ ऑफ-बजट से पूरा किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। पिछले पाँच वर्षों यानी 2018-19 से 2022-23 तक राज्य में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.10 में दिया गया है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



पूँजीगत व्यय में मुख्य बदलाव

पूँजीगत व्यय 2018-19 में ₹ 10,712 करोड़ से लगातार घटकर 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ हो गया और 2022-23 में बढ़कर ₹ 14,016 करोड़ हो गया। 2022-23 के दौरान, पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर अधिक व्यय (227.28 प्रतिशत से) के कारण हुई। चालू वर्ष के दौरान सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 18.89 प्रतिशत बढ़ गया।

2022-23 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में ₹ 3,626 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय' (₹ 917 करोड़ से), 'जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास' (₹ 2,078 करोड़ से) पर पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि है।

इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ₹ 874 करोड़ बढ़ गया। 2022-23 के दौरान बढ़ोतरी मुख्य रूप से ग्रामीण विकास (₹ 1,077 करोड़ से), कृषि और संबद्ध गतिविधियों (₹ 301 करोड़ से) और परिवहन (₹ 235 करोड़ से) के तहत हुई, जिसकी भरपाई खनन और धातुकर्म उद्योगों पर कम पूँजीगत परिव्यय (₹ 1,000 करोड़ से) से हुई।

राज्य का पूँजीगत व्यय (₹ 14,016 करोड़) वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान (₹ 2,591 करोड़ से) से कम था। 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान पूँजीगत परिव्यय में बड़े बदलाव तालिका 2.17 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.17: 2021-22 के तुलना में 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि(+)/ कमी (-)
पूँजीगत परिव्यय			
4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	94.34	1,011.79	917.45
4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	505.11	1,840.08	1,334.97
4217-शहरी विकास	0.00	721.66	721.66
4225-अ.जा, अ.जन., अ.पि.व. और अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण	364.42	848.34	483.92
4402-मृदा एवं जल संरक्षण	198.81	456.15	257.34
4425-सहकारिता	91.42	116.04	24.62
4515-ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,142.75	2,219.58	1,076.83
4701-मध्यम सिंचाई	886.44	714.76	-171.68
4702-लघु सिंचाई	30.52	257.78	227.26
4801-ऊर्जा परियोजना	87.52	153.96	66.44
4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1,000.00	0.00	-1,000.00

2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

16 कंपनियों से प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, छः⁴ कंपनियों का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी शुद्ध मूल्य 31 मार्च 2023 तक (-) ₹ 10,026.68 करोड़ था।

आगे उनके लेखाओं के अनुसार, तीन कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2022-23 के दौरान उनकी हानि ₹ 2,597.72 करोड़ थी। हानि में चल रही इन कंपनियों में से दो कंपनियों (जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल) को सरकार से वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 4,057.71 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ। चूँकि, हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप सरकार के परिसम्पत्तियों का उस स्तर तक अधिमूल्यन हुआ।

यह भी देखा गया कि इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 32,061.58 करोड़ था, जिसमें से 31 मार्च 2023 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 29,477.27 करोड़ था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि 31 मार्च 2023 तक ₹ 13,479.88 करोड़ था।

⁴ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 9,119.08 करोड़), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (- ₹ 823.30 करोड़), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (- ₹ 36.15 करोड़), झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (- ₹ 2.99 करोड़), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 16.39 करोड़) और करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 28.72 करोड़)

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2023 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 2,483.36 करोड़ का निवेश तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों⁵ (₹ 46.41 करोड़), 22 सरकारी कंपनियों (₹ 2,196.36 करोड़) और 22 सहकारी बैंकों और सोसायटीज़ (₹ 240.59 करोड़) में किया था। हालाँकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु शीर्ष के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूँजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने 2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आँका था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21 के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़⁶ के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया। हालाँकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁷ का निवेश अभी भी असमायोजित था। निवेश पर प्रतिफल तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	432.87	447.95	1,111.65	2,250.22	2,483.36
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.29	6.34	6.13	5.76	5.50
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	-6.29	-6.34	-4.78	-5.76	-5.50

स्रोत: वित्त लेखे

अपने निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान इक्विटी के रूप में एक ग्रामीण बैंक, चार⁸ राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और तीन सहकारी समिति (शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियाँ: ₹ 10.00 करोड़, जनजातीय सहकारी विकास निगम: ₹ 0.50 करोड़ तथा सिद्धो-कान्हो कृषि तथा

⁵ राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची (₹ 19.05 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका (₹ 8.40 करोड़)।

⁶ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम: ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम: ₹ 10 करोड़ और झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड: ₹ 15 करोड़।

⁷ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण: ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड: ₹ 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड: ₹ 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़।

⁸ झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 1,000 करोड़; झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम: ₹ 3 करोड़; अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम: ₹ 11.50 करोड़, झारखण्ड केंद्रीय रेल परियोजना: ₹ 13.50 करोड़; और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 50.00 करोड़।

वन्य उत्पाद राज्य सहकारी संघ लिमिटेड: ₹ 40 करोड़) में ₹ 233.14 करोड़ का निवेश किया।

14 नवम्बर 2000 तक दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा किये गए निवेश को अभी तक उत्तराधिकारी राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.18 में दिखाए गए संस्थाओं में इक्विटी निवेशों के अलावे राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं और अपने कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.19 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 2.19: पाँच वर्षों के दौरान प्रदत्त और वसूली गई ऋण की मात्रा

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	19,291.97	20,729.99	20,846.24	24,177.23	24,348.48
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	1,485.59	165.43	3,379.77	1,462.98	4211.14
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	47.57	49.19	48.78	1,291.73	46.41
बकाया ऋण का अंत शेष	20,729.99	20,846.23	24,177.23	24,348.48	28,513.21
निवल जोड़	1,438.02	116.24	3,330.99	171.25	4164.73
प्राप्त ब्याज	14.72	38.91	22.62	35.88	70.55
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.08	0.19	0.11	0.15	0.29
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	7.98	6.34	6.13	5.76	5.50
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.98	6.34	6.13	5.76	5.21

टिप्पणी- लेखों को पूर्णकृत करने के कारण 2020-21 में प्रारंभिक शेष ₹ 0.01 करोड़ से बढ़ गया

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋण (₹ 28,513 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से ऊर्जा कंपनियों (₹ 27,519 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 794 करोड़) के पास बकाया था।

मार्च 2023 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,707.08 करोड़ (मूलधन: ₹ 1,895.72 करोड़ और ब्याज: ₹ 1,811.36 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में विभिन्न कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222.18 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्यों बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि के अवरुद्ध होने से, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रहना पड़ता है। पुनः, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित वर्ष-वार और विभाग-वार सूचना जो 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले पूर्ण की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.20 और तालिका 2.21 में दी गई है।

तालिका 2.20: 31 मार्च 2023 तक अधूरी परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2023 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2018 तक	32	538.22	382.28	4	79.65
2019	15	649.11	465.72	-	-
2020	55	1,642.41	1,066.95	-	-
2021	32	1,254.28	774.23	2	157.76
2022	70	1,804.80	580.87	-	-
2023	5	26.99	21.72	-	-
कुल	209	5,915.81	3,291.77	6	237.41

तालिका 2.21: 31 मार्च 2023 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित राशि	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	बढी राशि
सड़क निर्माण विभाग	62	3,126.10	1,935.56	1	141.18
ग्रामीण विकास विभाग	24	157.06	107.88	2	23.90
जल संसाधन विभाग	57	2,018.76	860.51	2	53.84
ग्रामीण कार्य विभाग	46	102.54	61.70	-	-
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	15	400.67	265.92	1	18.49
भवन निर्माण विभाग	5	110.68	60.20	0	0
कुल	209	5,915.81	3,291.77	6	237.41

स्रोत: वित्त लेखे

209 परियोजनाओं में से केवल छः परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन छः परियोजनाओं में ₹ 177.23 करोड़ की अनुमानित लागत उन परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के कारण ₹ 237.41 करोड़ तक बढ़ गई। चूँकि, शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उनकी संशोधित लागतें वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार, उसकी गणना नहीं की जा सकी।

2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय

राज्य के वित्त लेखे से यह देखा गया कि ₹ 3,177.21 करोड़ समेकित निधि के पूँजीगत शीर्ष लेखे से लोक लेखा के स्थानीय निधि जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे, जैसाकि तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष			राशि	
	से	तक			
1	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	206.45
2	4059	लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	13.41
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	1.84
4	4202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 101- जिला निधि	8.00
				स्थानीय निधि का जमा- 109- पंचायत निकाय निधि	17.79
5	4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	930.19
				स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	595.22
6	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	391.66
7	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	619.54
8	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	390.61	
9	4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	2.50	
कुल					3,177.21

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था, जिसके कारण पूँजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका।

आगे, यह देखा गया कि लघु शीर्ष '108-लोक निर्माण कार्य जमा' अंतर्गत ₹ 4,258.01 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 1,738.47 करोड़ जोड़ा गया था तथा ₹ 1,766.91 करोड़ व्यय किया गया, जिससे मार्च 2023 के अंत में ₹ 4,229.57 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार, ₹ 850.24 करोड़ लघु शीर्ष '106- व्यक्तिगत जमा' के अंतर्गत ₹ 2,018.13 करोड़ के प्रारंभिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 499.59 करोड़ व्यय किया गया, जिससे ₹ 2,368.79 करोड़ का शेष रहा।

2.4.8 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और आधारभूत संरचना प्रदान करती है। तालिका 2.23 झारखण्ड में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाओं दर्शाता है।

तालिका 2.23: 2022-23 में पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		कार्यशील	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	2	अनुपलब्ध
2	ऊर्जा	1	181.43	1	अनुपलब्ध
3	स्वास्थ्य	-	-	1	अनुपलब्ध
4	पर्यटन	-	-	1	अनुपलब्ध
5	सड़क एवं पुल	8	2,831.19	2	अनुपलब्ध
कुल		9	3,012.62	7	अनुपलब्ध

स्रोत: www.pppinindia.gov.in

2.4.9 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) को कम माना जाता है, यदि इस पर आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होता है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है। राज्य के व्यय की प्राथमिकता तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	पूँ. व्यय/ कु.व्य.	सा. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	आ. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	वि. व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्य (2017-18)	15.56	36.65	31.17	67.82	15.17	5.09
झारखण्ड (2017-18)	21.32	32.64	40.46	73.10	12.71	4.41
सामान्य श्रेणी के राज्य (2022-23)	15.22	38.11	29.17	67.28	14.85	5.68
झारखण्ड (2022-23)	21.47	38.70	32.82	71.53	14.77	6.23


जैसा कि तालिका 2.24 से देखा जा सकता है, 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय, विकासात्मक व्यय और आर्थिक क्षेत्र व्यय का कुल व्यय (टी.ई.) से अनुपात में 2017-18 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में गिरावट हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों ने वर्ष के दौरान सुधार दिखाया। 2017-18 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय का अनुपात काफी बढ़ गया।

आगे, तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान, राज्य के कुल व्यय से सभी क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात शिक्षा पर व्यय को छोड़कर जो थोड़ा कम था, सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से अधिक था। 2017-18 की तुलना में व्यय का केंद्र-बिंदु आर्थिक क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, जैसा कि तालिका 2.24 से देखा जा सकता है।

2.4.10 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे प्रायः लघु शीर्ष स्तर तक के लेन-देन को दर्शाता है। हालाँकि, वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक का विवरण दिखाया जाता है। चार्ट 2.11 प्रमुख वस्तुओं पर राजस्व व्यय के विषय/ उद्देश्य की हिस्सेदारी दिखाता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर राजस्व व्यय (प्रतिशत में)



जैसा कि चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है, वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा

(49.54 प्रतिशत) खर्च किया गया। राज्य में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान पर कुल राजस्व व्यय का नौ प्रतिशत से ज्यादा व्यय किया गया, जिसका मुख्य हिस्सा (₹ 3,157.22 करोड़) विकासात्मक प्राधिकारियों को प्रदान किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियाँ और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.25 में दिया गया है।

तालिका 2.25: 31 मार्च 2023 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-)1,211.11	(-)1,216.86	(-)1,194.40	(-)1,001.19	(-)1,016.98
J. रक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित रक्षित निधि	(-)1,930.09	(-)5,948.02	(-)6,320.39	(-)5,904.48	(-)5,131.79
	(ब) ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	(-)12.64	(-)39.55	(-)25.33	(-)24.15	(-)78.94
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)19,853.80	(-)21,065.20	(-)24,331.45	(-)23,585.14	(-)26,876.14
	(स) अग्रिम	6.28	7.15	19.67	19.67	17.66
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	5.42	(-)91.29	(-)146.35	(-)119.25	(-)414.30
	(ब) अन्य लेखे	207.09	3,117.62	2,855.90	4,519.46	5,187.74
	(स) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(द) विविध	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60
M. प्रेषण	(अ) मनीऑर्डर एवं अन्य प्रेषण	(-)118.85	(-)114.25	(-)133.68	(-)125.38	(-)87.35
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	19.57	31.95	7.23	12.74	10.81
कुल		(-)22,888.13	(-)25,318.45	(-)29,267.20	(-)26,206.12	(-)28,387.69

नोट: (+) डेबिट शेष एवं (-) क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं

2022-23 के दौरान क्रेडिट शेष में वृद्धि, मुख्य रूप से शीर्ष 8448-स्थानीय निधि की जमा (₹ 2,742.65 करोड़ से) के अंतर्गत अन्य निधियों के रूप में जमा के तहत जमा व अग्रिम में वृद्धि के कारण हुई।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि थी; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

राज्य आपदा मोचन निधि

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त हिस्से के साथ-साथ अपने हिस्से को एस.डी.आर.एफ. के लोक लेखा में प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई. की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

आगे, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज की दर (7.57 प्रतिशत) से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करना था, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालाँकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-23 की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ₹ 1,002.80 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2022-23 में अदत्त ब्याज ₹ 131.95 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 तक निधि में ₹ 1,111.26 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी, जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाते है। इस तरह, निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है। **तालिका 2.26** राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय के विवरण को दर्शाता है।

तालिका 2.26: एस.डी.आर.एफ को भारत व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2022-23 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- नि: शुल्क राहत	2.42
	113- घर के मरम्मत और पुनर्निर्माण	3.32
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	0.82
उप-योग		6.56
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 05- राज्य आपदा मोचन निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-रा.आ.मो.नि.	0.00
	901- कटौती - राज्य आपदा मोचन निधि से मिली राशि	850.42
उप-योग		(-)850.42
2245-प्राकृतिक आपदा पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	318.55
उप-योग		318.55
कुल योग		(-)525.31

उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने भी वर्ष के दौरान चक्रवाती तूफान 'यास' के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 200 करोड़ जारी किए और राज्य सरकार ने शीर्ष '2245-02-101-10-एन.डी.आर.एफ. से प्राप्त राहत सहायता (केन्द्र प्रायोजित योजना)' के तहत बजट प्रावधान किया। निधि का उपयोग नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया। चक्रवात के पूर्वानुमान में भारत सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की गई जो घटित नहीं हुई और राज्य के नकद शेष में राशि पड़ी रही। राज्य द्वारा 2022-23 में ₹ 200 करोड़ की अव्ययित राशि एस.डी.आर.एफ. को हस्तांतरित की गई है।

राज्य आपदा शमन निधि

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) (सी) के तहत किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य के लिए है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा शमन निधि के तहत एसडीएमएफ का गठन नहीं किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 113.60 करोड़ (वर्ष 2021-22 से संबंधित) प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 37.80 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि का निर्माण नहीं किया और केंद्र

सरकार से प्राप्त राशि को अपने हिस्से (कुल ₹ 151.40 करोड़) के साथ हस्तांतरित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

क्षतिपूरक वनीकरण निधि (लेखा पद्धति) नियम, 2018 के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी धनराशि प्रथम दृष्टया मुख्य शीर्ष '8336- सिविल जमा' के अंतर्गत लघु-शीर्ष '103- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधि' के अंतर्गत लघु-शीर्ष- '129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष '8336-सिविल जमा-11-झारखण्ड' के अंतर्गत लघु-शीर्ष '102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा' को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, विशेष प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष '8121- सामान्य और अन्य रक्षित निधि' के अंतर्गत लघु शीर्ष- '129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करना था।

रा.क्ष.व.नि. का आरंभिक शेष ₹ 4,178.80 करोड़ था जिसमें 2022-23 के दौरान कोष में प्राप्त ₹ 161.56 करोड़ और वर्ष के दौरान कोष से ₹ 319.84 करोड़ व्यय के बाद 31 मार्च 2023 को ₹ 4,020.52 करोड़ अंतिम शेष रहा।

चूँकि, रा.क्ष.व.नि. एक ब्याज वहन करने वाली रक्षित निधि है, इसलिए सरकार को ₹ 131.99 करोड़ का ब्याज देना था जिसकी गणना वर्ष के दौरान ₹ 319.84 करोड़ के व्यय को छोड़कर 1 जनवरी को आरबीआई की रिवर्स रेपो दर के अनुसार {शुरुआती शेष (₹ 4,178.80 करोड़) पर 3.35 प्रतिशत} की गई। आगे, पिछले वर्ष से संबंधित ₹ 21.57 करोड़ के ब्याज को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा कोष को भुगतान किया जाने वाला कुल ब्याज ₹ 161.56 करोड़ हो गया। इसके गैर-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि के कारण देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना (2016-17) की है।

झारखण्ड सरकार ने 2016-17 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा) का न्यूनतम

0.50 प्रतिशत राज्य सरकार के समेकित हास निधि (कुल आंतरिक ऋण और लोक लेखा) में योगदान कर सकते हैं।

वर्ष 2022-23 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का बकाया ऋण ₹ 1,13,482.50 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ का एक बजट प्रावधान बनाया गया तथा हास निधि में अंतरण किया गया और प्रारम्भिक शेष में ₹ 503.87 करोड़ जोड़ा गया, जिससे मार्च 2023 के अंत में निधि में ₹ 1,003.87 करोड़ का अंत शेष हो गया। 2022-23 के दौरान, ₹ 500 करोड़ इस निधि से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश किये गये।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत के संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारतीय सीमा के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और जैसा तय किया गया हो ऐसी सीमाओं के अंदर प्रत्याभूति दे सकती है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी किए गए बॉन्ड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूति से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना चाहिए था। हालाँकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2023 तक राज्य द्वारा ₹ 4,998.38 करोड़ की प्रत्याभूति दी गयी थी।

श्रम उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 68.81 करोड़ एकत्र किए, जिससे 2008-23 की अवधि के दौरान सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों से सरकार द्वारा उपकर के रूप में कुल ₹ 733.00 करोड़ का संग्रह हुआ। एकत्रित उपकर को मार्च 2022 के अंत तक श्रम कल्याण बोर्ड निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया, जिससे प्रासंगिक वर्षों (2008-22) के दौरान राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति हुई और राज्य के राजकोषीय घाटा की न्यूनोक्ति हुई। हालाँकि, 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को ₹ 154 करोड़ हस्तांतरित (जून 2022) किये गये। **तालिका 2.27** सरकार द्वारा एकत्र किए गए और बोर्ड को हस्तांतरित किए गए श्रम उपकर को दर्शाती है।

तालिका 2.27: सरकार द्वारा एकत्र किए गए और बोर्ड को हस्तांतरित किए गए श्रम उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2016-17 तक	312.90	5.08	573.92
2017-18	80.77	-	
2018-19	79.81	-	
2019-20	76.70	-	
2020-21	59.15	-	
2021-22	54.86	-	
2022-23	68.81	154.00	
कुल	733.00	159.08	573.92

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 2021-22 तक के अपने लेखे को अंतिम रूप दे दिया। 2022-23 तक निधियों की प्राप्तियाँ और इसका उपयोग जैसा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तालिका 2.28 में दिखाया गया है।

तालिका 2.28: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि और उसकी उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा दी गई राशि	बोर्ड द्वारा प्रत्यक्षतः प्राप्त उपकर	कुल प्राप्तियाँ	योजनाओं पर बोर्ड द्वारा व्यय राशि ⁹	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुपयुक्त शेष राशि
(1)	(2)	(3)	(2+3)=4	(5)	(6)	(5+6)=7	(4-7)=8
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0.00	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0.00	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0.00	90.19	90.19	59.19	0.89	60.08	30.10
2019-20	0.00	120.00	120.00	75.78	0.83	76.61	43.40
2020-21	0.00	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
2021-22	0.00	124.31	124.31	101.64	2.23	103.87	20.44
2022-23	154.00	371.92	525.92	94.26	1.98	96.24	429.68
कुल	159.08	1,274.50	1,433.58	626.22	11.38	637.60	795.98

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 626.22 करोड़, जबकि स्थापना पर ₹ 11.38 करोड़ खर्च किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धनराशि का केवल 44.48 प्रतिशत ही उपयोग किया।

अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार

वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान भूमि उपकर के रूप में ₹ 104.49 करोड़ एकत्र किए जिससे 2008-23 की अवधि के दौरान कुल

⁹ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण दिनांक 20.09.2023 के अनुसार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 24 योजनाएं चल रही हैं।

₹ 184.73 करोड़ का संग्रह हुआ। हालाँकि, मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि (मुख्य शीर्ष '8448-101 जिला निधि) में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी।


इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड (श्रम उपकर: ₹ 68.81 करोड़) और जिला परिषदों (भूमि उपकर: ₹ 104.49 करोड़) को हस्तांतरित किया जाने वाला कुल उपकर ₹ 173.30 करोड़ था। इसके हस्तांतरण नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

2.5.4 लोक दायित्व प्रबंधन

लोक दायित्व प्रबंधन राज्य की देनदारी के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित की गयी हो, हेतु रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि में राज्य के कुल बकाया देयता की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.12 में दिखाई गई है। 31 मार्च 2023 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: बकाया लोक ऋण और स.रा.घ.उ. में इसका प्रतिशत



नोट: बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।

2.5.4.1 देनदारी विवरण: अवयव

राज्य सरकार के कुल देनदारी में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए

गए विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण तथा लोक लेखा दायित्व समाहित होता है।

2018-23 के दौरान लोक दायित्व और लोक लेखा दायित्वों की प्राप्तियाँ और देयताओं के पश्चात् धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29: घटक वार दायित्व प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल बकाया दायित्व(अ+ब)	83,782.93	94,406.60	1,09,184.99[#]	1,13,482.47[#]	1,18,448.22
अ. लोक दायित्व	60,775.27	66,136.98	76,938.35	82,531.53	84,944.37
(i) आंतरिक दायित्व	58,436.19	63,545.46	71,956.90	74,538.31	73,580.43
(ii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,339.08	2,591.52	4,981.45	7,993.22	11,363.94
ब. लोक लेखा का उत्तरदायित्व	23,007.66	28,269.62	32,246.24	30,950.94	33,503.85
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,211.11	1,216.85	1,194.40	1,001.19	1,016.98
ब्याज सहित रक्षित निधि	1,930.09	5,948.03	6,720.39	6,340.46	5,531.78
ब्याज सहित जमा	12.64	39.55	25.33	24.15	78.94
ब्याज रहित जमा	19,853.82	21,065.19	24,306.12	23,585.14	26,876.15
स. गैर बजटीय उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	8.67	12.68	15.65	3.94	4.38
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
कुल उत्तरदायित्व /स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	27.41	30.42	36.23*	30.93*	30.08
उधार एवं अन्य उत्तरदायित्व (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियाँ	22,223.80	30,980.35	32,562.62	25,623.42	31,856.35
कुल पुनर्भुगतान	15,535.90	20,356.68	17,784.23	21,325.90	26,890.62
ब्याज भुगतान	4,851.97	5,307.71	5,790.00	6,286.05	6,238.29
निधि की निवल उपलब्धता	1,835.93	5,315.96	8,988.39	(-)1,988.53	(-)1,272.56
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	91.74	82.84	72.40	107.76	103.99

बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।


* कुल बकाया/ स.रा.घ.उ. अनुपात में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, क्योंकि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की वित्तीय देनदारियों का बंटवारा अब तक नहीं किया गया है।


उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता में 2018-19 से 2022-23 के दौरान (-) ₹ 1,988.53 करोड़ और ₹ 8,988.39 करोड़ के बीच में व्यापक दोलन हुआ। 2018-19 से 2020-21 के दौरान लगातार बढ़ती प्रवृत्ति के बाद, यह 2021-22 में नकारात्मक ₹ 1,989.53 करोड़ और 2022-23 में नकारात्मक ₹ 1,272.56 करोड़ तक कम हो गया। 2022-23 के दौरान निधि की उपलब्धता में कमी का मुख्य कारण सरकार द्वारा बाजार ऋण के रूप में कम उधार (₹ 1,000 करोड़ से) तथा वर्ष के दौरान बिना किसी प्राप्ति के क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एफ.एफ) का पुनर्भुगतान था।

वर्ष 2021-22 में 21.31 प्रतिशत के कमी के विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान, लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 24.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोक ऋण और ब्याज सहित अन्य देनदारियों की पुनर्भुगतान में पिछले वर्ष से (17.13 प्रतिशत की वृद्धि) 19.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता हुई। 2022-23 के दौरान घटक-वार बकाया देनदारी प्रवृत्ति चार्ट 2.13 में दिखाया गया है, जबकि, चार्ट 2.14 2018-23 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान को दर्शाता है।

चार्ट 2.13: 2022-23 के अंत में कुल बकाया देन-दारियों का ब्यौरा



चार्ट 2.14: आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान



2018-23 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटा के अवयव					
1 राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-)	5,521	1,960	-3,114	6,944	13,564
2 निवल पूँजीगत व्यय	-10,712	-9,879	-8,466	9,377	14,016
3 निवल उधार व अग्रिम	-1,438	-116	-3,331	171	4,165
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप					
1 बाजार से उधार	4,023	5,656	8,900	3,746	400
2 भारत सरकार से ऋण	106	252	2,390	3,012	3,372
3 एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-757	-769	-769	-770	-769
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,371	222	281	-395	-588
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	69	6	-23	-193	16
6 जमा एवं अग्रिम	1,496	1,238	3,215	-722	3,346
7 उचंत एवं विविध	127	97	53	-27	295
8 प्रेषण	60	-17	44	-14	-36
9 रक्षित निधि	379	4,018	772	-380	-809
10 कर्णांकित कोष में निवेश	0.00	0.00	304	200	500
11 कुल घाटा	6,874	10,703	15,167	4,457	5,727
12 नकद शेष में वृद्धि (+)/ कमी (-)	-245	-2,668	-256	-1,853	-1,110
13 कुल राजकोषीय घाटा	6,629	8,035	14,911	2,604	4,617
<i>नोट:</i> ₹ 618.21 करोड़ से राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई, जैसा कि कंडिका 1.5 में ब्यौरा दिया गया है।					

जैसा तालिका 2.30 से देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था। इसलिए, राजकोषीय घाटा (₹ 4,617 करोड़) पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम पर उधार ली गई निधि के उपयोग के कारण हुई।

2022-23 के दौरान, ₹ 4,617 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से भारत सरकार के ऋण (₹ 3,371 करोड़) और जमा और अग्रिम (₹ 3,346 करोड़) द्वारा वित्तपोषित किया गया था।


2.6 लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान

लोक ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा लोक ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.31: राज्य के ऋण पुनर्भुगतान की परिपक्वता की रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	लोक ऋण के सापेक्ष प्रतिशतता
0 - 1	4,616.11	5
1 - 3	13,595.17	16
3 - 5	10,822.07	13
5 - 7	11,486.53	14
7 और अधिक	44,424.49	52
कुल	84,944.37	100

चार्ट 2.15: लोक ऋण परिपक्वता रूपरेखा



जैसा कि तालिका 2.31 और चार्ट 2.15 में देखा जा सकता है झारखण्ड सरकार के लोक ऋण की परिपक्वता के कारण आने वाले वर्षों में मोचन दबाव लगभग ₹ 5,000 करोड़ और ₹ 6,000 करोड़ के बीच रहेगा। हालाँकि, यह राज्य के नए उधार की परिपक्वता के मामले में परिवर्तित होगा।

आगे, राज्य के अगले 10 वर्षों के लिए ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान के विश्लेषण ने वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गए विवरणी के आधार पर एक मिश्रित रूझान दिखाया, जैसा कि तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: राज्य की अगले दस वर्षों में लोक ऋण पुर्नभुगतान की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अदायगी	ब्याज	कुल
2022-23	6,729	6,238	12,968
2023-24	4,616	6,060	10,676
2024-25	6,654	5,930	12,585
2025-26	6,941	5,649	12,590
2026-27	6,504	5,368	11,872
2027-28	4,318	5,143	9,461
2028-29	6,780	5,110	11,890
2029-30	4,707	4,884	9,591
2030-31	5,727	4,841	10,568
2031-32	3,989	4,720	8,710

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

जैसा कि तालिका 2.32 से स्पष्ट है, राज्य के लोक ऋण परिपक्वता रूपरेखा मोचन दबाव वर्तमान ऋण देयता के अनुसार, 2022-23 से 2031-32 के दौरान लगभग समान रहेगी। मौजूदा देनदारी के मुताबिक, मूलधन और ब्याज की कुल अदायगी अगले 10 वर्षों के दौरान ₹ 8,710 करोड़ से ₹ 12,968 करोड़ के बीच होगी। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आलोक में मूलधन और ब्याज का भुगतान धारणीय होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्य द्वारा लिए गए नये उधारों की परिपक्वता की स्थिति में बदल सकता है।

2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

2.6.1.1 एफआरबीएम संकेतकों पर आधारित ऋण धारणीयता विश्लेषण

राजकोषीय धारणीयता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। वित्त आयोग (वि.आ.) ने केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की हैं। झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा नहीं बनाए रखने का निर्णय लिया। एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष बजट के साथ प्रस्तुत एम.टी.एफ.पी विवरण में स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

ऋण स्टॉक की स्थिति की तुलना में 15^{वें} वि.आ. लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तालिका 2.33 में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		स.रा.घ.उ. से बकाया देनदारियाँ (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	15 ^{वें} वि.आ. लक्ष्य	वास्तविक
2018-19	3.00	2.17	27.20	27.41	8.32	8.64
2019-20	3.00	2.59	27.10	30.42	8.08	9.09
2020-21	5.00*	5.03	27.00	36.23 [#]	-	10.31
2021-22	4.00*	0.73	33.00	30.93 [#]	-	9.02
2022-23	3.50	1.17	33.15	30.08	-	7.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.सी. प्रतिवेदन

नोट: जैसा कि कंडिका 1.5 में बताया गया है, राजकोषीय घाटा ₹ 618.21 करोड़ कम बताया गया है।

इसमें 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किए गए थे।

* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2020-21 तथा 2021-22 के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत से बढ़ गया था।

तालिका 2.33 से देखा जा सकता है, राज्य सरकार 2022-23 के दौरान लक्ष्य के अन्दर राजकोषीय घाटे को बनाये रखने में सक्षम रही। जबकि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऋण से स.रा.घ.उ. अनुपात अपने लक्ष्य से अधिक था, 2021-22 और 2022-23 के दौरान यह लक्ष्य के अन्दर बना रहा। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान

के अनुपात के लिए मानक अनुमान प्रदान नहीं किया गया था। हालाँकि, 15वें वि.आ. द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्षों की तुलना में 2020-26 की अवधि के दौरान नौ प्रतिशत रखी जानी चाहिए, जो 2020-21 को छोड़कर जब यह 10.31 प्रतिशत था, राज्य द्वारा हासिल की गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य में राजस्व प्रप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात 7.77 प्रतिशत थी।

2.6.1.2 ऋण धारणीयता संकेतक

ऋण वहनीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों और डोमार दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं:

(अ) ऋण वहनीयता का तात्पर्य राज्य की अभी और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। तालिका 2.34 और चार्ट 2.16 में दिए गए ऋण वहनीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण है।

तालिका 2.34: ऋण धारणीयता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया सार्वजनिक ऋण* (वर्ष के 31 मार्च को)	60,775.27	66,136.99	75,249.75	80,047.12	84,944.37
बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर	8.47	8.82	13.78	6.38	6.12
स.रा.घ.उ.	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	13.30	1.51	-4.40	20.97	9.71
लोक ऋण/ स.रा.घ.उ.	19.88	21.31	25.37	22.31	21.57
ऋण पुनर्भुगतान की परिपक्वता प्रोफाइल	3,060.10	4,231.40	2,744.82	4,247.08	6,729.46
लोक ऋण पर औसत ब्याज दर**	7.91	7.98	7.51	7.48	7.05
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	4,617.23	5,066.29	5,312.44	5,805.62	5,813.08
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	8.22	8.67	9.46	8.33	7.24
ऋण पुनर्भुगतान का ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	39.21	44.11	20.26	43.16	73.61
राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण#	126.10	295.43	5,489.32	-212.83	-3,400.24
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध ऋण	1.62	3.08	40.52	-2.16	-37.19
प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक अधिशेष (+)	-1,777.36	-2,726.87	-9,120.26	3,681.84	1,621.56
ऋण स्थिरीकरण (लोक ऋण पर आधारित) (क्वांटम प्रसार \$ + प्राथमिक घाटा)	2,147.17	-5,660.51	-16,084.19	15,126.50	4,996.82

स्रोत: वित्त लेखे


* बकाया सार्वजनिक ऋण शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ और ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

** भुगतान किया गया ब्याज/(लोक ऋण का प्रारंभिक जमा+लोक ऋण का अंतशेष/2) (प्रतिशत में)

राज्य सरकार के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण, लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण पर चुकाए गए ब्याज की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में गणना की जाती है।

\$ क्वांटम प्रसार= लोक ऋण*(स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर)

चार्ट 2.16: ऋण धारणीयता संकेतकों के रुझान



स्रोत: वित्त लेखे

गिरते ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। इसके अलावा, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या अंततः ऋण स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः कम हो जाएगा। तालिका 2.34 से यह देखा जा सकता है कि:

- बकाया लोक ऋण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव देखा गया था।
- राज्य के आर्थिक उत्पादन की तुलना में ऋण के सापेक्ष आकार का आकलन करने के लिए लोक ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से इसमें गिरावट का रुख देखा गया।
- औसत ब्याज दर आम तौर पर कम हुई है, जिसका ब्याज भुगतान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- पिछले कुछ वर्षों में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत अलग-अलग था लेकिन आम तौर पर एक निश्चित सीमा के भीतर ही रहा।
- ऋण प्राप्तियों के मुकाबले ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत आम तौर पर बढ़ा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उच्च अनुपात उधार पर अधिक निर्भर हुए बिना ऋण दायित्वों को पूरा करने में चुनौतियों का संकेत देता है।

- राज्य को उपलब्ध निवल ऋण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण नकारात्मक मूल्य के साथ उतार-चढ़ाव देखा गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्राथमिक अधिशेष के साथ, प्राथमिक घाटा/अधिशेष भी भिन्न-भिन्न रहा।
- क्वांटम प्रसार और प्राथमिक घाटे के योग के रूप में ऋण स्थिरीकरण की गणना की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर पिछले कुछ वर्षों में दोलन देखा गया, और यह सकारात्मक था।

(ब) ई. डी. डोमार [डोमार, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण धारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमार मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को धारणीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों को चुकाने में सक्षम है और ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात असहनीय अनुपात में नहीं बढ़ता है। डोमार मॉडल लोक ऋणों के विश्लेषण के मॉडलों में से एक है, जो बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक हो जाती है, तो ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर होने की संभावना है।
तालिका 2.35 डोमार धारणीयता की शर्तें दिखाती हैं:

तालिका 2.35: डोमार मॉडल के तहत ऋण धारणीयता मानदंड

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), डोमार अंतर कहा जाता है	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर रहना चाहिए	स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।	अनिर्धारित स्थिति

डोमार विश्लेषण को झारखण्ड के सन्दर्भ में लागू करने से पता चला कि राजकोषीय देनदारियाँ स्थिर स्तर पर रह सकती हैं, जैसा कि तालिका 2.36 में दिखाया गया है।

तालिका 2.36: 2018-23 के दौरान राज्य के ऋण भंडार की स्थिरता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार अंतर (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	अभियुक्ति
	(प्रतिशत में)			(₹ करोड़ में)	
2018-19	8.87	2.39	6.48	(-) 1,777	जैसाकि जी-आर > 0 और एस<0; स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए
2019-20	1.08	2.14	-1.06	(-) 2,727	जैसाकि जी-आर<0 और एस <0; स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2020-21	-5.30	0.81	-6.11	(-) 9,121	
2021-22	10.87	1.25	9.62	3,682	जैसाकि जी-आर >0 और एस >0; स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
2022-23	6.76	-0.64	7.40	1,622	

वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक स.रा.घ.उ. (अर्थात् स्थिर कीमतों पर) के लिए की गई है।
वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय देनदारियों पर मुद्रास्फीति घटाकर औसत ब्याज दर के रूप में की जाती है।
औसत मुद्रास्फीति सीएसओ, एमओएसपीआई से प्राप्त की गई है।

जैसा कि तालिका 2.36 में दिखाया गया है, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, जबकि इस अवधि के दौरान डोमार अंतर में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। 2019-20 और 2020-21 के दौरान, प्राथमिक घाटे के साथ डोमार अंतर नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक प्रगति का संकेत था। 2021-22 और 2022-23 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार अंतर सकारात्मक था जो लोक बचत के लिए स्थिर आर्थिक स्थितियों का संकेत देता है। 2021-22 के दौरान, 2020-21 (कोविड वर्ष) के कम आधार के कारण, वास्तविक आर्थिक प्रगति उच्चतम (10.87 प्रतिशत) थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार अंतर (9.62 प्रतिशत) हुआ।

2.6.2 उधार निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूँजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है। उधार निधि की उपयोगिता तालिका 2.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल उधार	7,803.43	9,593.12	13,546.58	9,839.87	9,142.30
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन)	3,060.10	4,231.40	2,744.82	4,247.08	6,729.46
3	निवल पूँजीगत व्यय	10,711.71	9,878.71	8,465.66	9,376.90	14,015.59
4	निवल ऋण व अग्रिम	1,438.43	116.24	3,330.99	17.25	4,164.73
5	निवल उपलब्ध उधार से पूरित राजस्व व्यय का अंश (1-2-3-4)	-7,406.81	-4,633.23	-994.89	-3,801.36	-15,767.48
6	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	4,617.23	5,066.29	5,312.44	5,805.62	5,813.08

स्रोत: वित्त लेखे

2022-23 के दौरान राज्य को पूर्व के उधारों के लिए ₹ 6,729.46 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान हुए राजस्व अधिशेष से पूरा कर लिया गया, जिससे पूँजीगत व्यय और राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के लिए उधार ली गई निधियों की अधिक उपलब्धता हुई। लोक ऋण द्वारा पूरा नहीं किए गए पूँजीगत व्यय का हिस्सा लोक लेखा शेष से पूरा किया गया था।

कुल उधार ली गई निधि का उपयोग पूँजीगत व्यय के लिए तथा ऋण और अग्रिम के भुगतान पर उपयोग किया गया था।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएँ)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने के लिए, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति देनदारियाँ हैं जो लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, राज्य की समेकित निधि पर निर्भर करती है।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालाँकि, वित्त विभाग के अनुसार, 2022-23 तक ऊर्जा कंपनियों को ₹ 2,378.23 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ₹ 2,463 करोड़ की प्रत्याभूति दी गई है। इस संबंध में कोई और विवरण नहीं दिया गया है।

सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेएसईबी) के पक्ष में फरवरी 2013 में ₹ 157.15 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था, जो जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में संशोधन हेतु अभी तक लंबित था। तालिका 2.38 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ दर्शाता है।

तालिका 2.38: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	607.15	607.15	607.15	607.15	4,998.39

स्रोत: वित्त लेखे

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्ल्यू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी.) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण

डब्लू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (17 अप्रैल 2020 से लागू ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में घटकर 31 मार्च 2022 से लागू ₹ 1,067 करोड़ हो गया)।

कोई भी अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में नहीं लिया गया।

राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोषागार विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

2021-22 और 2022-23 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक विवरण तालिका 2.39 दिखाता है और 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को तालिका 2.40 दिखाता है।

तालिका 2.39: नकद शेष और इसका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2023 को अन्त शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा	149.37	91.07
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-स्थानीय	0	0
उप-योग	149.37	91.07
नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	4,480.63	5,149.41
कुल (अ)	4,630.00	5,240.48
ब. अन्य नकद शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	38.67	38.17
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णाकित निधि में निवेश	903.87	1,403.87
कुल (ब)	942.70	1,442.20
कुल (अ + ब)	5,572.70	6,682.68
ब्याज प्राप्ति	58.63	91.14

स्रोत : वित्त लेखे

31 मार्च 2023 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ₹ 5,149.41 करोड़ थी और 2022-23 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 91.14 करोड़ था।

2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य का नकद शेष निवेश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2012-13 में राज्य ने एस.डी.आर.एफ. के कर्णांकित निधियों से ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था। ₹ 1,111.26 करोड़ के शेष को जैसा कि एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश में निर्धारित है, निवेशित नहीं किया गया था। 31 मार्च 2023 को हास निधि में हस्तांतरित ₹ 1,003.87 करोड़ में से ₹ 500 करोड़ का निवेश वर्ष 2022-23 में राज्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किया गया।

तालिका 2.40: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	अर्जित ब्याज
2018-19	354.56	167.90	(-)186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	(-)259.42	58.59
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	60.21
2022-23	4,480.63	5,149.41	668.78	91.14

लेखों में परिलक्षित आंकड़े {₹ 91.07 करोड़ (डेबिट)} तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित किये गए आंकड़ों {₹ 95.29 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 186.36 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। इस अंतर के समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई., राँची के साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

चार्ट 2.17 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकद शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है।

चार्ट 2.17: बाजार ऋण (निवल) एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति



वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 400 करोड़ की ऋण की उगाही की, जबकि उसी समय, नकद शेष वर्ष 2021-22 में ₹ 5,572.70 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष के अंत में ₹ 6,682.68 करोड़ रहा।

2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे के संकेतक, राजस्व आवर्धन और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में राजस्व घाटे को शून्य तक कम करने के लक्ष्य को दी गई समय-सीमा से काफी पहले अपने हासिल कर लिया है। 2020-21 को छोड़कर राज्य में पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, 2020-21 को छोड़कर जब यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था, राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अन्दर था।

2022-23 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 78.53 प्रतिशत था। 2021-22 में ₹ 9,377 करोड़ के विरुद्ध 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 14,016 करोड़ था। 2022-23 के दौरान, पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर 227.28 प्रतिशत अधिक व्यय के कारण हुई।

राज्य के कुल व्यय में, सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार बढ़ा, जबकि सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2022-23 के दौरान घट गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2018-19 में 38 प्रतिशत से 2022-23 में 33 प्रतिशत तक लगातार घटा, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

उधार ली गई कुल निधि ₹ 9,142.30 करोड़ का उपयोग पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिम के भुगतान पर किया गया था। राज्य को 2022-23 के दौरान पहले के उधारों के लिए ₹ 6,729.46 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व आधिक्य से पूरा हुआ था।

31 मार्च 2023 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 2,483.36 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इनके निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान इक्विटी के रूप में ग्रामीण बैंक, राज्य पी.एस.यू. और सहकारिताओं में ₹ 233.14 करोड़ का निवेश किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण के रूप में एक बड़ी राशि (₹ 28,513 करोड़) मार्च 2023 के अंत तक बकाया थी।

कुल दायित्व¹⁰ 2021-22 में ₹ 1,13,483 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,18,448 करोड़ हो गई। एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 33.15 प्रतिशत के विरुद्ध

¹⁰ इसमें 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले में प्राप्त किए गए।

राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात 30.08 प्रतिशत था। समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-23 की अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर ₹ 1,002.80 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। आगे, सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 500 करोड़ का अंतरण किया।

₹ 173.30 करोड़ का विभिन्न उपकर एकत्र कर राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित किया गया। सरकारी विभागों ने एकत्र उपकर संबंधित बोर्डों को हस्तांतरित नहीं किया।

2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को अपने निवेश और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश और ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकारी उधार लागत के बराबर हो सके। अन्यथा, निवेश में प्रतिफल की नगण्य दर के साथ बढ़ती राजकोषीय देनदारियाँ अवहनीय ऋण की स्थिति को जन्म दे सकती हैं।
- राज्य को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और एम.टी.एफ.पी. विवरणियों में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अपने वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे।
- झारखण्ड सरकार श्रम कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का पूरा हस्तांतरण यथाशीघ्र सुनिश्चित कर सकता है, ताकि बोर्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

परिचय

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा करता है और पूरक अनुदान एवं सहगामी वित्तीय प्रबंधन सहित आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करता है कि नीतिगत स्तर पर लिया गया निर्णय निधि के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है। यह विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और अनुदान के अनुसार विनियोगों का विवरण तथा आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करता है।

3.1 बजटीय प्रक्रिया


बजट का वार्षिक अभ्यास सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। सामान्यतः बजट प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी करने के साथ (सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितम्बर में) शुरू होती है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान तैयार करने में सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल होता है। इसमें बजट अनुमान तैयार करने में एकरूपता हेतु नमूना प्रारूप भी शामिल रहता है। राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया को नीचे चित्र में दर्शाया गया है:



विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय वहन करने के लिए अनिवार्य शर्त है। अलग-अलग सरकारी विभागों का मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय नियम बनाए हैं और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए प्रावधान किया है जो व्यय की सीमा निर्धारित करते हैं और विनियोग और पुनर्विनियोग पर प्रतिबंध के साथ ऐसे व्यय को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत स्तर हैं।

पूरक अनुदानों के अलावा, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के भीतर निधियों के पुनर्आवंटन के लिए भी किया जाता है। पुनर्विनियोजन अनुदान के एक ही खंड (राजस्व-दत्त, राजस्व-भारित, पूँजी-दत्त, पूँजी-भारित) या भारित विनियोग के भीतर किसी अन्य इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक इकाई से बचत का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: बजट के अवयव



स्रोत: विनियोग लेखे

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि (i) क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है और (ii) यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के तहत भारित किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह भारित किया जाता है। साथ ही, यह भी पता लगाया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों और विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य, जिसे आगे दत्तमत/भारित घटकों में विभाजित किया गया है, की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.1 में दी गयी है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट		संवितरण		निवल बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(i) राजस्व	79,870.18	7,424.54	61,111.77	6,908.48	18,758.41	516.06
(ii) पूँजीगत	19,080.19	0	14,022.68	0	5,057.51	0
(iii) ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समायोजन	4,529.28	6,713.53	4,211.14	6,729.45	318.14	-15.92
कुल	1,03,479.65	14,138.07	79,345.59	13,637.93	24,134.06	500.14

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 55 दत्तमत अनुदानों एवं पाँच विनियोगों में ₹ 19,274.47 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत 38 अनुदानों में ₹ 5,375.65 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 24,634.20 करोड़ (कुल बजट का 20.94 प्रतिशत) था। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोग (14-ब्याज का पुनर्भुगतान) में ₹ 15.92 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

आगे, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बचत ₹ 24,634.20 करोड़ में से ₹ 16,719.36 करोड़ की बचत 10¹ अनुदानों के अंतर्गत हुई, जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए। आगे, विगत चार वर्षों के दौरान इन अनुदानों में सतत कुल बचत ₹ 10,231.12 करोड़ से ₹ 14,762.53 करोड़ थी।

यह भी देखा गया कि लगभग सभी बचत मार्च 2023 में अभ्यर्पित की गयी जिससे वित्त विभाग को अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुनः आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा, जो बजट प्रबंधन में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत/आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

¹ 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) (₹ 1,912.24 करोड़), 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (₹ 1,300.66 करोड़), 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 1,547.83 करोड़), 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 1,947.34 करोड़), 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) (₹ 3,462.30 करोड़), 48-शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग) (₹ 1,235.04 करोड़), 55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य संभाग) (₹ 1,347.03 करोड़), 56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज संभाग) (₹ 975.32 करोड़), 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा संभाग) (₹ 1,246.34 करोड़) एवं 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (₹ 1,745.26 करोड़)

3.1.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2018-23) के दौरान भारत एवं दत्तमत में विभाजित कुल संवितरणों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2018-19	57,908.04	8,022.04	18,727.57	1,496.17
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01
2020-21	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02
2021-22	68,196.22	10,874.17	22,206.36	309.44
2022-23	79,345.60	13,637.94	24,134.06	500.14

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान दत्तमत अनुभाग के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक बचत हुई। यह भी देखा गया कि 2020-21 को छोड़कर विगत पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान भारत अनुभागों के अंतर्गत भी प्रावधानों के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया और विभागों द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

3.1.3 बजट मार्कमैनिशिप

कुल बजट परिणाम

अनुमोदन से कम और अनुमोदन से अधिक दोनों के संदर्भ में, कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिस हद तक कुल बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं मूल अनुमोदित बजट में अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	76,273.30	68,020.25	-8,253.05
पूँजीगत	24,827.70	24,963.27	135.57
कुल	1,01,101.00	92,983.52	-8,117.48

*मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.82 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, दो अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन 0.55 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 14 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजी अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय अवयवों का परिणाम

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट	पुनरीक्षित (आरई)	वास्तविक परिणाम	बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित में अंतर	वास्तविक एवं पुनरीक्षित में अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	76,273.30	87,294.72	68,020.25	11,021.42	-19,274.47
पूँजीगत	24,827.70	30,323.00	24,963.27	5,495.31	-5,359.73
कुल	1,01,101.00	1,17,617.72	92,983.52	16,516.72	-24,634.20

*संशोधित अनुमान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 22.08 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 17 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 17.68 प्रतिशत था। यह 18 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 10 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजी अनुभाग के 21 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक

वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किए जाने वाले व्यय को भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से राशि की निकासी नहीं होगी। पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नये निवेश सहित पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

'सेवा का नया साधन' का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय। राज्य के खातों में कोई नई सेवा या सेवा का नया साधन नहीं देखा गया, जिसे पहले राज्य विधानसभा के ध्यान में नहीं लाया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह उद्घटित होता है कि एक विनियोग के अंतर्गत तीन मामलों में व्यय बजट प्रावधान के बिना किया गया। वर्ष के दौरान बिना प्रावधान का कुल व्यय ₹ 1,300.00 करोड़ था। विस्तृत विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/ उप-शीर्षों की संख्या
14-ऋण की पुर्नअदायगी	1,300.00	3
कुल	1,300.00	3

जैसा कि तालिका 3.5 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान के बिना ऋणों के पुनर्भुगतान पर बहुत अधिक व्यय किया गया था। ऋणों की अदायगी पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय थे और राज्य से अपेक्षा थी कि वे आकलन तैयार करने के समय वे ऐसे दायित्वों से भली-भाँति अवगत होंगे। हालाँकि, राज्य द्वारा इन व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किये गये थे।

3.2.2 मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष-800 में शेष राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 में एक बड़ी राशि शेष रह जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, इस शीर्ष के अंतर्गत जमा राशि बढ़कर ₹ 74.01 करोड़ हो गई तथा इस शीर्ष से संवितरण ₹ 81.79 करोड़ रहा, जिससे वर्ष के अंत में ₹ 257.58 करोड़ शेष रह गया। इस शीर्ष में जमा की गई राशि मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए आवंटित राशि से संबंधित थी।

महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श के बाद झारखण्ड सरकार के आदेश से, (दिसंबर 2019) में 24 जिला कोषागारों में पीडी खाते मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा के लघु शीर्ष 106- व्यक्तिगत जमा खाते, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (जि.भू.अधि.अ.) के नाम पर खोले गए थे और जि.भू.अधि.अ. द्वारा लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पहले बुक की गई राशि को उन पीडी खातों में स्थानांतरित करना आवश्यक था। हालाँकि, राशि पूरी तरह से पीडी खातों में स्थानांतरित नहीं की गई थी, जिसके कारण मार्च 2023 तक लघु शीर्ष 800 के तहत ₹ 257.58 करोड़ का शेष था।

3.2.3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 के अनुसार व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदानों में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 57 की टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जाने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है, ₹ 16,517 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 43 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़

या उससे अधिक) में प्राप्त ₹ 6,221.83 करोड़ (37.67 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि अधिकांश मामलों में मूल प्रावधानों के स्तर तक भी व्यय नहीं हुआ था।

3.2.4 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’- का अर्थ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं, अभ्यर्पण आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यदि के सत्यापन के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेकपूर्ण तरीके से आठ उप-शीर्षों के अंतर्गत (परिशिष्ट 3.2) अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई, जो अत्यधिक साबित हुई। इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, बचत के बावजूद, ₹ 17.81 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.84 करोड़ की बचत हुई।

3.2.5 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/ अभ्यर्पण

बढ़ा हुआ/ अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन, बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

3.2.5.1 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

कुल बचत ₹ 24,634 करोड़ में से ₹ 22,909.40 करोड़ (93.00 प्रतिशत) की बचत 27 अनुदानों² में हुई, प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक (परिशिष्ट 3.3) बचत हुई। इतनी बड़ी राशि के बचत का कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया नहीं गया।

आगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 12 अनुदानों तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत दो अनुदानों में बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था। विभागों द्वारा ऐसी बचत के कारण नहीं बताए गये थे। औचित्य के बिना भारी बचत जो अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/विभागों में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक था। विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सात अनुदानों में 30 प्रतिशत से अधिक की बचत को **तालिका 3.6** में दिया गया है।

² इनमें से, 23 अनुदान राजस्व से (₹ 18,420.23 करोड़), 9 पूँजीगत से (₹ 4,489.17 करोड़) और 5 दोनों से संबंधित हैं

तालिका 3.6: बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत या अधिक अनुपयोगी अनुदान/ विनियोजन

क्र. सं.	अनुदान	(प्रतिशत में)					वर्षों की संख्या*	बजट 2022-23 (₹ करोड़ में)
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		
राजस्व								
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	53	39	65	23	61	4	3,097.25
2	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	32	50	57	48	31	5	775.87
3	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	25	65	65	73	49	4	584.68
4	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	33	36	30	32	44	5	7,761.39
5	51- अनु.जा., अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	35	30	46	35	25	4	3,281.85
6	54- कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	55	76	47	46	27	4	126.91
पूँजीगत								
1	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	87	87	58	30	41	5	65.38
2	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	100	98	89	83	64	5	118.36


*30 प्रतिशत या अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या

ये अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लक्षित लाभुकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुदान संख्या 60 के तहत बचत 64 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि पुनर्वास केंद्रों, कामकाजी महिला छात्रावासों, आँगनवाड़ी केंद्रों आदि के निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई कारण बताए वापस कर दिया गया था।


3.2.6 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण

राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह उद्घटित हुआ कि ₹ 24,634.20 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 15,578.22 करोड़ (63 प्रतिशत) की राशि मार्च 2023 के अंत में अभ्यर्पित की गई, इससे सरकार इस राशि को अन्य विकासात्मक योजनाओं पर उपयोग करने से वंचित रह गई, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

चार्ट 3.2: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का संवितरण



चार्ट 3.3: 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट उपयोगिता



जैसा कि चार्ट 3.2 में परिलक्षित है, वर्तमान वर्ष में 31 अनुदानों में बचत 11 से 30 प्रतिशत के बीच था जबकि 16 अनुदानों में बचत 30 प्रतिशत से अधिक था। अनुदान संख्या 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) में बजट का अधिकतम 53 प्रतिशत बचत हुई। आगे, चार्ट 3.3 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट आवंटन और उसके उपयोग प्रतिशत को दर्शाता है।

3.2.7 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु मांग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/विनियोग को विनियमित किया जाये।

अनुदान से अधिक संवितरण को नियमित करने में विफलता संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

3.2.7.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि खराब योजना का भी संकेत है, जिसे इस उद्देश्य के लिए किए गए बजट प्रावधान के साथ व्यय प्रगति पर नज़र रखकर टाला जा सकता है।

जैसा कि विनियोग लेखे में देखा गया, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक विनियोग (14-ऋण का पुनर्भुगतान) में ₹ 15.92 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

3.2.7.2 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अवधि के लिए अनियमित रहने वाला अतिरिक्त व्यय कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है। वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2021-22 से संबंधित 11 अनुदानों से संबंधित अनुदान/विनियोग राशि ₹ 3,762.49 करोड़ पर अतिरिक्त संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में बताया गया है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2021-22 के दौरान तीन अनुदान/विनियोग, 13-ब्याज भुगतान, 14-ऋण पुनर्भुगतान और 15-पेंशन क्रमशः ₹ 889.27 करोड़ (23.64 प्रतिशत), ₹ 967.57 करोड़ (25.72 प्रतिशत) और ₹ 1,731.55 करोड़ (46.02 प्रतिशत) का कुल अतिरिक्त व्यय, जिसे अभी तक नियमित किया जाना है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार प्रतिवेदित किये जाने के बाद भी पिछले वर्षों के अधिक व्यय को नियमित नहीं किया गया है।

3.2.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जो एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए ₹ 6,051.88 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए। यद्यपि, इस तरह के अनुदान का ₹ 2,102.76 करोड़ राज्य के खातों में पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था, जो सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)-2 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 बजट प्रक्षेपण तथा प्राक्कलन एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियाँ तथा लोक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। यथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, एक अच्छा व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण, विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं पर निधि का इष्टतम उपयोग करते हैं।

तालिका 3.7: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
दत्तमत	राजस्व	68,884.97	10,985.20	79,870.18	61,111.77	18,758.41	सभी अभ्यर्पण मार्च माह में की गई थी।	
	पूँजीगत	16,606.49	2,473.71	19,080.19	14,022.68	5,057.51		
	ऋण एवं अग्रिम	1,507.68	3,021.60	4,529.28	4,211.14	318.14		
	कुल	86,999.14	16,480.51	1,03,479.65	79,345.59	24,134.06		
भारित	राजस्व	7,388.33	36.21	7,424.54	6,908.48	516.06		
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	लोक ऋण- पुनर्भुगतान	6,713.53	0.00	6,713.53	6,729.45	-15.92		
	कुल	14,101.86	36.21	14,138.07	13,637.93	500.14		
सकल योग		1,01,101.00	16,516.72	1,17,617.72	92,983.52	24,634.20		

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 3.7 से पता चलता है कि ₹ 1,17,617.72 करोड़ के कुल प्रावधान में से, ₹ 92,983.52 करोड़ की राशि राज्य विभागों द्वारा खर्च की गई और ₹ 24,634.20 करोड़ (20.94 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अप्रयुक्त रह गए। अप्रयुक्त राशि को मार्च माह में अभ्यर्पित कर दिया गया।

तालिका 3.8: 2018-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	80,200.00	85,429.00	86,370.00	91,277.00	1,01,101.00
अनुपूरक बजट	5,953.81	9,335.64	9,908.07	10,309.19	16,516.72
कुल बजट	86,153.81	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72
पुनरीक्षित अनुमान	86,153.81	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72
वास्तविक व्यय	65,930.08	71,093.25	74,458.59	79,070.38	92,983.52
बचत	20,223.74	23,671.39	21,819.49	22,515.81	24,634.20
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	7.42	10.93	11.47	11.29	16.34
कुल प्रावधान से कुल बचत की प्रतिशतता	23.47	24.98	22.66	22.16	20.94
कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय	20,223.73	23,671.39	21,819.48	22,515.81	24,634.20

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	23.47	24.98	22.66	22.16	20.94

तालिका 3.8 से देखा जा सकता है कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 16,516.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11.29 प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का 16.34 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल प्रावधान से कुल बचत के प्रतिशत का उतार-चढ़ाव 20.94 प्रतिशत और 24.98 प्रतिशत के बीच रहा।

आगे, जैसा कि तालिका 3.8 से स्पष्ट है, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान के एक वृहत हिस्से का उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य के विभागीय अधिकारियों द्वारा अभ्यर्पित किया गया। इन बचतों के लिए कोई उपयुक्त कारण भी दर्ज नहीं किये गए थे। ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी, जो अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/ कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत हैं।

3.3.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। वहीं, कुछ योजनाएँ निधि के अभाव में अधूरी रह जाती है। आगे, पूर्ण होने में विलम्ब से परियोजना लागत में वृद्धि होती है। बचत के बावजूद अनावश्यक/ अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों के मामले तालिका 3.9 में दिए गए हैं।

तालिका 3.9: बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अप्रयुक्त निधि
राजस्व						
1	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	3,400.83
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.62	6,132.28	4,674.15	1,458.12
4	18-खाद्य, लोक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	1,279.34

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अप्रयुक्त निधि
5	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	1,244.62
6	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41
7	56-पंचायती राज विभाग	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	972.07
8	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	1,770.44	854.87	915.57
पूँजीगत						
9	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.04	31.01	3,503.05	1,840.08	1,662.96
10	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	1,161.52
कुल		37,738.08	4561.44	42,299.52	27,314.73	14,984.76

कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

राज्य के विनियोग खातों की समीक्षा से पता चला कि कई योजनाओं के लिए आवंटित निधि में से लगातार बड़ी बचत हो रही थी। पिछले तीन वर्षों में लगातार बड़ी बचत के कारण योजनाएँ पूरी नहीं हो सकी और अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इनमें से कुछ योजनाएँ तालिका 3.10 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.10: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग							
1	4215-01-102-02-ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	207.57	66.52	205.02	57.27	102.53	28.98
42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)							
2	2501-06-101-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ए.एस.सी.)	300.00	107.71	300.00	100.77	195.04	78.80
3	2501-06-796-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ए.एस.सी.)	126.00	25.20	126.00	31.91	81.92	22.33

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के तहत योजनाओं में भारी बचत हुई, जो न केवल बजट प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मुद्दा उठाती है बल्कि राज्य की योजनाओं के तहत लाभुकों को लाभ से वंचित भी की।

3.3.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घिसनाएँ

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहल तथा बजट में सम्मिलित योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभुक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। तथापि, विभागों द्वारा प्रावधानों का उपयोग न किये जाने के कारण नहीं बताये गये। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है जिनका वो उपयोग कर सकते थे। 313 मामलों में 100 प्रतिशत प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक के प्रत्येक मामले) वाले ₹ 6,950.13 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है।


3.4 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 बताता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय का वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह बनाये रखना अच्छे लोक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल होने के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

यह देखा गया कि मार्च 2023 में मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ए.सी विपत्र पर ₹ 268.89 करोड़ की निकासी की गई जिसमें ₹ 137.58 करोड़ की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल व्यय (₹ 92,984 करोड़) में से ₹ 22,350 करोड़ जो 24.04 प्रतिशत था, मार्च 2023 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान माहवार प्राप्तियाँ एवं व्यय को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



आगे, यह देखा गया कि 40 प्रमुख शीर्षों के तहत, 50 प्रतिशत और उससे अधिक का व्यय, ₹ 10,701.95 करोड़ (69.48 प्रतिशत) की राशि, वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था, जबकि इन शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 15,402.94 करोड़ था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में बताया गया है। इसमें से ₹ 7,017.24 करोड़ (इन मदों के तहत कुल व्यय का 45.56 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2023 में किया गया था।

3.5 अनुदान संख्या 01-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.5.1 परिचय

झारखण्ड की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का मुख्य आधार कृषि है। झारखण्ड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता प्रकृति पर निर्भरता, कम निवेश, कम उत्पादकता, धान (प्रमुख फसल) के साथ एकल फसल, छोटी और सीमांत जोत के साथ अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ हैं। कृषि वर्षा पर निर्भरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 92 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है। राज्य कृषि योग्य भूमि संसाधनों में बागवानी और वन उत्पादों के अधिक उत्पादन की अच्छी संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि प्रभाग को ₹ 3,582.35 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹ 1,670.11 करोड़ (47 प्रतिशत) का उपयोग किया गया, जिससे ₹ 1,912.24 करोड़ (53 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, ₹ 1,912.24 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 1,644.32 करोड़ विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया और ₹ 267.92 करोड़ को वर्ष के दौरान व्यपगत होने दिया गया। बजट और इसकी उपयोगिता का विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	477.00	2,653.22	3,130.22
अनुपूरक अनुदान	8.10	444.03	452.13
कुल अनुदान	485.10	3,097.25	3,582.35
व्यय	471.18	1,198.93	1,670.11
बचत	13.92	1,898.32	1,912.24
अभ्यर्पण	0.00	1,644.32	1,644.32
व्यपगत	13.92	254.00	267.92

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वित्तीय वर्ष 2022-23

3.5.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

कृषि, पशुपालन और सहाकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) का विभागीय सचिवालय, तीन³ निदेशालयों तथा 19 इकाईओं⁴ को बजटीय प्रक्रिया के लेखापरीक्षा के लिए आठ⁵ जिलों में चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.5.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (2019-23) के दौरान विभाग के बजट तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा से पाया गया कि उन वर्षों में विभाग के पास सतत बचत था और बजट प्राक्कलन की तुलना में बचत का प्रतिशत सभी वर्षों में बहुत अधिक था, जैसा कि तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
2019-20	राजस्व	3,230.59	143.18	3,373.77	2,062.07	1,311.70	39
	पूँजीगत	114.60	0.00	114.60	61.76	52.84	
	कुल	3,345.19	143.18	3,488.37	2,123.83	1,364.54	
2020-21	राजस्व	3,042.81	157.65	3,200.46	1,131.00	2,069.46	65
	पूँजीगत	5.00	0.00	5.00	2.28	2.72	
	कुल	3,047.81	157.65	3,205.46	1,133.28	2,072.18	
2021-22	राजस्व	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	22
	पूँजीगत	218.25	0.96	219.21	204.28	14.93	
	कुल	3,189.09	336.67	3,525.76	2,734.76	791.00	
2022-23	राजस्व	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32	53
	पूँजीगत	477.00	8.10	485.10	471.18	13.92	
	कुल	3,130.22	452.13	3,582.35	1,670.11	1,912.24	

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-23

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान विभाग के पास 22 और 65 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी, जो न केवल निधि के उपयोग करने में विभाग की अक्षमता का सूचक था, बल्कि विधायिका द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं के पूरा नहीं होने का भी परिणाम था।

³ (i) कृषि (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा (iii) भू-संरक्षण निदेशालय

⁴ जिला कृषि पदाधिकारी (i) देवघर (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) गोड्डा (v) पलामू (vi) राँची (vii) साहिबगंज (viii) उप-प्रमंडल कृषि पदाधिकारी, चतरा; जिला उद्यान पदाधिकारी (i) देवघर (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) गोड्डा (v) पलामू (vi) राँची (vii) साहिबगंज; जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी (i) देवघर, (ii) पलामू, (iii) राँची और (iv) जिला मृदा केमिस्ट, दुमका

⁵ (i) चतरा (ii) देवघर (iii) धनबाद (iv) दुमका (v) गोड्डा (vi) पलामू (vii) राँची (viii) साहिबगंज

3.5.4 बजट अनुमानों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के लिए समय पर और सही तरीके से बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने स्थापना व्यय एवं सामान्य बजट का अनुमान/प्राक्कलन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात बजट नियमावली के निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के विरुद्ध क्रमशः 15 दिसम्बर 2021 एवं 30 दिसम्बर 2021 संशोधित (नवम्बर 2021) किया।

कृषि निदेशालय तथा भू-संरक्षण निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थापना व्यय का बजट प्राक्कलन क्रमशः 26 अक्टूबर 2021 एवं 25 नवम्बर 2021 तक प्रस्तुत किया जाना था।

यह पाया गया है कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब. अनु.) समय पर प्रस्तुत (15 दिसम्बर 2021) किया गया, जबकि, सामान्य बजट के लिए बजट अनुमान 47 दिनों की देरी से 12 फरवरी 2022 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया था।

जिला/डीडीओ के नमूना-जाँच में यह पाया गया कि स्थापना व्यय के लिए पाँच डीडीओ द्वारा बजट प्राक्कलन विभाग को निर्धारित तिथि के विरुद्ध चार से 30 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया तथा पाँच डीडीओ के द्वारा स्थापना व्यय हेतु बजट प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बजट प्राक्कलनों का विलम्ब/गैर-प्रस्तुतिकरण

क्र. सं.	कार्यालय/ डीडीओ के नाम	जमा करने की तिथि	डीडीओ द्वारा जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	जिला कृषि पदाधिकारी, राँची	26.10.2021 (कृषि निदेशालय के पत्र संख्या 3976, दिनांक 22.10.2021)	प्रस्तुत नहीं किया गया	
2	जिला कृषि पदाधिकारी, डाल्टेनगंज		25.11.2021	30
3	जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद		13.11.2021	18
4	जिला कृषि पदाधिकारी, साहिबगंज		प्रस्तुत नहीं किया गया	
5	जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा		01.12.2021	26
6	जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर		प्रस्तुत नहीं किया गया	
7	जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका		प्रस्तुत नहीं किया गया	
8	उप-प्रमंडल कृषि पदाधिकारी, चतरा		16.11.2021	21
9	जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी, देवघर	25.11.2021	29.11.2021	04
10	सहायक मृदा केमिस्ट, दुमका	(भू-संरक्षण निदेशालय के पत्र संख्या 462 दिनांक 18.11.2021)	प्रस्तुत नहीं किया गया	

3.5.5 आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना

झारखण्ड बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रि अधिकारी (नि. अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं. अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्यौरे/ स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ब. नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और सामान्य बजट (राज्य, केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमान डीडीओ से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/ आकलन किये बिना निदेशालय स्तर पर तैयार किये गये थे, जो कार्य को अन्ततः निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे, उद्यान निदेशालय के द्वारा स्थापना व्यय तथा सामान्य बजट, क्षेत्रीय कार्यालयों/ डीडीओ से प्राप्त नहीं किये गये थे। इस प्रकार, डीडीओ से आवश्यकता प्राप्त किये बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 3,582.35 करोड़ में से ₹ 1,912.24 करोड़ (53 प्रतिशत) की भारी बचत का एक कारण हो सकता है।

3.5.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बजट नियमावली के नियम 57 में दिए गए टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 155 योजनाओं में से 24 योजनाओं पर ₹ 296.22 करोड़ के वास्तविक प्रावधानों में से केवल ₹ 184.80 करोड़ उपयोग किए गए, जिससे ₹ 111.42 करोड़ की बचत हुई। वास्तविक प्रावधानों के उपयोग न होने के बावजूद, बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध अनुपूरक बजट के माध्यम से उन योजनाओं के लिए ₹ 204.83 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गई। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

आगे, दो योजनाओं हेतु ₹ 22.50 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रदान किया गया था, जो बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.14 में दिखाया गया है।

तालिका 3.14: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक प्रावधान में से व्यय	अनुपूरक	अनुपूरक प्रावधान में से व्यय
1	2401-00-102-बी.वी.	7.50	7.50	7.50	0.00
2	2401-00-796-बी.वी.	15.00	15.00	15.00	0.00
कुल		22.50	22.50	22.50	0.00

3.5.7 सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 57 में दिए गए टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितना खर्च किया जा सकता है, उससे अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 28 उप-शीर्षों के तहत, विभाग द्वारा भेजे गए आकलन के आधार पर ₹ 738.69 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था। लेकिन, पूरी राशि विभाग के द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया तथा सम्पूर्ण राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

नमूना-जाँच किए गए पाँच जिलों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह भी पता चला कि उन जिलों को प्रदान की गई ₹ 10.58 करोड़ की पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया और अभ्यर्पण किया गया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है।

3.5.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को जैसे ही उनका अनुमान लगाया जाता है उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य की संभावित अधिकता के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। आगे, नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, नियंत्री अधिकारी को सावधानीपूर्वक राशि का आकलन करना चाहिए, जिसे वह अभ्यर्पण कर सकता है।

विभाग के अभिलेखों के लेखापरीक्षा से यह पता चला कि ₹ 3,582.35 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 485.10 करोड़ तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,097.25 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,644.32 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया।

आगे, नमूना-जाँच किए गए जिलों के अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 14.72 करोड़ (कुल प्रावधानों का 81 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है। व्यय की प्रत्याशा और निधि का विलम्ब से आवंटन इत्यादि निधि के अभ्यर्पण के कारण थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण, सरकार के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इसके उपयोग के लिए कोई गुंजाईश नहीं छोड़ता है, जो निधि की कमी के कारण अधूरी रह गई थी।

3.5.9 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के प्रावधान के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कुल व्यय ₹ 1,670.11 करोड़ में से, ₹ 991.06 करोड़ (59 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2023 में किया गया। जाँच से आगे पता चला कि, 155 उप-शीर्षों में से 44 में, मार्च माह में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 36 से 100 प्रतिशत (₹ 924.86 करोड़) के बीच रहा। आगे, जिलों/ डीडीओ के नमूना-जाँच में पाया गया कि मार्च माह में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय 23 से 100 प्रतिशत (₹ 287.22 करोड़) के बीच रहा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.13** में दर्शाया गया है।

3.5.10 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधन करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सात शीर्षों में से दो (2401 और 4401) के तहत ₹ 938.98 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 12.17 करोड़ की राशि का विभाग के नियंत्री अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) की बहियों से समाशोधित नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: विभागीय व्यय के असमाशोधन का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2401	927.18	926.81	0.37
2	4401	11.80	0.00	11.80
कुल		938.98	926.81	12.17

आगे, नमूना-जाँचित डीडीओ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 615.55 लाख के कुल व्यय को समाशोधित नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 3.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: विभागीय व्यय का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	कार्यालयों/ प्रभागों का नाम	मद	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	राँची	उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	स्थापना	3.64	0.00	3.64
			योजना	578.15	0.00	578.15
		जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	1.28	0.00	1.28
			योजना	4.39	0.00	4.39
		जिला उद्यान पदाधिकारी	स्थापना	0.90	0.00	0.90
			योजना	2.36	0.00	2.36
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	स्थापना	0.68	0.00	0.68
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.50	0.00	0.50
			योजना	2.84	0.00	2.84
3	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.81	0.00	0.81
			योजना	2.29	0.00	2.29
4	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.84	0.00	0.84
			योजना	3.43	0.00	3.43
		जिला उद्यान पदाधिकारी	स्थापना	0.47	0.00	0.47
			योजना	2.50	0.00	2.50
5	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.73	0.00	0.73
			योजना	3.05	0.00	3.05
		जिला उद्यान पदाधिकारी	स्थापना	0.33	0.00	0.33
			योजना	1.72	0.00	1.72
		सहायक मृदा केमिस्ट	स्थापना	0.14	0.00	0.14
			योजना	0.05	0.00	0.05
6	चतरा	उप-प्रमंडल कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.68	0.00	0.68
			योजना	3.77	0.00	3.77
कुल				615.55	0.0	615.55

3.5.11 अप्रयुक्त निधि का बैंक खाता में अवरुद्ध रहना - ₹ 45.85 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के प्रावधान के अनुसार, माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्ययगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, वित्त विभाग द्वारा भी निर्देशित (03.04.2022) किया गया था कि कोषागार से राशि का आहरण करना तथा उसे लम्बे समय तक अप्रयुक्त रखना वित्तीय अनुशासन के विरुद्ध है तथा बैंक खाता में जमा राशि के साथ उसपर अर्जित ब्याज को भी समेकित निधि में जमा करना आवश्यक है।

नमूना-जाँच जिलों/ डीडीओ के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए पिछले वर्ष में कोषागार से ₹ 45.85 करोड़ राशि की निकासी कर बैंक खातों में (31 मार्च 2023 तक) अवरुद्ध रखा गया। कुल अवरुद्ध राशि में से ₹ 1.43 करोड़ जून से सितम्बर 2023 के दौरान कोषागार में जमा किए गए, जैसा कि विवरण परिशिष्ट 3.14 में दिया गया है।

3.5.12 “प्रमोशन ऑफ अरबन फार्मिंग योजना” का क्रियान्वयन न होना

सरकार की स्वीकृति (18.05.2022) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य बागवानी विकास योजनान्तर्गत “प्रमोशन ऑफ अरबन फार्मिंग” के क्रियान्वयन हेतु ₹ दो करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण सुनिश्चित करने तथा भू-मंडलीय उस्मीकरण के विरुद्ध पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक आवासों से सटे भूमि के खाली भूखंडों और सरकारी परिसरों में उपलब्ध स्थान पर पौष्णिक सुरक्षा प्रदान करती है। छत पर बागवानी के तहत विभिन्न सब्जियों, फूलों और फलों की जैविक और गुणात्मक खेती को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव था।

चार जिला उद्यान पदाधिकारियों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान पाया गया कि स्वीकृति आदेश (मई 2022) जारी होने के लगभग नौ महीने के बाद उप-निदेशक, उद्यान, राँची द्वारा, ₹ 1.12 करोड़ आवंटित (फरवरी 2023) किया गया था। इसमें से, केवल ₹ 0.12 करोड़ का उपयोग किया गया था और शेष ₹ एक करोड़ (89 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया, जैसा कि तालिका 3.17 में दिखाया गया है।

तालिका 3.17: निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	आवंटन संख्या/ दिनांक	आवंटित राशि	व्यय	अभ्यर्पण
1	डीएचओ, पलामू	93/01.02.23 162/28.02.23	0.20	0.00	0.20
2	डीएचओ, देवघर		0.20	0.04	0.16
3	डीएचओ, दुमका	162/28.02.23	0.24	0.02	0.22
4	डीएचओ, राँची		0.48	0.06	0.42
कुल			1.12	0.12	1.00 (89%)

जिस योजना के लिए धनराशि आवंटित की गई थी, वह शुरू ही नहीं हुई और लाभुक योजना के अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए।

3.5.13 लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना

नमूना-जाँचित जिलों/डीडीओ की समीक्षा के दौरान देखा गया कि विभाग द्वारा “राज्य बागवानी मिशन” (एनएचएम) के तहत विभिन्न “कार्य घटकों” के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6.57 करोड़ आवंटित किए गए थे। निधि की उपलब्धता के बावजूद, डीडीओ द्वारा भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये तथा विभाग द्वारा लक्षित योजनाओं के अपेक्षित लाभ से लाभुक वंचित रह गए, जैसा कि विवरण परिशिष्ट 3.15 में दिया गया है।

3.5.14 झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना

झारखण्ड सरकार ने सूखे, कोविड-19 आदि जैसे कारणों से बकाया ऋणों के किशतों का भुगतान करने में असमर्थ किसानों के लिए झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना 2020-21 शुरू की थी। झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 50,000 तक के ऋण माफ करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी थी।

जाँच के दौरान देखा गया कि योजना के तहत राज्य में लाभार्थी किसानों (ऋणी) की कुल संख्या 8,03,679 थी, जिसमें से 4,10,208 (51 प्रतिशत) किसानों का ऋण मार्च 2023 तक माफ कर दिया गया था। आगे, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के तहत कुल आवंटन ₹ 915.86 करोड़ में से ₹ 685.08 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया, राँची के खाते में रहने के बावजूद भी 49 प्रतिशत किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए।

3.5.15 व्यक्तिगत बही खातों की लेखापरीक्षा

- राशि की अनुपयोगिता एवं व्यक्तिगत बही खातों में अवरुद्ध राशि- ₹ 925.86 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, माँग की प्रत्याशा में या बजट प्रावधान के व्ययगत को रोकने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी।

राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति); राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम); आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ़ झारखण्ड (ओफाज); झारखण्ड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र (जेएएमटीटीसी) और झारखण्ड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान (जैसमीन) के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि 31 मार्च 2023 को ₹ 925.86 करोड़ की राशि व्यक्तिगत बही (पीएल) खातों (8448-स्थानीय निधि की जमा) में जमा की गई थी, जैसा कि तालिका 3.18 में दिखाया गया है।

तालिका 3.18: व्यक्तिगत बहीखाता में जमा तथा अनुपयोगी निधि

क्र. सं.	एजेंसी का नाम/ कार्यलय	31.03.23 को जमा राशि (₹ करोड़ में)
1	समेति, राँची	713.95
2	एनएचएम, राँची	104.60
3	ओफाज, राँची	16.02
4.	जेएएमटीटीसी, राँची	81.53
5.	जैसमीन, राँची	9.76
कुल		925.86

आगे, 12 नमूना-जाँच की गई योजनाओं में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.19 में दिखाया गया है।

तालिका 3.19: नमूना-जाँच योजना के तहत निधियों का उपयोग न होना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	01.04.22 को शेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधि का अंतरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय	31.03.23 को अवशेष
1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	20.58 (सी) 11.64 (एस)	0.00 0.00	0.00 0.00	20.58 (सी) 11.64 (एस)
2	पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	11.00	0.00	0.00	11.00
3	झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाईटी	5.00	0.00	0.00	5.00
4	अरबन फार्मिंग	2.00	0.00	0.00	2.00
5	ग्लोबल एग्रीकल्चर एण्ड फूड समिट	1.76	0.00	0.00	1.76
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	6.64	0.00	0.00	6.64
7	कृषक पाठशाला	0.00	30.00	0.00	30.00
8	एग्री-स्मार्ट विलेज योजना	0.00	10.00	0.00	10.00
9	वर्षा मापक यंत्र का अधिष्ठापन	0.00	47.90	0.00	47.90
10	भू-संरक्षण	0.00	390.60	0.00	390.60
11	कृषि यांत्रिकरण	0.00	18.52	0.00	18.52
12	गोधन न्याय योजना	0.00	1.00	0.00	1.00
	कुल	58.62	498.02	0.00	556.64

• **व्यक्तिगत बही खातों से निकासी की गई राशि का बचत बैंक खातों में जमा**

आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ़ झारखण्ड (ओफाज) के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कोषागार में पीएल खाते (आरएनसी/एसीएच/101) से जैविक खेती के प्रमाणीकरण के कार्य घटक/योजना के भुगतान के लिए ₹ 16.50 करोड़ की राशि निकाली गई थी। हालाँकि, इसका उपयोग नहीं किया गया था और ओफाज के बचत बैंक खाते (496610210000384 बैंक ऑफ़ इंडिया, राँची) में जमा कर दिया गया।

• **व्यक्तिगत बही खातों में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अंतरण**

अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि उद्यान निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन ₹ 21.74 करोड़ की निकासी की गई थी जिसे झारखण्ड के आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ़ झारखण्ड (ओफाज) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के पीएल खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसी प्रकार, भू-संरक्षण निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन ₹ 135.52 करोड़ की निकासी की गई जिसे समेति तथा झारखण्ड कृषि मशीनरी

परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र (जेएएमटीटीसी) के पीएल खातों में स्थानांतरित किया गया था, जैसा कि तालिका 3.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.20: राशि की निकासी तथा व्यक्तिगत बही खातों में जमा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विपत्र संख्या	जिसे स्थानांतरित किया गया	स्थानांतरित राशि
उद्यान निदेशालय, झारखण्ड सरकार, राँची			
1	100/22-23	ओफाज	0.60
2	101/22-23	ओफाज	0.30
3	102/22-23	ओफाज	0.10
4	103/22-23	एनएचएम	0.44
5	104/22-23	एनएचएम	8.07
6	105/22-23	एनएचएम	0.20
7	109/22-23	एनएचएम	10.11
8	110/22-23	एनएचएम	1.54
9	111/22-23	एनएचएम	0.38
कुल			21.74
भू-संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड सरकार, राँची			
1	101/22-23	समेति	4.44
2	102/22-23	समेति	11.75
3	103/22-23	समेति	2.34
4	104/22-23	समेति	75.22
5	105/22-23	समेति	25.75
6	106/22-23	समेति	14.67
7	107/22-23	समेति	0.95
8	108/22-23	समेति	0.40
कुल			135.52
सकल योग			157.26

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन संचित निधि से निकासी और इसे व्यक्तिगत बही खातों में स्थानांतरित करना बजट प्रावधानों के विरुद्ध था।

• एकल नोडल खाता से राशि की निकासी तथा बचत बैंक खाता में जमा

आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ़ झारखण्ड (ओफाज) के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसबीआई, राँची (खाता संख्या 40402965556) में एसएनए (परंपरागत कृषि विकास योजना) से भुगतान के लिए नौ करोड़ रुपये की निकासी की गयी थी। हालाँकि, राशि अप्रयुक्त रह गई और बैंक ऑफ़ इंडिया, राँची में ओफाज के बचत बैंक खाते (खाता संख्या 496610210000383) में जमा कर दिया गया। एसएनए के बाहर धनराशि जमा करना न केवल योजनाओं पर खर्च के लिए सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न करता है।

3.5.16 अन्य आपत्तियाँ

विगत वर्ष की तुलना में व्यय में मुख्य परिवर्तन

वित्त और विनियोग खातों पर डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभाग (कृषि प्रभाग) में आर्थिक महत्व की योजनाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान काफी कम हो गया था, जैसा कि तालिका 3.21 दिखाया गया है।

तालिका 3.21: व्यय की तुलनात्मक विवरणी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष विवरण	2022-23 में व्यय	2021-22 में व्यय	परिवर्तन (प्रतिशत में)
2401	102	खाद्यान्न फसलें	322.75	500.58	-35.5
	104	कृषि फार्म	9.00	18.30	-50.8
	105	खाद एवं उर्वरक	0.85	4.28	-80.0
	108	वाणिज्यिक फसलें	1.33	55.05	-97.6
	115	लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमिकों की योजना	0.60	18.26	-96.7
	119	बागवानी एवं सब्जी फसलें	5.78	32.72	-82.3
	789	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	140.36	203.83	-31.1
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	284.46	1,242.06	-77.1
2402	102	भू-संरक्षण	11.71	54.71	-78.6
	789	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	14.89	-100.0
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.00	89.22	-100.0
2435	102	ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ	2.12	4.32	-51.0
	789	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.09	0.37	-76.2
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.54	3.14	-82.7
4402	203	भूमि पुनर्ग्रहण और विकास	0.00	60.61	-100.0
कुल			779.58	2,302.34	-66.1

3.6 अनुदान संख्या 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.6.1 परिचय

पेयजल और स्वच्छता विभाग की पहली प्राथमिकता राज्य में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच प्रदान करना है। राज्य की सभी बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्रोतों में फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन मौजूद हैं। केवल 30 प्रतिशत बस्तियों में ही पीने के पानी की आंशिक सुविधा है। इस तथ्य के बावजूद कि झारखण्ड की 76 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, राज्य में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज भी बहुत कम है। राज्य भर में ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग का कुल बजट प्रावधान ₹ 4,087.72 करोड़ था, जैसा कि इसके उपयोग के साथ तालिका 3.22 में बताया गया है।

तालिका 3.22: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय तथा बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत्त	राजस्व दत्तमत्त	कुल
मूल अनुदान	3,472.03	582.37	4,054.40
अनुपूरक अनुदान	31.01	2.31	33.32
कुल अनुदान	3,503.04	584.68	4,087.72
व्यय	1,840.08	300.30	2,140.38
बचत	1,662.96	284.38	1,947.34
अभ्यर्पण	1,635.50	234.00	1,869.50

स्रोत: वित्त वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे

3.6.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

विभागीय सचिवालय और विभाग की 15 इकाईयों⁶ का बजटीय प्रक्रिया की लेखापरीक्षा के लिए आठ⁷ जिलों में चयन किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.6.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23) के दौरान विभाग के बजट और व्यय की प्रवृत्तियों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि विभाग के पास इस अवधि के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में सतत बचत थी, जैसा कि विवरण तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका 3.23: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विगत चार वर्षों के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2019-20	राजस्व	1,789.76	50.30	1,840.06	641.45	1,198.61	54.45
	पूँजीगत	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	
	कुल	2,539.76	51.3	2,591.06	1,180.18	1,410.88	
2020-21	राजस्व	2,376.57	16.54	2,393.11	840.57	1,552.54	58.82
	पूँजीगत	712.48	0.00	712.48	438.30	274.18	
	कुल	3,089.05	16.54	3,105.59	1,278.87	1,826.72	
2021-22	राजस्व	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	63.80

⁶ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल

⁷ (i) राँची (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची पूर्वी तथा राँची प.) (ii) चाईबासा (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा एवं चक्रधरपुर) (iii) सरायकेला- खरसावाँ (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला- खरसावाँ एवं आदित्यपुर) (iv) धनबाद (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, धनबाद-I एवं धनबाद-II) (v) गिरिडीह (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गिरिडीह-I एवं गिरिडीह-II) (vi) दुमका (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, दुमका-I, दुमका-II) (vii) देवघर (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, देवघर एवं मधुपुर) (viii) साहिबगंज (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, साहिबगंज)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
	पूँजीगत	746.97	0.00	746.97	505.11	241.86	
	कुल	3,372.16	0.49	3,372.65	1,221.04	2,151.61	
2022-23	राजस्व	582.37	2.31	584.68	300.30	284.38	45.73
	पूँजीगत	3,472.03	31.01	3,503.04	1840.08	1,662.96	
	कुल	4,054.40	33.32	4,087.72	2,140.38	1,947.34	

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के विनियोग लेखे

इस अवधि के दौरान, विभाग में बचत 45.73 प्रतिशत से 63.80 प्रतिशत के बीच थी, जो न केवल जिला इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना बजट तैयार करने का संकेत था, बल्कि उपलब्ध निधि का उपयोग करने में विभाग की असमर्थता को भी दर्शाता है। निधि के उपयोग न होने के कारण वर्ष के लिए बजट में शामिल राज्य की योजनाएँ भी पूरी नहीं हो पाईं।

3.6.4 अधूरी योजनाओं में पूँजी का अवरुद्ध होना

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्तियों का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लंबे समय तक अपेक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि से ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ पड़ता है। विभाग में अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा तालिका 3.24 में दर्शाई गई और परिशिष्ट 3.16 में वर्णित है।

तालिका 3.24: 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	पुनरीक्षित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	बढ़ी हुई राशी
पेयजल एवं स्वच्छता	15	400.67	265.92	1	3.53

स्रोत : वित्त लेखे

जाँच से पता चला कि सितंबर 2023 तक ₹ 400.67 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 265.92 करोड़ 15 अधूरी परियोजनाओं पर खर्च किए गए थे। इसके अलावा, एक प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं होने के कारण ₹ 14.96 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना के लिए ₹ 3.53 करोड़ की वृद्धि दी गई थी।

3.6.5 एकल नोडल खाता का प्रभाव

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और लोक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए, भारत सरकार ने निर्णय लिया (जुलाई 2021) कि सभी राज्य सरकारें और भारत सरकार के सभी मंत्रालय प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल खाता (एसएनए) नामित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में, राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एसएनए खोले जाने थे।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि विभाग द्वारा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए दो अलग-अलग एसएनए क्रमशः बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, डोरंडा और एचडीएफसी, राँची क्लब कॉम्प्लेक्स शाखा में खोले गए थे।

(i) राज्य द्वारा कम प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), झारखण्ड के लिए केंद्रीय प्रावधान ₹ 300 करोड़ (60 प्रतिशत) था। तदनुसार, राज्य को समतुल्य हिस्सेदारी के रूप में ₹ 200 करोड़ (40 प्रतिशत) का प्रावधान करना था। हालाँकि, राज्य द्वारा केवल ₹ 50 करोड़ प्रदान किए गए, जिसके कारण केंद्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया। राज्य द्वारा कम प्रावधान का विवरण तालिका 3.25 में दिया गया है।

तालिका 3.25: राज्य द्वारा कम प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	शीर्ष	केंद्रीय प्रावधान (60 प्रतिशत)	राज्य का प्रावधान	राज्य हिस्से से सम्बंधित (40 प्रतिशत)	कम राज्य प्रावधान
1	2022-23	टीएसपी	69.00	11.50	46.00	34.50
		ओएसपी	180.00	30.00	120.00	90.00
		एससीएसपी	51.00	8.50	34.00	25.50
		कुल	300.00	50.00	200.00	150.00

(ii) केंद्रीय हिस्से पर ब्याज का हस्तांतरण न होना

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2022-23 के लिए बैंक में जमा किए गए केंद्रीय हिस्से पर ब्याज की न तो गणना की गई थी और न ही इसे विभाग द्वारा भारत की समेकित निधि में जमा किया गया था।

3.6.6 जिला इकाइयों से आवश्यकताएं प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना

बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी (नि. अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं. अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण, यह देखने के लिए

करना चाहिए कि वे सही हैं, सभी विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए हैं और स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था तथा प्रमंडलीय पदाधिकारी, जो अंततः विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किए बिना सामान्य बजट (राज्य, केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमान विभागीय स्तर पर तैयार किए गए थे। इस प्रकार प्रमंडलीय पदाधिकारी से आवश्यकता प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 4,087.72 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,947.34 करोड़ (45.73 प्रतिशत) की बड़ी बचत का एक कारण हो सकता है।

3.6.7 सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न होना

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छः उप-शीर्षों के तहत विभाग द्वारा किए गए ₹ 1,580.50 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था और सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि तालिका 3.26 में दिखाया गया है।

तालिका 3.26: सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1	2215-02-107-16- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट	0.60	0.60
2	2215-02-789-16- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट	0.17	0.17
3	2215-02-796-16- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट	0.23	0.23
4	4215-01-102-10- विशेष एकीकृत योजना	801.12	801.12
5	4215-01-789-10- विशेष एकीकृत योजना	274.36	274.36
6	4215-01-796-10- अनुसूचित जाति के लिए विशेष एकीकृत योजना	504.02	504.02
कुल		1,580.50	1,580.50

3.6.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

यह देखा गया कि ₹ 4,087.72 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 584.68 करोड़ और पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 3,503.04 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,869.50 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 234.00 करोड़ और पूँजी शीर्ष के तहत ₹ 1,635.50 करोड़) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित कर दिया गया था।

3.6.9 व्यय का वेग

नमूना-जाँच किये गये जिलों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय ₹ 1,799.83 करोड़ में से ₹ 573.81 करोड़ (32 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2023 में किया गया था। आगे, नमूना-जाँच किए गए प्रमंडलों/ डीडीओ में, वित्तीय नियमों के उल्लंघन में मार्च महीने में व्यय आठ से 83 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.17** में बताया गया है।

3.6.10 विभागीय व्यय के आंकड़ों का समाशोधन नहीं होना

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 2,140.38 करोड़ के कुल व्यय में से, केवल ₹ 2.97 करोड़ के व्यय का मिलान विभाग के नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार की पुस्तकों के साथ किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.27** में दिखाया गया है।

तालिका 3.27: विभागीय व्यय का असमाशोधन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधन राशि
1	2215	300.30	2.97	297.33
2	4215	1,840.08	0.00	1,840.08
	कुल	2,140.38	2.97	2,137.41

3.6.11 विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित निधि का उपयोग न होना

विनियोग खातों की समीक्षा से पता चला कि जलापूर्ति कराने और विभिन्न स्वच्छता अभियान चलाने के उद्देश्य से कई योजनाओं में बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की बचत हुई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.18** में बताया गया है।

3.6.12 शौचालय निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उन पात्र लाभार्थियों/परिवारों के लिए 1,52,000 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिनका नाम बेसलाइन सर्वेक्षण के दौरान छूट गया था या फिर शौचालय के लाभ से वंचित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा केवल 14,742 शौचालयों का निर्माण किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य का केवल 9.70 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, चयनित प्रभागों की नमूना-जाँच से पता चला कि लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति शून्य प्रतिशत से 79.71 प्रतिशत तक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.19** में दर्शाया गया है।

3.6.13 अनुप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण नहीं होना

जाँच से पता चला कि, पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 1,662.96 करोड़ की बचत में से ₹ 1,635.50 करोड़ अभ्यर्पित कर दिए गए थे, जबकि शेष राशि ₹ 27.46 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गई थी। इसी प्रकार, राजस्व अनुभाग के तहत, ₹ 284.38 करोड़ की बचत में से, केवल ₹ 234.00 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे और वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 50.38 करोड़ व्यपगत हो गए थे। प्रत्याशित बचत (₹ 77.84 करोड़) का समय पर समर्पण न करना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध था।

3.6.14 निदेशालय को गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

एसबीएम (जी) के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के गठन के बाद ग्राम स्तर पर विभिन्न स्वच्छता कार्यों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से स्थानीय बैंक में एक बचत खाता खोला गया। विभाग के निर्देश (फरवरी 2023) के अनुसार, कार्य एकल नोडल खाता के माध्यम से निष्पादित किया जाना था और पूर्व में खोले गए वीडब्ल्यूएससी के सभी खातों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना था।

बंद करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना था कि कार्यों के लिए हस्तांतरित राशि और उस पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए वीडब्ल्यूएससी के खातों को अद्यतन किया जाना था। अद्यतनीकरण के बाद, आय को जिला स्तर पर बनाए गए बैंक खातों में स्थानांतरित और जमा किया जाना था और 31 मार्च 2023 से पहले उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वीडब्ल्यूएससी के बैंक खातों को शून्य शेष खातों में बंद करने/परिवर्तन का प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, धनबाद-1 (04.03.2023) और आदित्यपुर (09.03.2023) द्वारा निदेशालय, डीडब्ल्यू एवं एसडी को दिया गया था। हालाँकि, वीडब्ल्यूएससी के बंद/शून्य शेष खातों से जिला कार्यालय में और जिला कार्यालयों के खातों से, बंद किए गए प्रमाणित खातों में धन हस्तांतरित किए जाने के मामले कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत करने की तारीख के बाद भी देखे गए थे।

आगे, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रभाग, धनबाद-1 द्वारा दो⁸ वीडब्ल्यूएससी के बैंक खातों में ₹ 9.88 लाख हस्तांतरित (29.03.23) किए गए थे।

इस प्रकार, कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्र गलत एवं भ्रामक थे।

⁸ बाँदा पश्चिम एवं बाँदर चुवी

3.7 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बचत ₹ 24,634.20 करोड़ में से ₹ 16,719.36 करोड़ की बचत 10 अनुदानों के अंतर्गत हुई है, जिसके कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है। इसके अलावा, विगत चार वर्षों के दौरान इन अनुदानों में सतत कुल बचत ₹ 10,231.12 करोड़ से ₹ 14,762.53 करोड़ तक रही।

वर्ष के दौरान 43 मामलों (प्रत्येक मामले में 0.50 करोड़ या अधिक) में कुल मिलाकर ₹ 6,221.83 करोड़ (37.67 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए थे, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया था।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2021-22 तक 11 अनुदानों से संबंधित अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त संवितरण, ₹ 3,762.49 करोड़ की राशि को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित किया जाना था। आगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक विनियोग (14-ऋणों का पुनर्भुगतान) में ₹ 15.92 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके कारण विभाग में बजटीय नियंत्रण की कमी हुई, परिणामस्वरूप बड़ी बचत हुई; वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता; खातों का मिलान न होना; और डीसी विपत्र और उ.प्र.प. जमा नहीं किया गया।

3.8 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार बजटीय अनुमानों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित कर सकती है, साथ ही आवंटित धन के अनुपयोग को कम करने के लिए एक कुशल नियंत्रण तंत्र भी स्थापित कर सकती है।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि व्यय विधानमंडल द्वारा अधिकृत राशि से अधिक न हो। पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आवंटित निधि के अनुपयोग की घटनाओं को कम करने और प्रत्याशित बचत की पहचान एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए उचित तंत्र स्थापित कर सकते हैं।

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय
प्रतिवेदन व्यवहार

अध्याय 4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ उस अनुपालन की स्थिति पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 गैर-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) एवं विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) द्वारा गैर-बजट उधार या तो स्पष्ट भुगतान या प्रत्याभूतियाँ होते हैं, और ये राज्य के आकस्मिक दायित्व होते हैं। राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 2022-23 के दौरान राज्य के पी.एस.यू./ एस.पी.वी. द्वारा ऐसी कोई गैर-बजट उधारी नहीं की गई।

4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन/कोष हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को, जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया, सीधे वृहत मात्रा में निधि हस्तांतरित की थी। जैसा कि इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषागार प्रणाली में नहीं लिया गया था, इन निधियों के व्यय के प्रवाह को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जा सका। इस प्रकार, उस सीमा तक, वित्त लेखे से लिए गए राज्य की प्राप्तियों तथा व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चर/मापदंड सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित समस्त सहायता को राज्य के संचित निधि के द्वारा जारी करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकारी एजेंसी को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में

₹ 130.92 करोड़ की कमी आई। हालाँकि, बाद के वर्षों में कार्यकारी एजेंसी को प्रत्यक्ष हस्तांतरित निधि का भाग सतत रूप से बढ़ता रहा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, ₹ 3,698.57 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह कुल राजस्व प्रप्तियों (₹ 80,245 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 66,682 करोड़) का क्रमशः 4.61 और 5.55 प्रतिशत था। राज्य की संचित निधि के बिना अंतरित निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण, न केवल उस सीमा तक राज्य के बजट और व्यय को संकुचित किया (₹ 3,698.57 करोड़), बल्कि यह भी निहित है कि बनाई गई संपत्ति और लोगों के लिए विस्तारित लाभों की लागत राज्य के खातों में परिलक्षित नहीं हुए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ऐसे योजनाओं के मामलों में जहाँ सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि हस्तांतरित कर दी गई थी, उनमें जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, एम.पी.एल.ए.डी. आदि योजनाएँ शामिल थीं।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि/निधि का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2022-23 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	जल जीवन मिशन	झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	2,119.14
2	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग	1,358.81
3	सामर्थ्य- लिंग बजट शोध कौशल प्रशिक्षण	महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा	29.27
4	एमपीएलएडी	उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट	67.00
5	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	मवेशी तथा भैंसा विकास के लिए झारखण्ड राज्य कार्यकारी एजेंसी	15.00
6	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	109.35
कुल			3,698.57

स्रोत: राज्य लेखा (2022-23) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/ लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

चूँकि, ये धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से नहीं गुजरती है, अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती है। ये स्थानांतरण वित्त लेखों के खंड II के परिशिष्ट VI में दिखाए जाते हैं।

4.3 स्थानीय निकाय निधि जमा

राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान है कि जिला परिषद (जि.प.) पंचायत समिति (पं.स.) और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) क्रमशः जि.प. निधि, पं.स. निधि और ग्रा.पं. निधि (मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत स्थानीय निधियों की जमा - 109-पंचायत निकाय निधियों के अंतर्गत) का संधारण करेगी जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन शामिल होंगे, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और पंचायत की गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल हैं। अधिनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका कोष नगरपालिका द्वारा संधारित किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी धन नगरपालिका निधि में प्रमुख शीर्ष '8448-स्थानीय निधियों का जमा-102-नगरपालिका निधि' के तहत रखा जाता है। विवरण तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: स्थानीय निकाय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पंचायती राज संस्थाएँ	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	309.67	364.38	338.12	351.01	332.12
		प्राप्तियाँ	128.99	124.60	100.19	90.78	211.26
		व्यय	74.28	150.86	87.30	109.67	91.04
		अंत शेष	364.38	338.12	351.01	332.12	452.33
शहरी स्थानीय निकाय	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	1,870.03	1,959.09	2,077.75	2,341.87	1,463.14
		प्राप्तियाँ	915.05	1,252.93	1,204.29	543.41	656.50
		व्यय	825.99	1,134.27	940.17	1,422.14	862.14
		अंत शेष	1,959.09	2,077.75	2,341.87	1,463.14	1,257.49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, इन लेखा शीर्षों से यू.एल.बी और पी.आर.आई. द्वारा किया गया व्यय वर्ष 2018-23 तक की अवधि के दौरान, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, प्राप्तियों की तुलना में बहुत कम था। सरकार के द्वारा प्रदान की गयी निधि में 2021-22 के बाद अत्यधिक कमी आई, जो केंद्र सरकार से अनुदान (मूल अनुदान) के कम प्राप्तियों के कारण था।

4.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब


झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.) में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और

सत्यापन के बाद अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक दिए गए अनुदान के संबंध में देय कुल ₹ 1,16,153.09 करोड़ के 43,469 उ.प्र.प.¹ मार्च 2023 के अंत तक बकाया थे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान, ₹ 19,629.95 करोड़ और ₹ 22,194.05 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से क्रमशः ₹ 5,358.62 करोड़ और ₹ 6,051.88 करोड़ की राशि पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के संबंध में उ.प्र.प. अधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग पाँच विभागों के विरुद्ध बकाया था, जो चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों के संबंध में बकाया उ.प्र.प.



31 मार्च 2023 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उ.प्र.प.) की संख्या और राशि तालिका 4.3 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 4.3: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण का बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		समाशोधन		विलंब प्रस्तुति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	46,502	91,661.70	8,699	36,980.77	740	6,393.31	54,461	1,22,249.16
2019-20	29,358	69,702.99	4,749	18,734.70	90	390.21	34,017	88,047.48
2020-21	34,017	88,047.48	5,075	15,806.55	28	394.89	39,064	1,03,459.14
2021-22*	39,064	1,03,459.14	5,194	13,979.67	789	1,285.72	43,469	1,16,153.09

*2021-22 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उ.प्र.प. 2022-23 के अवधि के लिए देय हुए।

बकाया उ.प्र.प. की संख्या और राशि का वर्षवार ब्यौरा तालिका 4.4 में दिया गया है।

¹ महालेखाकार (ले. एवं हक.) के लेखों में समाशोधन हेतु लंबित।

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2012-13 तक	3606	2,350.42
2013-14	1320	1,504.44
2014-15	2103	5,307.97
2015-16	8684	9,129.92
2016-17	4798	14,289.08
2017-18	3931	18,583.16
2018-19	4384	16,618.85
2019-20	4603	18,639.46
2020-21	4846	15,750.12
2021-22	5194	13,979.67
कुल	43469	1,16,153.09

*2021-22 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उ.प्र.प. 2022-23 के अवधि के लिए देय हुए।

सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति, वांछित उद्देश्य के लिए अनुदानों के उपयोग को समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के, विभागीय अधिकारियों की नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता को इंगित करती है। उ.प्र.प. के अधिक लम्बित होने से धन के गबन और धोखाधड़ी का जोखिम रहता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने का कारण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.5 अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

जे.टी.सी. में वर्णित है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त किया जाना है और सत्यापन के पश्चात, अनुदान निकासी के दिन से 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) झारखण्ड को अग्रेषित करना है।

31 मार्च 2023 तक अनुदान संख्या 01- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या एवं राशि तालिका 4.5 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.5: अनुदान संख्या-01 में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वर्ष	कुल विमुक्त अनुदान		समायोजित		कुल बकाया	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2401	2020-21 तक	4	6.50	2	3.85	2	2.65
	2021-22	12	73.70	0	0	12	73.70
2415	2020-21 तक	6	15.87	6	15.87	0	0
	2021-22	8	116.07	7	114.60	1	1.47
कुल		30	212.14	15	134.32	15	77.82

स्रोत: प्र. महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय, झारखण्ड

इसके अलावा, तीन एजेंसियों को प्रदान किए गए अनुदान की नमूना-जाँच से पता चला कि ₹ 10.50 करोड़ में से, ₹ 7.48 करोड़ 2020-21 के दौरान व्यय किए गए थे। केवल ₹ 0.21 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) के कार्यालय में जमा किया गया था। इसके अलावा, ₹ 3.02 करोड़ की शेष राशि व्यक्तिगत बही खातों (पीएलए) में जमा की गई थी जैसा कि तालिका 4.6 में दिखाया गया है।

तालिका 4.6: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष	सहायता अनुदान की राशि	31.03.23 को व्यय की स्थिति	शेष	टिप्पणी
1	झारखण्ड राज्य कृषि विकाश निगम लिमिटेड (जेएसएडीसीएल)	2020-21	1.15	0.21	0.94	₹ 0.21 करोड़ के व्यय के विरुद्ध उ.प्र.प. महालेखाकार (ले. एवं ह.) को भेजे गए थे और शेष राशि ₹ 0.94 करोड़ पीएलए में जमा की गई थी।
2	झारखण्ड कृषि उपकरण परीक्षण तथा प्रशिक्षण केंद्र (जेएएमएमटीएस)	2020-21	1.35	1.35	0.00	प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) को उपयोगिता प्रमाणपत्र समर्पित नहीं किया गया।
3	झारखण्ड कृषि तथा मृदा प्रबंधन संस्था (जेएएमएमआईएस)	2020-21	8.00	5.92	2.08	₹ 5.92 करोड़ के व्यय के विरुद्ध उ.प्र.प. महालेखाकार (ले. एवं ह.) को नहीं भेजे गए थे और ₹ 2.08 करोड़ की शेष राशि पीएलए में रखी गई थी।
कुल			10.50	7.48	3.02	

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 तक भुगतान किए गए कुल ₹ 2,302.56 करोड़ अनुदान के संबंध में, मार्च 2023 तक 117 उ.प्र.प. बकाया थे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण तालिका 4.7 में दिया गया है।

तालिका 4.7: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	विभाग द्वारा जारी अनुदान		प्रस्तुत की गई उ.प्र.प.		बकाया उ.प्र.प.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2215	2020-21 तक	15	339.68	03	0.66	12	339.02
	2021-22	51	544.43	शून्य	शून्य	51	544.43
	2022-23	45	16.84	शून्य	शून्य	45	16.84
4215	2020-21 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2022-23	9	1402.27	शून्य	शून्य	09	1402.27
कुल		120	2303.22	03	0.66	117	2302.56

इतनी लंबी अवधि के लिए उ.प्र.प. का लम्बित होना न केवल अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र और विभाग की खराब निगरानी का सूचक था, बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम को भी दर्शाता है।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब बिना संलग्न वाउचर के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि आहरित की जाती है, तो उप-वाउचर से समर्थित और नियंत्रक अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र को ए.सी. विपत्र के आहरण की तिथि से छः माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31.03.2023 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की वर्ष-वार विवरण तालिका 4.8 में दी गयी है।

तालिका 4.8: ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित ए.सी. विपत्र		जमा डी सी विपत्र		शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	1,331	149.96	480	84.83	851	65.13
2001-2002	5,493	506.18	2,970	322.31	2,523	183.87
2002-2003	3,846	408.07	2,461	306.78	1,385	101.29
2003-2004	7,640	619.55	5,547	506.17	2,093	113.38
2004-2005	6,664	1,171.01	5,111	1,018.90	1,553	152.11
2005-2006	6,145	1,084.18	4,967	872.95	1,178	211.23
2006-2007	6,053	1,502.66	4,791	1,222.93	1,262	279.73
2007-2008	6,862	1,796.19	5,638	1,367.63	1,224	428.56
2008-2009	4,747	2,937.18	3,540	2,408.94	1,207	528.24
2009-2010	2,087	996.69	1,122	724.96	965	271.73
2010-2011	1,891	824.63	896	593.37	995	231.26
2011-2012	1,077	1,611.15	608	1,439.13	469	172.02
2012-2013	545	924.98	351	774.00	194	150.98
2013-2014	468	666.82	265	602.94	203	63.88
2014-2015	550	721.23	290	469.62	260	251.61
2015-2016	806	1,224.90	408	863.02	398	361.88
2016-2017	459	1,267.80	206	1,004.00	253	263.80
2017-2018	335	1,209.12	124	986.18	211	222.94
2018-2019	243	1,061.32	88	890.08	155	171.24
2019-2020	330	2,168.00	114	1,940.87	216	227.13
2020-2021	357	1,911.16	75	1,231.88	282	679.28
2021-2022	246	2,668.28	52	1,961.37	194	706.91
2022-23*	151	302.17	7	25.67	144	276.50
कुल	58,326	27,733.24	40,111	21,618.53	18,215	6,114.71

* सितंबर 2022 तक आहरित किए गए के एसी विपत्रों को लिया गया है।

राज्य के ग्यारह विभागों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 357 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर ₹ 595.44 करोड़ आहरित किए। सितंबर, 2022 तक 357 ए.सी. विपत्रों में से ₹ 302.17 करोड़ के 151 ए.सी. विपत्र की निकासी की गयी थी, जिनके जमा करने की नियत तिथि मार्च, 2023 थी। 151 ए.सी. विपत्र के विरुद्ध केवल ₹ 25.67 करोड़ के सात डी.सी. विपत्र देय तिथि पर जमा

किए गए तथा ₹ 276.50 करोड़ के शेष 144 ए.सी. विपत्र जमा करने के लिए लंबित रह गए।


इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 276.50 करोड़ की शेष राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए व्यय की गई है, जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। यह वर्ष के दौरान का व्यय उक्त स्तर तक संभावित अत्योक्ति हो सकता है।

इस प्रकार, सितम्बर, 2022 तक आहरित ₹ 6,114.71 करोड़ राशि के 18,215 ए.सी. विपत्र भी 31 मार्च, 2023 तक बकाया थे। अग्रिमों के आहरण और लेखों में नहीं लिए जाने से अपव्यय/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना बढ़ जाती है।

2022-23 में आहरित कुल ए.सी. विपत्रों में से ₹ 268.89 करोड़ के 198 ए.सी. विपत्रों को मार्च 2023 में आहरित किया गया था। मार्च में, ए.सी. विपत्र के माध्यम से व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

अधिकतम लंबित राशि वाले विभागों का डी.सी. विपत्रों के साथ तुलनात्मक विवरण चार्ट 4.2 एवं तालिका 4.9 में दिया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र



तालिका 4.9: पाँच प्रमुख विभागों में लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष (Year)	ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department)		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग (Health, Education and Family Welfare Department)		कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (Agriculture, Animal Husbandry and Cooperatives Department)		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग (Women, Child Development and Social Security Department)		गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग (Home, Prison and Disaster Management Department)	
	संख्या (Number)	राशि (Amount)	संख्या (Number)	राशि (Amount)	संख्या (Number)	राशि (Amount)	संख्या (Number)	राशि (Amount)	संख्या (Number)	राशि (Amount)
2000-2001	272	15.85	68	0.03	3	0.00	0	0.00	57	0.11
2001-2002	297	29.43	465	11.74	159	0.70	352	12.66	205	4.64
2002-2003	218	40.45	208	2.67	134	2.81	183	14.37	131	2.84
2003-2004	206	38.90	65	5.07	105	1.56	657	26.12	215	8.28
2004-2005	163	53.86	103	26.78	102	0.89	331	20.03	102	7.19
2005-2006	101	51.14	101	20.12	98	9.06	197	51.04	136	3.42
2006-2007	109	35.36	136	47.99	66	8.80	206	87.39	140	6.02
2007-2008	184	33.97	107	115.86	58	12.91	191	64.71	90	2.64
2008-2009	205	54.50	62	43.16	56	47.35	207	54.48	147	10.22

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग		गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2009-2010	188	54.90	49	64.02	18	1.08	295	45.53	142	22.77
2010-2011	181	82.27	5	0.11	20	2.04	333	37.67	68	30.75
2011-2012	97	63.79	13	0.42	39	5.66	41	5.06	32	7.88
2012-2013	85	79.55	3	0.10	9	6.95	26	30.12	6	0.16
2013-2014	106	30.30	16	11.89	5	1.85	10	0.18	6	0.56
2014-2015	138	121.07	7	17.27	7	2.47	7	0.09	13	33.77
2015-2016	195	160.47	16	27.02	80	16.51	10	83.72	29	31.08
2016-2017	114	43.53	8	3.47	16	4.72	0	0.00	20	29.12
2017-2018	117	43.87	3	2.28	8	2.01	0	0.00	24	35.89
2018-2019	116	43.06	3	4.44	1	0.00	1	0.45	8	45.10
2019-2020	127	70.02	0	0.00	4	7.02	0	0.00	64	123.37
2020-2021	239	140.46	4	234.03	7	23.74	1	0.15	15	191.20
2021-2022	149	192.13	23	12.39	7	378.61	5	14.16	2	5.70
2022-2023	309	349.68	27	128.04	0	0.00	0	0.00	5	84.00
कुल	3916	1,828.56	1492	778.90	1002	536.74	3053	547.93	1657	686.71

जैसा कि तालिका 4.9 से देखा जा सकता है, 2000-01 से आहरित ए.सी. विपत्र इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद समाशोधन के लिए लंबित थे, यह एक गंभीर अनियमितता है और सरकारी धन के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4.7 डीसी विपत्रों का अप्रस्तुतिकरण

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 186 एवं 187 के अनुसार, नियंत्रि अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और उप-अभिश्चव के साथ समर्थित डीसी विपत्र, ए.सी. विपत्रों के निकासी से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की सामाप्ति के बाद कोई आकस्मिक विपत्र पर निकासी तब तक नहीं की जा सकती जब तक विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाये।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार, अनुदान संख्या 01- कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) में ₹ 2,571.44 करोड़ के ए.सी. विपत्रों में से कुल ₹ 403.66 करोड़ 2003-04 से 2016-17 की अवधि के दौरान निकाले गए, जो सितम्बर 2023 तक शीर्ष 2401, 2402, 2415 और 4401 के तहत जमा करने के लिए लंबित थे। विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है।

नमूना-जाँच किये गये जिलों में विभाग के लंबित डीसी विपत्रों की नमूना-जाँच से निम्नलिखित पता चला:

- 2008-09 के दौरान ₹ 3,05,54,000.00² (₹ 1,81,89,000 और ₹ 1,23,65,000) निकासी की गयी और 10 महीने के बाद परियोजना

² चेक संख्या 335048 के द्वारा दिनांक 27.01.2010

प्रबंधक, आत्मा, पलामू को हस्तांतरित कर दिए गए, जिसमें से ₹ 2,74,72,274.00 व्यय किया गया और शेष राशि ₹ 30,81,726.00 बैंक खाते में जमा कर दी गई।

- (ii) जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी (डीएससीओ), पलामू द्वारा 'बंजर भूमि और परती भूमि के विकास' के लिए एसी विपत्र पर ₹ 21,40,000.00 निकाले गए (31.03.2012)। इसमें से ₹ 20,70,000.00 भू-संरक्षण पदाधिकारी (एससीओ), पलामू को हस्तांतरित³ (20.04.2012) कर दिया गया। एससीओ, पलामू को हस्तांतरित राशि (₹ 20,70,000.00) की विस्तृत व्यय रिपोर्ट/अद्यतन स्थिति डीएससीओ के पास उपलब्ध नहीं थी।
- (iii) जेटीसी के नियम 168 के अनुसार, 'आकस्मिक शुल्क' या 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है और व्यय के किसी अन्य मद के अंतर्गत आते हैं जैसे 'कार्य', 'स्टॉक', 'उपकरण एवं संयंत्र' आदि के अलावे इसमें वे सभी आकस्मिक और अन्य व्यय शामिल हैं जो व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित नियमों के तहत किसी कार्यालय के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं।

अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि, जिला कृषि पदाधिकारी, साहिबगंज द्वारा पूँजीगत कार्य अर्थात् संयुक्त जिला कृषि भवन, साहिबगंज के निर्माण के लिए एसी विपत्र पर ₹ 1,16,33,720 की निकासी की गई (08.12.2016) और विशेष प्रभाग, साहिबगंज को हस्तांतरित कर दिया गया जो जेटीसी के नियम के विरुद्ध था।

- (iv) 'सिंगल विंडो ऑपरेशन' के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, साहिबगंज द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 75,00,000.00 निकाले गए (24.10.2016) जिसमें से ₹ 46,64,836.00 की राशि का डीसी विपत्र जमा किया गया (07.12.2018) और शेष राशि ₹ 28,35,164.00 को बैंक खाते (एसबीआई, साहिबगंज में बचत खाता) में जमा किया गया था।
- (v) जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए एसी विपत्र पर ₹ 6,27,270 और ₹ 70,833 निकाले गए (क्रमशः 31.03.2016 तथा 31.03.2016) जिसमें से ₹ 2.06 लाख की राशि का उपयोग नहीं किया गया और बैंक खाते में जमा कर दिया गया।

इसी प्रकार, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार, 2007-08 से 2013-14 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में प्रमुख शीर्ष 2215 के तहत एसी विपत्रों के माध्यम से ₹ 3,464.73 करोड़ रुपये की निकासी की गयी थी जिसके विरुद्ध, सितंबर 2023 तक ₹ 307.04 करोड़ की राशि का डीसी विपत्र

³ चेक संख्या 436665 के द्वारा

जमा किया गया था, जबकि ₹ 3,157.69 करोड़ बकाया था, जैसा कि तालिका 4.10 में दिखाया गया है।

तालिका 4.10: लंबित डीसी विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी.विपत्र		जमा की गई डी.सी. विपत्र		लंबित डी.सी विपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2215	2007-08	08	2984.80	03 ⁴	307.04	08	2677.76
2215	2012-13	01	407.43	00	00	01	407.43
2215	2013-14	01	72.50	00	00	01	72.50
कुल		10	3464.73	03	307.04	10	3157.69

यह देखा गया कि पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्र के विरुद्ध डी.सी. विपत्र प्रस्तुत किए बिना बार-बार ए.सी. विपत्रों की निकासी की गयी। लंबी अवधि के लिए डी.सी. विपत्रों को जमा न करना एक गंभीर अनियमितता है और इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम की संभावना सन्निहित है।

4.8 डीसी विपत्रों का विलंब से प्रस्तुतिकरण

जेटीसी के नियम 186 और 187 में कहा गया है कि डीसी विपत्र, उप-अभिश्चव के साथ समर्थित और नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, एसी विपत्र की निकासी की तारीख से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की समाप्ति के बाद कोई भी एसी विपत्र भुनाया नहीं जाएगा, जब तक कि विस्तृत विपत्र जमा न किया गया हो।

नमूना-जाँच किए गए जिलों में और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार, यह देखा गया कि एसी विपत्र, राशि ₹ 723.50 करोड़, अनुदान संख्या 1-कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग (कृषि प्रभाग) प्रमुख शीर्ष 2401, 2402 और 4402 के तहत आहरित किए गए थे। यह देखा गया कि धनराशि का उपयोग किया गया था और डीसी विपत्र 03 महीने 19 दिन से 09 साल 09 महीने 22 दिन तक की देरी से प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय में डीडीओ द्वारा जमा किए गए थे, जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में बताया गया है।

नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि ₹ 2.53 करोड़ में से, ₹ 1.06 करोड़ का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे आहरित किया गया था और कोषागार में वापस भेज दिया गया। इसके विरुद्ध प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड को समायोजन हेतु डीसी विपत्र समर्पित किया गया। विवरण परिशिष्ट 4.3 में दिया गया है।

⁴ आंशिक समायोजित

4.9 वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों का आहरण

विनियोग अधिनियम में सन्निहित प्रावधान के अनुसार, कोषागार से आहरित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर किया जाना चाहिये। अग्रतर झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 में प्रावधान है कि माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदान की समाप्ति को रोकने के लिए कोषागार से कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिये, जब तक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। आगे, कोषागार से माँग की प्रत्याशा में अग्रिम की निकासी कार्य के निष्पादन, जिसमें अधिक समय लगने की संभावना है, के लिए विनियोग को समयवाधिता से बचाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागार से धनराशि आहरित करते समय, डी.डी.ओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि आहरित सभी धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्दर कर दिया जाएगा।

अनुदान संख्या 1-कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के लिए प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार, 2004-05 से 2017-18 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंत में 2401, 2402 और 4402 शीर्षों के तहत, ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 239.64 करोड़ निकाले गए थे, जिसमें से ₹ 11.63 करोड़ अभी भी अपने डी.सी. विपत्र जमा करने के लिए मार्च 2023 तक लंबित थे, जैसा कि परिशिष्ट 4.4 में दर्शाया गया है।

4.10 स्थानीय निधियों की जमा

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वित्त लेखों और वाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकरण (वीएलसी) आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों के जमा के तहत लघु शीर्षों में लेन-देन से संबंधित 204 खाते 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित थे। शेष राशि का वर्षवार विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है।

तालिका 4.11: स्थानीय निधियों की जमा का वर्षवार विच्छेद

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85
2021-22	16,302.85	10,246.04	11,022.02	15,526.87
2022-23	15,526.87	17,023.16	14,162.63	18,387.40

तालिका 4.11 से यह स्पष्ट है कि 2018-23 के दौरान, 2019-20 और 2021-22 को छोड़कर, व्यय प्राप्तियों के मुकाबले कम था जिसके कारण इन वर्षों में अंत शेष में वृद्धि हुई।

2022-23 के दौरान, संवितरण प्राप्तियाँ से ₹ 2.860.53 करोड़ कम था, जिससे वर्ष के अंत में शेष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आगे, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मार्च 2023 को ₹ 18,387.40 करोड़ की एक बड़ी राशि सरकार के बजटीय नियंत्रण से बाहर थी।

आगे, झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 343 में प्रावधान है कि यदि किसी अनुदान को व्यय करने की समय सीमा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है, तो उस राशि को उचित समय में निर्धारित उद्देश्य पर व्यय किया जाना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अनुदान का कोई भाग तत्काल व्यय के लिए आवश्यक न हो तो उसे सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए।

जिला परिषदों के लेखाओं की नमूना-जाँच, तालिका 4.12 में इंगित, में पाया गया कि छः प्रशासकों ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया तथा ₹ 102.72 करोड़ की अव्ययित निधि को “8448- स्थानीय निधि जमा के तहत 109-पंचायत निकाय निधि,” में तीन वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध रखा। अग्रतर नमूना-जाँच से पता चला कि ₹ 3.27 करोड़, जि. प., राँची (₹ 2.25 करोड़) और जि. प., पूर्वी सिंहभूम (₹ 1.02 करोड़) के खातों में पड़ा हुआ था, जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य जिला परिषद के अधिकारियों को पता नहीं था। जिला परिषद के अव्ययित निधि का विवरण तालिका 4.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.12: तीन वर्षों से अधिक समय से अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	तीन वर्षों से अधिक समय से अव्ययित राशि
1	जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम	1.02
2	जिला परिषद, साहिबगंज	25.28
3	जिला परिषद, चतरा	3.47
4	जिला परिषद, राँची	48.08
5	जिला परिषद, खरसावाँ	6.26
6	जिला परिषद, गढ़वा	8.88
7	जिला परिषद, रामगढ़	0.54
8	जिला परिषद, जामताड़ा	0.85
9	जिला परिषद, धनबाद	8.34
कुल		102.72

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लंबे समय तक लेखाओं में पड़ी अव्ययित शेष राशि समेकित निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था, बल्कि इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम भी शामिल था।

4.11 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 328 से 330 में प्रावधान है कि जहाँ लोकहित में अधिक व्यय की आवश्यकता हो जो सामान्य कोषागार पद्धति द्वारा संभव नहीं हो सरकारी सेवक द्वारा विशेष मामलों में व्यक्तिगत जमा (पी.डी.ए.) खाते का उपयोग किया जा सकता है। वित्त विभाग की सहमति तथा महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा अधिकृत किये बिना कोषागारों में कोई व्यक्तिगत जमा खाते (पी.डी.ए.) नहीं खोले जा सकते हैं। वित्त विभाग प्राधिकार पत्र में एक तारीख निर्दिष्ट करता है जिसके लिए खाता को खोला जाना है। ऐसी तारीख की समाप्ति के पश्चात्, कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (ले. व हक.) की पूर्व अनुमति के बिना खाते को बंद कर देता है। खाताधारक जैसे कि लेखे का प्रशासक, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को सूचित करते हुए कोषागार पदाधिकारी द्वारा खाते को बंद करते समय बकाया राशि सम्बंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारियों को जिला भू-अर्जन अधिकारियों के नाम से दिसम्बर 2019 में पी.डी. खाते खोलने के निर्देश दिये। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाता खोले गए। ये सभी खाते चालू अवस्था में हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,018.13 करोड़ की प्रारंभिक शेष में ₹ 850.24 करोड़ की राशि जोड़ी गई थी। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशि में से वर्ष के दौरान ₹ 499.58 करोड़ का वितरण किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,368.79 करोड़ की राशि खातों में शेष रह गयी।

4.12 लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

‘अन्य प्राप्तियों’ और ‘अन्य व्यय’ से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

47 मुख्य शीर्षों में कुल प्राप्तियों ₹ 80,245.22 करोड़ में से ₹ 2,324.60 करोड़ (2.90 प्रतिशत) लघु शीर्ष ‘800-अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत बुक किया गया। आगे, जैसा कि तालिका 4.13 में दर्शाया गया है, वर्ष 2022-23 दौरान ₹ 1,471.33 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 1,451.98 करोड़ की राशि 14 मुख्य शीर्ष में लघु शीर्ष “800” के अंतर्गत बुक किए गए थे, जो 81 प्रतिशत से अधिक थे।

तालिका 4.13: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	'800' में बुक किया गया	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1.	0059	लोक निर्माण	13.84	13.84	100
2.	0075	विविध सामान्य सेवा	1,171.73	1,171.73	100
3.	0215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	9.54	9.49	99
4.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51.08	45.29	89
5.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	81.11	81.11	100
6.	0425	सहकारिता	4.39	3.64	83
7.	0515	अन्य ग्रामीण विकास	17.20	14.01	81
8.	0700	मुख्य सिंचाई	35.70	35.70	100
9.	0701	मध्यम सिंचाई	43.06	39.50	92
10.	0702	लघु सिंचाई	5.60	5.60	100
11.	0801	ऊर्जा	0.46	0.46	100
12.	1054	सड़क एवं पुल	44.58	40.61	91
13.	1456	जन आपूर्ति	19.65	19.65	100
कुल			1,497.94	1,480.63	99

4.13 जमा, प्रेषण, उचंत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन खाते के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किये जा सकते हैं। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशियों को उनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में उचंत शेष राशि का असमायोजन उस वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिम्ब पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। राज्य के उचंत शेषों और प्रेषण शेषों की स्थिति क्रमशः तालिका 4.14 और तालिका 4.15 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.14: उचंत शीर्ष- 8658 के तहत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	437.28	438.51	557.75	557.26	694.40	696.42
निवल	क्रेडिट 1.23		डेबिट 0.49		क्रेडिट 2.02	
102- उचंत लेखा (सिविल)	41.87	40.83	93.21	122.57	174.66	181.52
निवल	डेबिट 1.04		क्रेडिट 29.36		क्रेडिट 6.86	

तालिका 4.15: प्रेषण शीर्ष- 8782 के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102- पी.डब्ल्यू. प्रेषण	55,208.80	55,332.72	62,735.61	62,817.53	71,182.33	71,254.68
निवल	क्रेडिट 123.92		क्रेडिट 81.92		क्रेडिट 72.35	
103- वन प्रेषण	2,394.30	2,404.06	3,035.51	3,078.97	4,024.04	4,039.04
निवल	क्रेडिट 9.76		क्रेडिट 43.46		क्रेडिट 15.01	

स्रोत: झारखण्ड सरकार का वित्त लेखे

इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थ नीचे बताए गए हैं:

• वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत

इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो केन्द्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) झारखण्ड द्वारा भुगतान निष्पादित किए गए, जिसका किया जाना अभी शेष है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) के द्वारा अभी तक समायोजित करना बाकी है। यह देखा गया कि निवल शेष 2021-22 में डेबिट शेष ₹ 0.49 करोड़ से बदलकर 2022-23 में ₹ 2.02 करोड़ क्रेडिट शेष हो गया। इस शीर्ष (₹ 2.02 करोड़) के तहत शुद्ध क्रेडिट शेष के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष इस स्तर तक घट जाएगा।

• उचंत लेखा (सिविल)

इस लघु शीर्ष का उपयोग प्राप्तियों (क्रेडिट) तथा होने वाले व्यय (डेबिट) को बुक करने के लिए किया जाता है, जो प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित की जाती है। इस मद के निष्पादन पर नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान इस उचंत शीर्ष के तहत निवल शेष राशि ₹ 29.36 करोड़ के डेबिट से ₹ 6.86 करोड़ के क्रेडिट बीच दोलित रहा।

अधिकारियों तथा लेखा अधिकारियों के खातों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2023 के अंत में ₹ 87.36 करोड़ की क्रेडिट शेष पारगमन में था।

4.14 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

बजट अनुदानों के अन्दर व्यय पर प्रभावी नियंत्रण और उनके लेखाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रक अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु राज्य वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी बही खातों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों में दर्ज आंकड़ों से प्रत्येक माह समाशोधित किया जाना चाहिए।


बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि व्यय एवं प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए नियंत्री अधिकारी को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों के साथ विभागीय लेखाओं का मिलान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) बजट नियंत्रण अधिकारियों को झारखण्ड बजट नियमावली की आवश्यकताओं पर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की पुस्तकों के साथ प्राप्तियों और व्यय के मासिक और त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करने के लिए बारम्बार कहते रहे।

प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की पुस्तकों के साथ राज्य की प्राप्तियों और संवितरण के असमाशोधन की नियमित रिपोर्टिंग के बाद, यह बदलाव देखा गया कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा जहाँ राज्य की कुल प्राप्ति के 99 प्रतिशत से अधिक और कुल व्यय करीब 96 प्रतिशत प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों के साथ समाशोधित किया गया था।

चूंकि, राशि का मिलान वार्षिक लेखाओं में प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का उचित आश्वासन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, अतः 100 प्रतिशत समाशोधन किया जाना चाहिए। समाशोधन की वर्षवार स्थिति चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.3: 2020-21 से 2022-23 के तीन वर्षों के दौरान समाशोधन की स्थिति



4.15 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) के बही खातों में दर्ज राज्य के नकद शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 91.07 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों {₹ 95.29 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 186.36 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 186.36 करोड़ (निवल डेबिट) के

अंतर को प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए आर.बी.आई. राँची से संपर्क किया गया है।

4.16 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकते हैं। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने, जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं।

तालिका 4.16: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई.जी.ए.एस.-1 सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधान सभा सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में इस तरह की गारंटियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	आई.जी.ए.एस.-2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक को अनुदानग्राही के साथ साथ अनुदानदाता (गारंटर) के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणी में सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणी में उचित माध्यम से सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों के निर्धारण का लक्ष्य रखता है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	कोई कमी नहीं
3.	आई.जी.ए.एस.-3 सरकारी ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा इनके अपने वित्तीय विवरणों में लिए गए ऋण और अग्रिमों की मान्यता, माप, मूल्यांकन और प्रतिवेदन के मानदंडों को दिखाना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, सुनिश्चित नहीं हो सका।

4.17 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध सीएजी से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का

अनुरोध किया गया है, सी.ए.जी. को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के परे, जहाँ किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों का लेखापरीक्षा किसी कानून के तहत अथवा द्वारा सीएजी को नहीं सौंपा गया है, वह, यदि इस प्रकार का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, तो ऐसे निकाय या प्राधिकरण को खातों/लेखों का लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों पर करेगा जैसा कि उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हुई हो, और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, उस निकाय या प्राधिकरण की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा (धारा 20)।

निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के लेखापरीक्षा के तहत राज्य में 11 प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों से संबंधित लेखा, प्रस्तुत करने के लिए देय खातों की संख्या और लेखापरीक्षा की स्थिति का प्रस्तुतीकरण से संबंधित विवरण तालिका 4.17 में दिया गया है।

तालिका 4.17: लेखा के प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2022-23 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2022-23	शून्य	2018-19	सूचित नहीं किया गया	एस.ए.आर. वर्ष 2019-20 से 2022-23 अवधि के लिए प्रक्रियाधीन है।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2011-12	11	2011-12	03.03.2014	लेखे का प्रारूप तथा निधि नियम के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखे का लेखापरीक्षा रोक दिया गया।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2020-21		2020-21	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद, लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2020-21 अवधि के लिए 26 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10	13	2002-03 से 2009-10	सूचित नहीं किया गया	2010-11 की अवधि के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त नहीं किया गया।
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2016-17	6			2010-11 और 2016-17 के लिए लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2022-23 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	2007-08 से 2010-11	12			बैलेंस शीट जमा नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा शुरू नहीं हो सकी।
7	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड, राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	22			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
8	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	2015-16	7			वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के लिए वार्षिक लेखा अगस्त 2023 में प्राप्त हुए और संवीक्षाधीन है।
9	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	7			न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
10	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास), राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया				न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।
11	बाबा बैद्यनाथ धाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया				29.11.2022 को पाँच लेखांकन वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ। लेखाओं की प्रतीक्षा है।

सक्रिय अनुनय के बावजूद, झालसा के लेखापरीक्षित लेखे के संबंध में एस.ए.आर. के उपस्थापन संबंधित जानकारी सूचित नहीं की गई है।

4.18 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 77 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 77 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने सितम्बर 2023 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि चार⁵ निकायों/प्राधिकरणों ने शुरुआत से अपना लेखा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया। 73 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि परिशिष्ट 4.5 में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/ विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

⁵ (i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड (iii) सरकारी प्रेस (iv) वन विकास प्राधिकरण

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सितम्बर 2023 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

4.19 दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में उल्लेखित है कि गबन या अन्य प्रकार से लोक धन, सरकारी राजस्व भंडारों या अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गई हो तो भी इसे सूचित करना अपेक्षित है। जैसे ही संदेह होता है कि हानि हुई है, ऐसी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पूछताछ के आधार पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय को कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई है।

4.20 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधान मण्डल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर सम्बंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन उपस्थापन के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.4.4 में प्रावधानों से आधिक्य व्यय ₹ 8,120.12 करोड़ (पिछले वर्षों से संबंधित) को लेखांकित किया गया था जिसको राज्य विधानमंडल द्वारा लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिश पर विनियमित (13.01.2014) किया गया था। उस तारीख के बाद प्रावधानों पर किसी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया, क्योंकि इस संबंध में पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित अन्य कोई कंडिका पर सितम्बर 2023 तक लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गयी।

4.21 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, ₹ 1,16,153.09 करोड़ राशि के 43,469 उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.प.) महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

31 मार्च 2023 तक ₹ 6,114.71 करोड़ की राशि के 18,215 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

4.22 अनुशंसाएँ

- वित्त विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.प.) को जमा करने के लिए पहल करनी चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभाग को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करने के लिए ज़िम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यतिक्रमी अनुदानग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं हो। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करते हों।
- वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर लंबित सभी एसी विपत्र को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि एसी विपत्र केवल बजट की व्ययगतता से बचने के लिए नहीं निकाले जाएँ।

अध्याय-5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

अध्याय 5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

5.1 परिचय

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) शब्द में वे सरकारी कंपनियाँ और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित अन्य कंपनियों को भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एसपीएसयू) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों के पास या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की गई हो और इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है जो एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी भी अन्य कंपनी को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया जाता है।

31 मार्च 2023 तक राज्य में एसपीएसई की कुल संख्या 32 थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020-21 से 2022-23 के भीतर प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों के आधार पर, 16 एसपीएसई (15 सरकारी कंपनियाँ और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी) को इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

5.2 अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जो सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके तहत बनाए गए विनियम के साथ पढ़ा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी कंपनियों के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करता है और खातों का लेखापरीक्षा करने के तरीके पर निर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का भी अधिकार है। कुछ वैधानिक निगमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके खातों का लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है।

5.3 इस अध्याय में क्या शामिल है

यह अध्याय राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का अवलोकन है जैसा कि उनके खातों से पता चलता है।

5.4 एसपीएसई और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में उनका योगदान

एसपीएसई में राज्य सरकार की कंपनियाँ और वैधानिक निगम शामिल हैं। एसपीएसई की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने के लिए की गई है। 31 मार्च 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत झारखण्ड में 32 एसपीएसई (तीन¹ निष्क्रिय सरकारी कंपनियों और एक² सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) थे। 16 एसपीएसई, जिनके पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में से किसी एक के खाते प्राप्त हुए हैं, **परिशिष्ट 5.1** में दिए गए हैं। 16 एसपीएसई जिनके खाते तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, उन्हें **परिशिष्ट 5.2** में दिखाया गया है।

झारखण्ड में स्थापना के बाद से तीन निष्क्रिय एसपीएसई हैं, जिनमें पूँजी (₹ 1.10 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 47.89 करोड़) के लिए ₹ 48.99 करोड़ का निवेश है। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि इन निष्क्रिय एसपीएसई में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देता है। पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने को उनके बोर्ड³ द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

एसपीएसई के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत एसपीएसई और स.रा.घ.उ. का टर्नओवर **तालिका 5.1** में दिया गया है।

¹ करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल), झारबिहार कोलियरी लिमिटेड

² झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

³ पीईएल: 5वीं एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 16वीं (02 फरवरी 2018)

तालिका 5.1: झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की तुलना में एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
विद्युत क्षेत्र एसपीएसई	5,018.57	6,138.67	6,138.67
गैर-विद्युत क्षेत्र एसपीएसई	63.02	81.25	81.25
कुल	5,081.59	6,219.92	6,219.92
पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन	-9.36	22.40	0.00
झारखण्ड की स.रा.घ.उ.	2,96,664	3,58,863	3,93,722
झारखण्ड के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर का प्रतिशत	1.71	1.73	-

स्रोत: 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर संकलन को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में लिया गया क्योंकि 2022-23 के लिए कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं था और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और योजना और विकास विभाग, भारत सरकार के अनुसार स.रा.घ.उ. आंकड़े।

16 एसपीएसई का टर्नओवर 2020-21 में ₹ 5,081.59 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 6,219.92 करोड़ हो गया। जैसा कि तालिका 5.1 में दिखाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर वृद्धि (-) 9.36 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 के दौरान 22.40 प्रतिशत दर्ज की गई।

झारखण्ड के स.रा.घ.उ. में एसपीएसई का योगदान 2020-21 में 1.71 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 1.73 प्रतिशत हो गया।

5.5 एसपीएसई में निवेश और बजटीय सहायता

एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

30 सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि 31 मार्च 2023 के अंत तक तालिका 5.2 में दी गई है।

तालिका 5.2: सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2023 तक		
	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
राज्य सरकार	9,456.18	16,926.61	26,382.79	9,509.80	19,967.47	29,477.27
अन्य (सरकारी कंपनियों सहित)	52.34	2,163.01	2,215.35	52.34	2,531.97	2,584.31
कुल निवेश	9,508.52	19,089.62	28,598.14	9,562.14	22,499.44	32,061.58
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.45	88.67	92.25	99.45	88.75	91.94

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों को अधिक कंपनियों से वर्ष का लेखा-जोखा प्राप्त होने के बाद सुधार/संशोधित किया गया है।

राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा, सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में निवेश की गई पूंजी वर्ष 2022-23 तक ₹ 19.80 करोड़ थी जो तालिका 5.2 में शामिल है।

2022-23 के दौरान, 31⁴ एसपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी होल्डिंग में ₹ 53.62 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में इक्विटी में निवेश 2021-22 में ₹ 9,456.18 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 9,509.80 करोड़ हो गया। विद्युत क्षेत्र के दो एसपीएसई, जेबीवीएनएल और जेयूएनएल का योगदान क्रमशः ₹ 3,246.45 करोड़ और ₹ 1,598.96 करोड़ था।

31 मार्च 2023 तक 31 कार्यरत एसपीएसई में क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश

विवरण	निवेश ⁵ (₹ करोड़ में)					कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण	
विद्युत क्षेत्र	9,121.25	9,120.15	22,411.14	19,916.20	31,532.39	98.35
गैर-विद्युत क्षेत्र	440.89	389.65	88.30	51.27	529.19	1.65
कुल	9,562.14	9,509.80	22,499.44	19,967.47	32,061.58	100.00

स्रोत: जानकारी एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई

एसपीएसई में निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई पर था, जिन्हें 31 मार्च 2023 तक कुल निवेश ₹ 32,061.58 करोड़ का 98.35 प्रतिशत (₹ 31,532.39 करोड़) प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार की हिस्सेदारी कुल निवेश ₹ 32,061.58 करोड़ का 91.94 प्रतिशत (₹ 29,477.27 करोड़) थी।

5.6 एसपीएसई से प्रतिफल

5.6.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के आधार पर, गैर-विद्युत क्षेत्र से संबंधित सात एसपीएसई ने 2020-21 में ₹ 31.11 करोड़ का लाभ दर्ज किया और 2021-22 में 10 एसपीएसई (दो विद्युत और आठ गैर-विद्युत क्षेत्र) ने वर्ष के दौरान ₹ 53.57 करोड़ का लाभ दर्ज किया जिसमें से 77.26 प्रतिशत का योगदान दो एसपीएसई (जेयूएनएल और जेएसबीसीसीएल) द्वारा किया गया था। वित्त वर्ष

⁴ झारखण्ड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कोई जानकारी/लेखा प्राप्त नहीं हुआ है

⁵ निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

2020-21 और 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई तालिका 5.4 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 5.4: वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	2020-21		2021-22	
		शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
1	ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण	4.94	15.88	1.30	2.43
2	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	1.30	4.18	0.96	1.79
3	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	0.09	0.29	0.79	1.47
4	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	9.80	31.50	4.02	7.50
5	झारखण्ड रेलवे आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.06	0.19	-	-
6	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	-	-	0.33	0.62
7	झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्वोरमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.13	6.85	2.13	3.98
8	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	12.79	41.11	29.49	55.05
9	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	2.63	4.91
10	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	11.90	22.21
11	पतरातू एनर्जी लिमिटेड	-	-	0.02	0.04
कुल		31.11	100.00	53.57	100.00

वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ कमाने वाले उपरोक्त सात एसपीएसई में से, केवल एक एसपीएसई अर्थात्, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीसीएल) ने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया था, जबकि नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त 10 लाभ कमाने वाले एसपीएसई में से, केवल दो एसपीएसई अर्थात् जेयूएनएल और जेएसबीसीसीएल ने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया था।

5.6.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले एसपीएसई को राज्य सरकार द्वारा रखी गई इक्विटी पर न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना आवश्यक है।

5.7 ऋण भुगतान

5.7.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कंपनी की ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले की कमाई को उसी अवधि के ब्याज व्यय द्वारा विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की कर्ज पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी पिछले तीन वर्षों में ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। इस संबंध में तीन⁶ कार्यात्मक बिजली क्षेत्र एसपीएसई की स्थिति तालिका 5.5 में दिखाई गई है।

तालिका 5.5: एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	एसपीएसई की संख्या ⁷	1 के बराबर या उससे अधिक आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या	1 से कम आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या
2020-21	936.93	0	3	0	3
2021-22	1,049.56	14.15	3	1	2
2022-23	1,049.56	14.15	3	1	2

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वार्षिक खाते। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में लिया गया है क्योंकि 2022-23 के लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

जैसा कि तालिका 5.5 में दिखाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान तीन कार्यात्मक विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई का आईसीआर एक से कम था, जबकि दो कार्यात्मक विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई⁸ का आईसीआर वर्ष 2021-22 के दौरान एक से कम था, जो अपने ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त कमाई का संकेत था और दिवालियापन के एक उच्च जोखिम का संकेत था।

5.7.2 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार द्वारा तीन विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल) को प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋण पर 5,943.53 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया था। बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका 5.6 में दर्शाया गया है।

⁶ जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल।

⁷ सरकार से जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल द्वारा लिए गए ऋण।

⁸ जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल

तालिका 5.6: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	ऋण पर बकाया ब्याज	बकाया ऋणों पर ब्याज		
			एक वर्ष से कम	1 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
विद्युत क्षेत्र					
1	जेबीवीएनएल	2,864.76	544.18	970.60	1,349.98
2	जेयूएसएनएल	3,033.21	501.43	1,002.86	1,528.92
3	जेयूयूएनएल	45.56	3.95	13.03	28.58
कुल		5,943.53	1,049.56	1,986.49	2,907.48

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक एसपीएसई के अंतिम रूप दिए गए नवीनतम वार्षिक खाते

तालिका 5.6 से देखा जा सकता है कि तीन वर्षों से अधिक समय से ₹ 2,907.48 करोड़ का ब्याज बकाया था। कंपनियाँ ब्याज के साथ-साथ बकाया ऋण का मूलधन भी चुकाने में विफल रही थीं।

5.8 एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन

5.8.1 नियोजित पूँजी पर रिटर्न

नियोजित पूँजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उसकी पूँजी नियोजित करने की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज और करों से पहले की कमाई (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी⁹ से विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 16 एसपीएसई (6 विद्युत और 10 गैर-विद्युत क्षेत्र) के आरओसीई का विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है।

तालिका 5.7: नियोजित पूँजी पर रिटर्न

वर्ष	वर्षवार/क्षेत्रवार विवरण	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2022-23	विद्युत क्षेत्र	-2,583.55	8,923.22	-28.95
	गैर-विद्युत क्षेत्र	55.26	547.14	10.10
	कुल	-2,528.29	9,470.36	-26.70
2021-22	विद्युत क्षेत्र	-2,583.55	8,923.22	-28.95
	गैर-विद्युत क्षेत्र	55.26	547.14	10.10
	कुल	-2,528.29	9,470.36	-26.70
2020-21	विद्युत क्षेत्र	-2,711.66	11,740.56	-23.10
	गैर-विद्युत क्षेत्र	33.76	493.74	6.84
	कुल	-2,677.90	12,234.30	-21.89
कुल योग		-7,734.48	31,175.02	-24.81

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

⁹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + निःशुल्क रक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 5.7 से यह देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई 2020-21 में (-) 23.10 प्रतिशत था जो 2021-22 और 2022-23 के दौरान घटकर (-) 28.95 प्रतिशत हो गया जो विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई के घाटे में कमी के कारण था (2020-21 के दौरान ₹ 2,711.66 करोड़ से 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान ₹ 2,583.55 करोड़)।

हालाँकि, 2020-21 से 2022-23 अवधि के दौरान गैर-विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई 6.84 प्रतिशत से बढ़कर 10.10 प्रतिशत हो गया।

5.8.2 एसपीएसई द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि किसी कंपनी की संपत्ति का उपयोग मुनाफा कमाने के लिए कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आरओई की गणना शुद्ध आय (अर्थात्, करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के फंड से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्याएं हो।

शेयरधारकों के फंड की गणना भुगतान की गई पूँजी और मुक्त भंडार में से संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है जिससे यह पता चलता है कि यदि सभी संपत्तियाँ बेच दी गईं और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया गया तो कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितना बचा होगा। एक सकारात्मक शेयरधारक के फंड से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियाँ संपत्ति से अधिक हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एसपीएसई का क्षेत्रवार आरओई **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8: एसपीएसई की इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

वर्षवार क्षेत्र-वार ब्रेक-अप	ईएआईटी/शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारक निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2022-23			
विद्युत क्षेत्र	-2,585.80	-9,954.76	-
गैर-विद्युत क्षेत्र	41.65	502.97	8.28
कुल	-2,544.15	-9,451.79	-
2021-22			
विद्युत क्षेत्र	-2,585.80	-9,954.76	-
गैर-विद्युत क्षेत्र	41.65	502.97	8.28
कुल	-2,544.15	-9,451.79	-
2020-21			
विद्युत क्षेत्र	-2,711.71	-7,199.86	-
गैर-विद्युत क्षेत्र	21.01	448.98	4.68
कुल	-2,690.70	-6,150.88	-

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 5.8 से देखा जा सकता है कि गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओई 2020-21 में 4.68 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 8.28 प्रतिशत हो गया। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र का आरओई निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि शुद्ध आय और शेयरधारक की इक्विटी दोनों नकारात्मक थी।

5.8.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न की दर

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, एसपीएसई में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार धन को वर्ष-वार सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धन की न्यूनतम लागत माना जाता है, पर संयोजित किया गया है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना 31 मार्च 2023 तक गई थी, जहां राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों की स्थापना के बाद से इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और परिचालन और प्रबंधन खर्चों के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन लगाया गया, दिया गया धन विनिवेश की राशि, यदि कोई हो, को कम करके किया गया है।

एसपीएसई में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन माना गया है क्योंकि एसपीएसई द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की कोई भी राशि नहीं चुकाई गई है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां एसपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को

बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, वैसे इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से हटाकर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया।

- संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁰ के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को पीवी पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि वे उस वर्ष में धन के निवेश के लिए सरकार द्वारा की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता हैं और इसलिए सरकार द्वारा किया गया निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 13 एसपीएसई (तीन अक्रियाशील कंपनी जैसे केईएल, पीईएल, जेसीएल के अलावा) में राज्य सरकार के निवेश की एसपीएसई-वार स्थिति के साथ राज्य सरकार के निवेश के पीवी की समेकित स्थिति और कुल आय परिशिष्ट 5.3 में दिया गया है।

एसपीएसई में राज्य सरकार द्वारा निवेश का शेष वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में ₹ 6,114.49 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में ₹ 8,704.81 करोड़ हो गया। राज्य सरकार ने इन एसपीएसई में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹ 739.90 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि का पीवी ₹ 9,183.58 करोड़ था। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, इन एसपीएसई में धन की लागत वसूल करने के लिए कुल आय अपेक्षित न्यूनतम रिटर्न से कम रही।

5.9 एसपीएसई जिसे घाटा हो रहा है

5.9.1 एसपीएसई जिसे घाटा हुआ

आठ¹¹ एसपीएसई/सरकारी कंपनी थीं जिन्हें वर्ष 2020-21 के दौरान घाटा हुआ था और तीन¹² एसपीएसई थे जिन्हें 2021-22 से 2022-23 के दौरान घाटा हुआ था, जैसा कि तालिका 5.9 में दिया गया है।

¹⁰ सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त खातों से अपनाई गई थी, जिसमें भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की वित्तीय देनदारियों की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देनदारियां) / 2] * 100

¹¹ जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूयूएनएल, जेसीएल, पीईएल, केईएल, जेपीएचसीएल और जेपीपीएल।

¹² जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और केईएल

तालिका 5.9: 2020-21 से 2022-23 के दौरान घाटे में रहने वाले एसपीएसई की संख्या
(₹ करोड़ में)

वर्ष	नुकसान उठाने वाली एसपीएसई/सरकारी कंपनियों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	निवल मूल्य ¹³
2020-21	8	-2,721.81	-7,185.21
2021-22	3	-2,597.72	-9,971.20
2022-23	3	-2,597.72	-9,971.20
कुल		-7,917.25	-27,127.61

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

2021-22 के दौरान तीन विद्युत् क्षेत्र एसपीएसई को ₹ 2,597.72 करोड़ का घाटा हुआ। तालिका 5.10 में सूचीबद्ध दो एसपीएसई को उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार ₹ 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

तालिका 5.10: एसपीएसई जिन्हें ₹ 10 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	खाते को अंतिम रूप देने का वर्ष	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध हानि ¹⁴
विद्युत् क्षेत्र			
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	-2,088.35 (80.39%)
2	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2020-21	-506.84 (19.51%)
कुल			-2,595.19

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

5.9.2 एसपीएसई की निवल संपत्ति का क्षरण

लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल सम्पत्ति का कुल कीमत प्रदत्त शेयर पूँजी और लाभ, प्रतिभूतियों और लाभ और हानि खातों के डेबिट या क्रेडिट संतुलन से बनाए गए सभी भंडार का कुल मूल्य, जो संचित घाटे, स्थगित व्यय और बट्टारहित विविध व्यय के कुल मूल्य में कटौती के बाद होता जिसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाया गया रिजर्व और मूल्यहास का बट्टे खाते में डालना शामिल नहीं होता है। विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है।

¹³ निवल मूल्य का अर्थ है भुगतान की गई शेयर पूँजी और मुक्त भंडार और अधिशेष को घटाकर संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त भंडार का मतलब मुनाफे और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार हैं, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यहास प्रावधान को वापस लिखने से बनाए गए भंडार शामिल नहीं हैं।

¹⁴ राज्य सरकार द्वारा जेबीवीएनएल को ₹3,470.37 करोड़ और जेयूएसएनएल को ₹261.45 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।

तालिका 5.11: 31 मार्च 2023 को एसपीएसई की निवल संपत्ति का क्षरण

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते	कुल प्रदत्त पूँजी	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	संचित घाटा	निवल मूल्य	संपत्ति (डब्ल्यूडीवी)	राज्य इक्विटी 31.03.23 तक	राज्य ऋण 31.03.23 तक
जेबीवीएनएल	2021-22	3,108.93	-2,088.38	5,869.90	-11,588.19	-9,119.08	32,129.05	3,108.93	12,244.08
जेयूएसएनएल	2020-21	972.96	-506.84	229.58	-1,796.36	-823.40	8,026.00	972.96	6,566.17
जेसीएल	2021-22	1.00	0.00	0.00	-3.99	-2.99	0.98	1.00	3.92
पीईएल	2021-22	0.05	0.02	0.00	-16.42	-16.34	1.34	0.05	0.00
केईएल	2021-22	0.05	-2.50	0.00	-28.77	-28.72	23.31	0.05	43.97
झारक्राफ्ट	2021-22	10.00	0.79	3.63	-46.15	-36.15	184.27	10.00	0.00
कुल		4,092.99	-2,596.91	6,103.11	-13,479.88	-10,026.68	40,364.95	4,092.99	18,858.14

16 एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, छह एसपीएसई का संचित घाटा ₹ 13,479.88 करोड़ रुपये था, जबकि उनकी प्रदत्त पूँजी ₹ 4,092.99 करोड़ थी। इसलिए, उन एसपीएसई की निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और 31 मार्च 2023 को उनकी संचयी निवल संपत्ति (-) ₹ 10,026.68 करोड़ थी। एसपीएसई के बकाया खातों का आयु-विश्लेषण जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है, तालिका 5.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.12: एसपीएसई के बकाया खातों का आयु-विश्लेषण जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है

	एसपीएसई की संख्या	एसपीएसई का नाम	कुल लेखों की संख्या
एक वर्ष (2022-23)	5	जेबीवीएनएल, जेसीएल, केईएल, पेईएल, झारक्राफ्ट	5
दो वर्ष (2021-22 और 2022-23)	1	जेयूएसएनएल	2

तालिका 5.11 में सूचीबद्ध कंपनियों में से, राज्य सरकार द्वारा 2020-21 से 2022-23 के दौरान जेबीवीएनएल (₹ 137.52 करोड़) और जेयूएसएनएल (₹ 729.96 करोड़) में इक्विटी के रूप में निवेश किया गया था। इसी अवधि के दौरान, जेबीवीएनएल को जहां ₹ 6,834.85 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया, वहीं जेयूएसएनएल को ₹ 1,983.09 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। इन वर्षों में झारक्राफ्ट को कोई सहयोग नहीं दिया गया।

घाटे में चल रही छह कंपनियों की आय और व्यय तालिका 5.13 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.13: घाटे में चल रही कंपनियों की आय और व्यय

एसपीएसई का नाम	वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	लाभ /हानि	निवल मूल्य
जेबीवीएनएल	2021-22	6,947.56	9,035.94	-2,088.38	-9,119.00
जेयुएसएनएल	2020-21	242.37	749.20	-506.83	-823.40
झारक्राफ्ट	2021-22	26.95	26.19	0.76	-36.15
केइएल	2021-22	0.005	2.50	-2.50	-28.72
पेइएल	2021-22	0.044	0.026	0.02	-16.34
जेसीएल	2021-22	0.023	0.028	0.00	-2.99

तीन गैर-कार्यरत एसपीएसई में से पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने को उनके बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

5.10 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत एक सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा आयोजित करने और वैधानिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके खातों का सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए और एक प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.11 सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

उन कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षक, जिनके खातों को 2021-22 तक अंतिम रूप दिया गया था (परिशिष्ट 5.1 के अनुसार), सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए थे।

5.12 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खाते प्रस्तुत करना

5.12.1 समय पर प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक¹⁵ (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके,

¹⁵ पहली एजीएम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर तक आयोजित की जाएगी और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर यानी 30 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख और अगली एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

5.12.2 एसपीएसई द्वारा खाते तैयार करने में समयबद्धता

पीएसयू के बकाया लेखों का आयु-विश्लेषण:

31 मार्च 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में 32 एसपीएसई थे। सभी 32 एसपीएसई से वर्ष 2022-23 के खाते बकाया थे। 30 सितंबर 2023 तक, किसी भी एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने खाते सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए। 32 एसपीएसई के 107 खाते विभिन्न कारणों से बकाया थे। एसपीएसई के खातों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका 5.14 में दिया गया है।

तालिका 5.14: लेखा प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		एसपीएसई	खातों की संख्या
31 मार्च 2023 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या		32	32
घटायें: नई कंपनियाँ जिनसे 2022-23 के लिए खाते देय नहीं थे		0	0
उन कंपनियों की संख्या जिनसे 2022-23 के लिए खाते बकाया थे		32	32
30 सितंबर 2023 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के खाते प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		0	0
बकाया खातों की संख्या		32	107
अन्य श्रेणी के विरुद्ध बकाया राशि का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	14	14
	दो वर्ष (2021-22 और 2022-23)	03	06
	तीन वर्ष और अधिक	15	87

स्रोत: प्राप्त वार्षिक खातों के आधार पर संकलित

5.13 सीएजी की निगरानी-खातों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन मानकों के राष्ट्रीय सलाहकार समिति जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी¹⁶ नाम दिया गया है, के परामर्श से निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में, लेखांकन मानकों पर वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। वैधानिक निगमों को अपने खाते सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में खातों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की आवश्यकता होती है।

5.13.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के खातों का लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा में वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक नियंत्रक की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि वैधानिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। इस कार्य को निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग करके निष्पादित किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर पूरक परीक्षा या टिप्पणी करके।

5.13.3 सरकारी कंपनियों के खातों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। वैधानिक लेखापरीक्षकों को कंपनी

¹⁶ 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।

अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित खातों के साथ-साथ वैधानिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत एजीएम में रखी जाएंगी।

5.14 सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम

5.14.1 एसपीएसई के खातों की लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 के लिए किसी भी एसपीएसई का कोई वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ। हालाँकि, वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों के लिए 19 एसपीएसई के 32 वित्तीय विवरण 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 15 एसपीएसई के 25 वित्तीय विवरण की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और पाँच एसपीएसई के सात वित्तीय विवरणों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया।

5.14.2 वित्तीय विवरण में संशोधन

01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, एक एसपीएसई (अर्थात्, राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड) ने एजीएम में रखने से पहले वर्ष 2021-22 के लिए पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपने वित्तीय विवरण में संशोधन किया।

5.14.3 लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन का संशोधन

01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, ऐसे चार¹⁷ मामले थे जहाँ सीएजी द्वारा आयोजित वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को संशोधित किया गया था।

5.15 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, तीन निष्क्रिय एसपीएसई सहित 32 एसपीएसई थे। 32 एसपीएसई में से किसी ने भी अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया। 32 एसपीएसई के 107 खाते बकाया थे। 2021-22 के दौरान 10 एसपीएसई (दो विद्युत् और आठ गैर-विद्युत् क्षेत्रों) द्वारा अर्जित ₹ 53.57 करोड़ के कुल लाभ में से 77.26 प्रतिशत का योगदान दो एसपीएसई (जेयूएनएल और जेएसबीसीसीएल) द्वारा किया गया था, जबकि 2021-22 और 2022-23 के दौरान तीन एसपीएसई द्वारा ₹ 2,597.72 करोड़ के कुल नुकसान में से एक एसपीएसई (जेबीवीएनएल) को ₹ 2,088.35 करोड़ (अर्थात्, 80.39 प्रतिशत) का नुकसान हुआ।

¹⁷ जेयूएनएल, जेपीपीएल, जिडको, जीआरडीए

5.16 अनुशासण

- (i) राज्य सरकार अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एसपीएसई के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है। 32 एसपीएसई के 107 खाते बकाया थे। अंतिम खातों के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।
- (ii) तीन निष्क्रिय एसपीएसई न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। तीन में से, पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड के समापन प्रक्रिया (सितंबर 2017 और फरवरी 2018 के बीच) को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकार को शेष निष्क्रिय एसपीएसई (करणपुरा एनर्जी लिमिटेड) के संबंध में भी परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।
- (iii) राज्य सरकार उन एसपीएसई में घाटे के कारणों का विश्लेषण कर सकती है जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है तथा उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

राँची
दिनांक: 23 अप्रैल 2024



(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 6 मई 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड का परिचय								
क. सामान्य आँकड़ा								
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा				
1	क्षेत्रफल			79,716 वर्ग कि.मी				
2	जनसंख्या							
	क.	2011		3.33 करोड़				
	ख.	2023		3.95 करोड़				
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.				
	ख.	जनसंख्या का घनत्व ² (2022-23 के जनगणना के अनुसार) अखिल भारतीय घनत्व = 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		495.08 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.				
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) ³ (अखिल भारतीय औसत = 21.92%)			36.96 प्रतिशत				
5	साक्षरता ⁴ (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.40 प्रतिशत				
6	शिशु मृत्यु दर ⁵ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)			25				
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁶ (भारतीय = 70 वर्ष)			69.6 वर्ष				
8	मानव विकास सूचकांक ⁷							
	क.	2020 (अखिल भारतीय = 0.642)		उपलब्ध नहीं				
	ख.	2021 (अखिल भारतीय = 0.633)		उपलब्ध नहीं				
9	2022-23 में चालू मूल्य (2011-12 श्रृंखला) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ⁸			₹ 3,93,722 करोड़				
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2013-14 से 2022-23)		झारखण्ड	6.94 प्रतिशत				
			अखिल भारतीय	9.12 प्रतिशत				
11	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2013-14 से 2022-23)		झारखण्ड	8.52 प्रतिशत				
			अखिल भारतीय	10.34 प्रतिशत				
12	जनसंख्या वृद्धि (2013-14 से 2022-23)		झारखण्ड	15.69 प्रतिशत				
			अखिल भारतीय	11.68 प्रतिशत				
ख. वित्तीय आँकड़ा								
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)					
			वृद्धि		2020-21 से 2021-22		2021-22 से 2022-23	
			सामान्य राज्य	झारखण्ड	सामान्य राज्य	झारखण्ड		
1	क.	राजस्व प्राप्तियों का	25.59	24.17	13.41	15.09		
2	ख.	स्वयं कर राजस्व का	25.62	26.12	19.78	17.98		
3	ग.	गैर कर राजस्व का	44.81	32.61	12.94	27.91		
4	घ.	कुल व्यय का	14.00	3.53	12.53	15.34		
5	ड.	पूँजीगत व्यय का	25.62	-8.49	18.93	68.15		
6	च.	पूँजी परिव्यय	28.23	10.76	14.18	49.47		
7	छ.	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	1.22	-56.72	75.33	187.84		
8	ज.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.47	10.99	13.21	5.00		
9	झ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	19.71	24.40	0.88	7.54		
10	ञ.	वेतन एवं मजदूरी का	11.82	8.49	8.52	6.61		
11	ट.	पेंशन का	11.88	12.02	11.38	2.48		

¹ सेन्सस इन्फो इंडिया 2011, कुल अंतिम जनसँख्या

² राष्ट्रीय जनसँख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत एवं राज्यों के जनसँख्या अनुमान 2011-36

³ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय

⁴ जनगणना 2011

⁵ एसआरएस बुलेटिन (2020)

⁶ एसआरएस अब्रिज्ड लाइफ टेबल 2016-20

⁷ यूएनडीपी रिपोर्ट एचडीआर 2020

⁸ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(सन्दर्भ: कंडिका 1.3)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग-I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग-II : आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग-III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग-ग: वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरण-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं. 12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं. 13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं. 16	वर्ष 2022-23 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2023 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 19	वर्ष 2022-23 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	रक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 2.1
वर्ष 2022-23 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 2.2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण						
2021-22		2022-23	2021-22		2022-23				
	भाग - क: राजस्व				स्थापना	राज्य एवं केन्द्रीय योजना	कुल		
69,721.86	I. राजस्व प्राप्तियाँ	80,245.22	62,777.91	I. राजस्व व्यय	34,328.93	32,352.71	66,681.64	66,681.64	
21,289.61	कर राजस्व	25,117.51	21,555.30	सामान्य सेवाएँ	22,958.14	302.91	23,261.05		
			24,639.33	सामाजिक सेवाएँ	8,484.85	19,155.15	27,640.00		
10,030.75	कर-भिन्न राजस्व	12,830.05	11,174.19	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	6,353.37	5,300.17	11,653.54		
			4,334.17	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,457.22	3,203.29	4,660.51		
27,734.64	संघीय करों में राज्य के हिस्से	31,404.12	3,173.62	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	491.62	1,790.78	2,282.40		
2,198.30	वित्त आयोग अनुदान	1,826.59	179.47	सूचना एवं प्रसारण	118.41	94.07	212.48		
1,891.40	राज्य को अन्य अनुदान	2,195.16	1,074.77	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	157.26	2,290.38	2,447.64		
6,577.16	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,871.79	182.09	श्रम एवं श्रम कल्याण	57.30	457.70	515.00		
			4,487.95	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-184.12	6,027.20	5,843.08		
			33.07	अन्य	33.79	-8.44	25.35		
			16,583.28	आर्थिक सेवाएँ	2,885.94	12,894.65	15,780.59		
			3,533.97	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	767.94	1,990.06	2,758.00		
			6,423.65	ग्रामीण विकास	744.71	5,494.14	6,238.85		
			0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00		
			372.87	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	375.99	2.00	377.99		
			3,808.30	ऊर्जा	0.00	3,531.08	3,531.08		
			329.71	उद्योग एवं खनिज	60.42	249.11	309.53		
			443.05	परिवहन	383.09	165.96	549.05		
			0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00		
			1,671.73	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	553.79	1,462.30	2,016.09		
			0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00		
			62,777.91	कुल	34,328.93	32,352.71	66,681.64		
	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		6,943.95	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				13,563.58	
69,721.86	कुल	80,245.22	69,721.86	कुल				80,245.22	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2021-22		2022-23	2021-22	2022-23					
भाग- ख									
3,720.32	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	5,572.70	0.00	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष					0.00
0.00	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	9,376.90	IV. पूँजीगत परिव्यय	0.02	14,015.57	14,015.59	14,015.59	
			734.30	सामान्य सेवाएँ	0.00	872.98	872.98		
			1,595.26	सामाजिक सेवाएँ	0.00	5,220.99	5,220.99		
			94.34	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.00	1,011.79	1,011.79		
			488.68	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	624.50	624.50		
			590.28	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.00	2,668.59	2,668.59		
			0.00	सूचना एवं प्रसारण	0.00	0.05	0.05		
			364.42	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	848.33	848.33		
			11.92	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	42.60	42.60		
			45.62	अन्य	0.00	25.13	25.13		
			7,047.34	आर्थिक सेवाएँ	0.02	7,921.60	7,921.62		
			353.73	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	654.48	654.48		
			1,142.75	ग्रामीण विकास	0.02	2,219.57	2,219.59		
			0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00		
			1,204.26	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,373.71	1,373.71		
			87.52	ऊर्जा	0.00	153.96	153.96		
			1,002.00	उद्योग और खनिज	0.00	3.00	3.00		
			3,202.12	परिवहन	0.00	3,437.50	3,437.50		
			54.96	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	79.38	79.38		
1,291.73	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	46.41	1,462.98	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	153.43	4,057.71	4,211.14	4,211.14	
1,246.00	ऊर्जा परियोजनाओं से	0.00	1,412.57	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0.00	4,057.71	4,057.71		
45.73	सरकारी सेवकों से	46.22	31.68	सरकारी सेवकों को	40.55	0.00	40.55		
0.00	अन्य से	0.19	18.73	अन्य को	112.88	0.00	112.88		
6,943.95	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य	13,563.59	0.00	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा					0.00
9,839.87	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,142.30	4,247.08	VII. लोक ऋण की पुनर्भुगतान			6,729.46	6,729.46	
0.00	वाह्य ऋण	0.00	0.00	वाह्य ऋण			0.00		
6,594.22	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को	5,515.20	4,012.80	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को			6,473.08		

प्राप्तियाँ			संवितरण				
2021-22		2022-23	2021-22		2022-23		
	छोड़कर आंतरिक ऋण			छोड़कर आंतरिक ऋण			
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00	0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00	0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00
3,245.65	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3,627.10	234.28	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			256.38
0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग			0.00
0.00	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0.00	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय			0.00
24,643.60	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	33,446.29	25,779.81	X. लोक लेखा संवितरण		30,132.42	30,132.42
1,172.20	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,397.48	1,365.41	छोटे बचत एवं भविष्य निधि		1,381.69	
825.60	रक्षित निधि	361.56	1,205.51	रक्षित निधि		1,170.25	
200.00	कर्णाकित निधियों में निवेश	500.00					
143.76	उचत एवं विविध	519.39	170.86	उचत एवं विविध		224.34	
8,159.71	प्रेषण	9,397.23	8,173.53	प्रेषण		9,433.32	
14,142.33	जमा एवं अग्रिम	21,270.63	14,864.50	जमा एवं अग्रिम		17,922.82	
0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन		0.00	
0.00	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		5,572.70	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		6,682.68	6,682.68
			0.00	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण		0.00	
			149.37	रिजर्व बैंक में जमा		91.07	
			38.83	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		38.33	
			903.87	कर्णाकित निधि का निवेश		1,403.87	
			4,480.63	रोकड़ शेष का निवेश		5,149.41	
1,16,161.33	कुल	1,42,016.51	1,16,161.33	कुल			1,42,016.51

परिशिष्ट 2.2
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 एवं 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	56,152	58,417	56,150	69,722	80,245
(i) कर राजस्व	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118
वस्तु एवं सेवा कर	8,201	8,418	7,931	9,557	11,375
कृषि आय पर कर	-	0	0	0	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,475	3,996	4,301	5,213	6,271
राज्य उत्पाद	1,083	2,009	1,821	1,807	2,057
वाहनों पर कर	864	1,129	976	1,263	1,574
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	451	560	708	987	1,108
भू-राजस्व	389	338	873	1,621	1,557
माल एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0
अन्य कर	289	321	270	841	1,176
(ii) कर भिन्न राजस्व	8,258	8,750	7,564	10,031	12,830
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	23,906	20,593	19,712	27,735	31,404
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9,236	12,303	11,993	10,667	10,894
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47	49	49	1,292	46
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	56,199	58,466	56,199	71,014	80,292
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,803	9,593	13,547	9,840	9,142
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,531	9,167	10,958	6,594	5,515
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	273	426	2,588	3,246	3,627
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	64,002	68,059	69,745	80,853	89,434
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	25,410	33,243	28,511	24,644	33,446
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	97,245	1,01,302	98,256	1,05,497	1,22,880
भाग - ख. व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	50,631	56,457	59,264	62,778	66,682
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	23,983	27,627	28,370	32,160	32,353
गैर योजना/स्थापना	26,648	28,830	30,894	30,618	34,329
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	17,656	18,714	19,903	21,555	23,261
सामाजिक सेवाएँ	18,786	21,448	23,347	24,639	27,640
आर्थिक सेवाएँ	14,189	16,294	16,014	16,583	15,781
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	1	0	0	0
11. पूँजीगत व्यय	10,712	9,879	8,466	9,377	14,016
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	10,669	9,832	8,401	9,377	14,016
गैर योजना/स्थापना	42	47	65	0	0
सामान्य सेवाएँ	791	1,239	771	734	873
सामाजिक सेवाएँ	1,616	1,431	1,492	1,595	5,221

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आर्थिक सेवाएँ	8,305	7,209	6,203	7,047	7,922
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1,485	165	3,380	1,463	4,211
13. कुल व्यय (10+11+12)	62,828	66,501	71,109	73,618	84,908
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,060	4,231	2,745	4,247	6,729
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,893	4,058	2,547	4,013	6,473
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	167	173	198	234	256
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0	0	0	0	0
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	65,888	70,732	73,854	77,865	91,638
17. आकस्मिक निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	23,279	27,903	24,146	25,780	6,729
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	89,167	98,635	98,000	1,03,645	98,367
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	5,521	1,960	-3,114	6,944	13,564
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	-6,629	-8,035	-14,911	-2,604	-4,617
22. प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (21-23)	-1,777	-2,727	-9,120	3,682	1,622
भाग-घ अन्य आँकड़े					
प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्ति -प्राथमिक राजस्व व्यय)	10,420	7,317	2,725	14,522	19,848
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	4,852	5,308	5,790	6,286	6,238
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	17,976	19,191	20,078	19,630	22,194
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	68	16	0	16	0
उपभोगित अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	58	16	0	16	0
उपभोगित ओवरड्राफ्ट (दिन)	10	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	6	4	0	46	0
27 (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) [@]	3,05,695	3,10,305	2,96,664	3,58,863	3,93,722
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) [@]	2,29,274	2,31,755	2,19,483	2,43,348	2,59,800
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	83,783	94,407	1,09,185	1,13,483	1,18,448
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	607	607	607	607	4,998
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	450	450	607	607	4,998
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	410	378	374	274	209

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	3,818	3,828	4,669	4,040	3,292
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.83	5.40	5.69	5.93	6.38
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	6.43	7.24	7.69	8.75	9.67
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.70	2.82	2.55	2.80	3.26
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.60	3.78	3.45	4.12	4.94
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	7.82	6.64	6.64	7.73	7.98
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.03	5.31	5.46	4.38	4.19
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	20.55	21.43	23.97	20.51	21.57
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	27.40	28.69	32.40	30.25	32.68
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	111.89	113.84	126.64	105.59	105.81
राजस्व व्यय/कुल व्यय	80.59	84.90	83.34	85.28	78.53
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	32.47	34.44	34.96	35.66	38.70
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	35.84	35.48	35.96	34.02	32.82
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.05	14.86	11.91	12.74	16.51
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	15.79	12.99	10.82	11.74	15.48
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.81	0.63	-1.05	1.93	3.44
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.41	0.85	-1.42	2.85	5.22
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.17	-2.59	-5.03	-0.73	-1.17
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.89	-3.47	-6.79	-1.07	-1.78
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-0.58	-0.88	-3.07	1.03	0.41
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-0.78	-1.18	-4.16	1.51	0.62
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-83	-24	21	-267	-294
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.41	2.36	0.92	4.05	5.04
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.54	3.16	1.24	5.97	7.64
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	27.41	30.42	36.80	31.62	30.08
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर	36.54	40.74	49.75	46.63	45.59

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स.रा.घ.उ.					
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	149.21	161.61	194.45	162.76	147.61
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	*	Nil	15	0	1
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	117.57	117.66	112.40	117.97	128.38
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारी को ऋण एवं अग्रिम	46.88	52.51	4.46	31.68	40.55
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	23.23	24.00	22.91	16.27	2.14
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	1,462.36	89.00	3,352.40	1,415.03	4,168.45
परिसंपत्तियाँ	99,210	1,11,869	1,23,935	1,35,335	1,54,624
दायित्व	84,382	95,080	1,10,260	1,14,717	1,20,441

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े राज्य सरकार से प्राप्त किये गये। * ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 2.3

**31.03.2023 तक झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)**

(₹ करोड़ में)

31.03.2022 को	दायित्व		31.03.2023 को
74,538.31	आंतरिक ऋण		73,580.43
55,412.65	ब्याज सहित बाजार ऋण	55,812.65	
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04	
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59	
13,102.63	अन्य संस्थाओं से ऋण	12,514.24	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
6,017.40	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	5,247.91	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00	
7,993.22	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		11,363.95
0.00	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.00	
10.52	गैर योजना ऋण	8.80	
7,982.70	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	11,355.15	
500.00	आकस्मिकता निधि		500.00
1,001.19	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि		1,016.98
23,609.29	जमा		26,955.09
6,844.35	रक्षित निधि		6,535.66
112.64	अंतरण शेष		76.55
117.65	उचत एवं विविध शेष		412.70
20,618.78	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति		34,182.37
1,35,335.43	कुल		1,54,623.73
परिसम्पत्तियाँ			
1,05,394.58	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		1,19,410.18
2,130.70	कम्पनियों/निगमों आदि के शेयर में निवेश	2,363.84	
1,03,263.88	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,17,046.34	
0.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन		0.00
24,348.48	ऋण एवं अग्रिम		28,513.21
23,460.84	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	27,518.55	
917.80	अन्य विकास ऋण	1,030.49	
-30.16	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-35.83	
19.67	अग्रिम		17.66
0.00	उचत एवं विविध शेष		0.00
5,572.70	नकद		6,682.68
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
149.37	रिजर्व बैंक में जमा	91.07	
903.87	जमा निधि का निवेश	1,003.87	
38.83	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	38.33	
4,480.63	नकद शेष निवेश	5,149.41	
0.00	प्रेषण शेष		0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा		0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य		
1,35,335.43	कुल		1,54,623.73

परिशिष्ट 3.1

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	1,198.93	1,898.32
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	276.21	4.97	214.71	66.47
3	3- भवन निर्माण विभाग	112.36	0.73	80.66	32.43
4	12- वित्त विभाग	65.06	3.08	46.73	21.41
5	15- पेंशन	8,045.38	402.50	7,803.17	644.71
6	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	1,448.06	1,279.34
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.62	4,674.15	1,458.13
8	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,696.10	83.64	1,566.18	213.56
9	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,433.85	444.10	6,329.51	548.44
10	23- उद्योग विभाग	327.15	7.02	274.97	59.20
11	27- विधि विभाग	565.24	17.01	468.44	113.81
12	32- विधान सभा	126.29	6.73	124.64	8.38
13	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	241.64	25.78	212.19	55.23
14	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	582.37	2.31	300.30	284.38
15	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	30.27	4.33	20.31	14.29
16	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	854.87	915.57
17	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	778.49	133.99	700.71	211.77
18	41- पथ निर्माण विभाग	553.34	1.38	385.01	169.71
19	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	4,360.55	3,400.84
20	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	332.92	3.73	160.29	176.36
21	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	74.33	8.14	66.62	15.85
22	47- परिवहन विभाग	189.63	16.00	187.72	17.91
23	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहर विकास प्रभाग)	2,076.11	884.52	1,969.22	991.41
24	49- जल संसाधन विभाग	394.71	1.51	314.58	81.64
25	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	132.96	0.94	92.61	41.29
26	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डैयरी प्रभाग)	124.73	2.18	92.12	34.79
27	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	214.43	100.45	129.37	185.51
28	56- ग्रामीण विकास विभाग	2,009.47	727.50	1,764.90	972.07
29	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,299.25	72.04	2,059.52	311.77
30	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	7,592.79	1,244.62
कुल		55,412.85	5,550.19	45,493.83	15,469.21
राजस्व (भारित)					
31	5- राज्यपाल का सचिवालय	14.82	0.68	11.56	3.94
32	13- ब्याज संदाय	6,661.57	1.60	6,238.31	424.86
33	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	30.15	1.60	15.20	16.55
कुल		6,706.54	3.88	6,265.07	445.35

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
पूँजीगत (दत्तमत)					
34	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	477.00	8.10	471.18	13.92
35	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	20.20	2.50	9.29	13.41
36	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	242.99	25.00	116.04	151.95
37	12- योजना-सह-वित्त विभाग	87.13	7.00	44.27	49.86
38	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	510.00	199.44	379.68	329.76
39	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	64.00	1.38	38.54	26.84
40	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.04	31.01	1,840.08	1,662.97
41	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	304.20	30.85	257.78	77.27
42	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	1,611.18	1,161.52
43	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	78.69	39.68	42.60	75.77
कुल		7,706.15	667.76	4,810.64	3,563.27
कुल योग		69,825.54	6,221.83	65,569.54	19,477.83

परिशिष्ट 3.2
अनावश्यक पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	शीर्ष	प्रावधान			प्रत्यर्पण	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग				
1	2	3451-00-090-08-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2.38	-	(+)0.07	शून्य	2.45	2.37	0.08
2	3	4059-01-796-58-कार्यालय भवन/सर्किट हाउस	75.00	40.00	(+)6.00	शून्य	121.00	119.43	1.57
3		4216-01-796-14-सरकारी आवासीय भवन का निर्माण	75.00	10.00	(+)5.00	शून्य	90.00	88.56	1.44
4	4	2070-00-800-05-दरबार शुल्क	0.70	0.10	(+)0.06	शून्य	0.86	0.77	0.09
5	12	2052-00-090-08- वित्त विभाग	14.17	1.32	(+)0.34	शून्य	15.83	14.60	1.23
6	13	2049-60-701-03- अन्य विविध निर्णय के आलोक में ब्याज	2.50	1.50	(+)0.99	1.87	3.12	2.95	0.17
7	20	2210-01-110-61 हजारीबाग चिकित्सा अस्पताल	7.01	5.04	(+)0.35	शून्य	12.40	11.35	1.05
8	21	2202-03-796-बीए-नये महाविधालय एवं विश्वविद्यालय के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए सहायता-अनुदान	100.00	8.50	(+)5.00	शून्य	113.50	72.29	41.21
कुल			276.76	66.46	17.81	1.87	359.16	312.32	46.84

परिशिष्ट 3.3

वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32	1,644.32
2	15- पेंशन	8,045.38	402.50	8,447.88	7,803.17	644.71	700.00
3	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	1,279.34	1,100.04
4	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,019.95	245.42	1,265.37	1,024.81	240.56	169.47
5	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	1,458.12	886.72
6	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,696.10	83.64	1,779.74	1,566.18	213.56	93.35
7	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,433.85	444.09	6,877.94	6,329.51	548.43	9.63
8	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	526.70	249.17	775.87	532.32	243.55	216.17
9	27- विधि विभाग	565.24	17.01	582.25	468.44	113.81	20.00
10	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	582.37	2.31	584.68	300.30	284.38	234.00
11	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	1,770.44	854.87	915.57	-
12	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	778.49	133.99	912.48	700.71	211.77	0.59
13	41- पथ निर्माण विभाग	553.34	1.38	554.72	385.01	169.71	-
14	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	3,400.84	2,850.91
15	45- सूचना प्रावधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	332.92	3.73	336.65	160.29	176.36	159.70
16	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग))	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41	840.73
17	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,627.75	1,654.10	3,281.85	2,460.39	821.46	250.93
18	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	214.43	100.45	314.88	129.37	185.51	75.00
19	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	972.07	184.00
20	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,299.25	72.04	2,371.29	2,059.52	311.77	8.32

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
21	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	1,244.62	548.23
22	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,663.63	1,847.05	7,510.68	5,841.18	1,669.50	837.95
कुल		62,155.54	9,464.50	71,620.04	53,624.67	17,995.37	10,830.06
राजस्व (भारित)							
23	13- ब्याज अदाएगी	6,661.57	1.60	6,663.17	6,238.31	424.86	246.72
कुल		6,661.57	1.60	6,663.17	6,238.31	424.86	246.72
पूँजीगत (दत्तमत)							
24	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	242.99	25.00	267.99	116.04	151.95	80.80
25	10- उर्जा विभाग	1,464.98	2,888.67	4,353.65	4,211.67	141.98	141.98
26	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	510.00	199.44	709.44	379.68	329.76	68.13
27	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.04	31.01	3,503.05	1,840.08	1,662.97	1,635.50
28	41- पथ निर्माण विभाग	3,300.00	465.00	3,765.00	3,352.85	412.15	371.10
29	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	141.60	0.00	141.60	37.32	104.28	52.68
30	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	967.42	0.00	967.42	723.80	243.62	243.37
31	49- जल संसाधन विभाग	1,093.80	308.07	1,401.87	1,120.93	280.94	280.48
32	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	1,161.52	783.73
कुल		13,642.73	4,239.99	17,882.72	13,393.55	4,489.17	3,657.77
कुल योग		82,459.84	13,706.09	96,165.93	73,256.53	22,909.40	14,734.55

परिशिष्ट 3.4

वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32	1,644.32
2	15- पेंशन	8,045.38	402.50	8,447.88	7,803.17	644.71	700.00
3	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	1,279.34	1,100.04
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	1,458.12	886.72
5	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,433.85	444.09	6,877.94	6,329.51	548.43	9.63
6	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	1,770.44	854.87	915.57	0.00
7	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	3,400.84	2,850.91
8	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41	840.73
9	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,627.75	1,654.10	3,281.85	2,460.39	821.46	250.93
10	56- पंचायती राज विभाग	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	972.07	184.00
11	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	1,244.62	548.23
12	60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,663.63	1,847.05	7,510.68	5,841.18	1,669.50	837.95
कुल		5,386.75	8,555.36	62,142.11	46,297.72	15,844.39	9,853.46
पूँजीगत							
13	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.03	31.01	3,503.04	1,840.08	1,662.96	1,635.50
14	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	1,161.52	783.73
कुल		5,921.93	353.81	6,275.74	3,451.26	2,824.48	2,419.23
कुल योग		11,308.68	8,909.17	68,417.85	49,748.98	18,668.87	12,272.69

परिशिष्ट 3.5

मार्च 2023 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रत्यर्पित राशि
राजस्व							
1	1	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	(-)1,898.32	1,644.32
2	2	276.21	4.97	281.18	214.71	(-)66.47	36.46
3	9	122.35	419.62	541.97	487.57	(-)54.40	32.26
4	10	3,389.96	678.46	4,068.42	4,028.75	(-)39.67	23.45
5	12	65.06	3.08	68.14	46.73	(-)21.41	14.17
6	13	6,661.57	1.60	6,663.17	6,238.31	(-)424.86	246.72
7	15	8,045.38	402.50	8,447.88	7,803.17	(-)644.71	700.00
8	18	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	(-)1,279.34	1,100.04
9	19	1,019.95	245.42	1,265.37	1,024.81	(-)240.56	169.47
10	20	5,159.66	972.61	6,132.27	4,674.15	(-)1,458.12	886.72
11	21	1,696.10	83.64	1,779.74	1,566.18	(-)213.56	93.35
12	23	327.15	7.02	334.17	274.97	(-)59.20	32.92
13	26	526.70	249.17	775.87	532.32	(-)243.55	216.17
14	27	565.24	17.01	582.25	468.44	(-)113.81	20.00
15	35	241.64	25.78	267.42	212.19	(-)55.23	31.59
16	36	582.37	2.31	584.68	300.30	(-)284.38	234.00
17	42	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	(-)3,400.84	2,850.91
18	43	188.44	96.94	285.38	240.80	(-)44.58	26.13
19	45	332.92	3.73	336.65	160.29	(-)176.36	159.70
20	46	74.33	8.14	82.47	66.62	(-)15.85	14.04
21	48	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	(-)991.41	840.73
22	49	394.71	1.51	396.22	314.58	(-)81.64	63.20
23	50	101.77	0.39	102.16	72.86	(-)29.30	19.84
24	51	1,627.75	1,654.11	3,281.86	2,460.39	(-)821.47	250.93
25	52	132.96	0.94	133.90	92.61	(-)41.29	23.08
26	53	143.78	0.05	143.83	113.69	(-)30.14	15.76
27	54	124.73	2.18	126.91	92.12	(-)34.79	21.69
28	55	214.43	100.45	314.88	129.37	(-)185.51	75.00
29	56	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	(-)972.07	184.00
30	59	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	(-)1,244.62	548.23
31	60	5,663.63	1,847.05	7,510.68	5,841.18	(-)1,669.50	837.95
कुल		62,826.44	9,802.08	72,628.52	55,791.56	(-)16,836.96	11,412.83
पूँजीगत							
1	3	455.70	180.00	635.70	545.65	(-)90.05	49.31
2	8	41.60	25.00	66.60	54.81	(-)11.79	11.79
3	9	242.99	25.00	267.99	116.04	(-)151.95	80.80
4	10	1,464.98	2,888.67	4,353.65	4,211.67	(-)141.98	141.98
5	12	87.13	7.00	94.13	44.27	(-)49.86	17.28

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रत्यर्पित राशि
6	18	62.50	0.00	62.50	41.18	(-)21.32	20.06
7	20	459.17	255.10	714.27	624.56	(-)89.71	84.61
8	22	510.00	199.44	709.44	379.68	(-)329.76	68.13
9	26	64.00	1.38	65.38	38.54	(-)26.84	24.72
10	36	3,472.03	31.01	3,503.04	1,840.08	(-)1,662.96	1,635.50
11	41	3,300.00	465.00	3,765.00	3,352.85	(-)412.15	371.10
12	42	582.95	86.92	669.87	608.40	(-)61.47	49.64
13	43	141.60	0.00	141.60	37.32	(-)104.28	52.68
14	45	20.35	84.00	104.35	86.61	(-)17.74	17.74
15	48	967.42	0.00	967.42	723.80	(-)243.62	243.37
16	49	1,093.80	308.07	1,401.87	1,120.93	(-)280.94	280.48
17	50	304.20	30.85	335.05	257.78	(-)77.27	71.53
18	52	62.10	0.00	62.10	35.67	(-)26.43	25.75
19	53	29.90	0.00	29.90	16.72	(-)13.18	12.50
20	55	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	(-)1,161.52	783.73
21	58	815.00	0.00	815.00	763.90	(-)51.10	50.00
22	60	78.69	39.67	118.36	42.60	(-)75.76	72.69
कुल		16,706.01	4,949.91	21,655.92	16,554.24	(-)5,101.69	4,165.39
कुल योग		79,532.45	14,751.99	94,284.44	72,345.80	(-)21,938.65	15,578.22

परिशिष्ट 3.6

पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)

वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विनियोजन/ विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज भुगतान	144.95
2021-22	13	ब्याज भुगतान	98.89
2021-22	15	पेंशन	189.97
कुल			3,762.49

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था

परिशिष्ट 3.7

**योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1.		2401-00-102-एस (सीएस)	10.20	
2.		2401-00-102- ए.एस (एसएस)	4.70	
3.		2401-00-102-बीजे (एसएस)	1.50	
4.		2401-00-102-बीयू (एसएस)	1.23	2.46
5.		2401-00-102-बीडब्लू (एसएस)	1.20	2.40
6.		2401-00-103-सी1 (सीएस)	2.40	
7.		2401-00-103-सी1 (एसएस)	1.60	
8.		2401-00-105-एवी (सीएस)	14.70	
9.		2401-00-105- एवी (एसएस)	6.77	
10.		2401-00-109-28 (सीएस)	29.02	
11.		2401-00-109-28 (एसएस)	13.37	
12.		2401-00-114-सी0 (सीएस)	1.20	
13.		2401-00-115-एएफ (सीएस)	61.40	
14.		2401-00-115- एएफ (एसएस)	26.74	
15.		2401-00-115-बीओ (एसएस)	1.95	
16.		2401-00-789-28 (सीएस)	7.26	
17.		2401-00-789-28 (एसएस)	3.34	
18.		2401-00-789-एएफ (सीएस)	15.35	
19.		2401-00-789-एएफ (एसएस)	6.68	
20.		2401-00-789-एएस (सीएस)	2.55	
21.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-789-एएस (एसएस)	1.17	
22.		2401-00-789-एवी (सीएस)	3.68	
23.		2401-00-789-एवी (सीएस)	1.69	
24.		2401-00-796-28 (सीएस)	36.28	
25.		2401-00-796-28 (एसएस)	16.71	
26.		2401-00-796-एएफ (सीएस)	76.75	
27.		2401-00-796-एएफ (एसएस)	33.42	
28.		2401-00-796-एएस (सीएस)	12.75	
29.		2401-00-796-एएस (एसएस)	5.87	
30.		2401-00-796-एवी (सीएस)	18.38	
31.		2401-00-796-एवी (एसएस)	8.47	
32.		2401-00-796-बी1 (एसएस)	549.52	
33.		2401-00-796-बीजे (एसएस)	3.00	
34.		2401-00-796-बीओ (एसएस)	3.90	
35.		2401-00-796-बीयू (एसएस)	2.46	4.92
36.		2401-00-796-बीडब्लू (एसएस)	2.40	4.80
37.		2401-00-796-सी0 (सीएस)	1.50	
38.		2401-00-796-सी0 (एसएस)	1.00	
39.		2401-00-796-सी1(सीएस)	3.00	
40.		2401-00-796-C1(एसएस)	2.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
41.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-27(सीएस)	2.52	
42.		2403-00-101-27(एसएस)	1.68	
43.		2403-00-101-67(सीएस)	1.00	
44.		2403-00-101-A5(एसएस)	1.10	
45.		2403-00-102-33(एसएस)	2.00	
46.		2403-00-102-36(एसएस)	1.30	
47.		2403-00-106-08 (एसएस)	1.50	
48.		2403-00-111-84(एसएस)	2.00	
49.		2403-00-789-27(सीएस)	1.68	
50.		2403-00-789-27(एसएस)	1.12	
51.		2403-00-789-एजी(एसएस)	1.44	
52.		2403-00-789-एएल(सीएस)	1.00	
53.		2403-00-796-ए5(एसएस)	1.40	
54.		2403-00-796-एए(एसएस)	3.00	
55.		4403-00-796-23(एसएस)	1.00	
56.		4403-00-796-28(एसएस)	1.00	
57.		3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-39(सीएस)	31.00
58.	4059-01-796-39(सीएस)		20.00	
59.	4216-01-106-03(एसएस)		1.00	
60.	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	3053-80-001-09(एसएस)	3.00	
61.		5053-02-102-11(एसएस)	1.50	
62.		5053-02-796-03(एसएस)	5.50	
63.	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-108-60(एसएस)	3.00	
64.		2425-00-789-60(एसएस)	2.00	
65.		2425-00-796-60(एसएस)	5.00	
66.		6425-00-108-19(एसएस)	30.00	34.50
67.		6425-00-789-19(एसएस)	20.00	23.00
68.		6425-00-796-19(एसएस)	50.00	57.50
69.	10- उर्जा विभाग	2801-80-101-02(स्थापना.)	4.06	
70.		4070-00-003-86(एसएस)	3.13	
71.	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2070-00-800-08(स्थापना.)	10.00	
72.		2075-00-791-02(स्थापना.)	5.50	
73.	13- ब्याज भुगतान	2049-01-115-01(स्थापना.)	7.00	
74.		2049-60-701-01(स्थापना)	5.00	
75.	14- ऋणों का पूर्णभुगतान	6003-00-101-88(स्थापना)	500.00	
76.		6003-00-101-90(स्थापना)	800.00	
77.	15- पेंशन	2071-01-104-03(स्थापना)	45.00	
78.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-789-57(एसएस)	1.00	
79.		3456-00-789-76(एसएस)	6.00	
80.	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-48(एसएस)	10.00	
81.		2406-01-101-72(एसएस)	5.00	
82.		2406-01-102-63(सीएस)	1.86	
83.		2406-01-102-63(एसएस)	1.24	
84.		2406-01-102-65(सीएस)	1.80	
85.		2406-01-102-65(एसएस)	1.20	
86.		2406-02-110-22(सीएस)	3.00	
87.		2406-02-110-22(एसएस)	2.00	
88.		20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-92 (एसएस)	20.00
89.	2210-01-103-82 (सीएस)		13.64	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीक्षित व्यय
90.		2210-01-110-62 (सीएस)	2.15	
91.		2210-01-110-62(एसएस)	1.43	
92.		2010-01-110-90(सीएस)	122.07	
93.		2210-01-789-82(एसएस)	2.64	
94.		2210-01-796-64(एसएस)	10.00	
95.		2210-01-796-89(सीएसएस)	115.54	
96.		2210-01-796-90(सीएसएस)	42.89	
97.		2210-05-101-17(सीएस)	4.75	
98.		2210-05-105-16(सीएस)	3.12	
99.		2210-05-105-16(एसएस)	2.08	
100.		4210-01-110-31-(एसएस)	5.00	
101.		4210-01-110-42(सीएस)	1.00	
102.		4210-01-110-49(सीएस)	33.53	
103.		4210-01-110-49(एसएस)	22.36	
104.		2202-03-102-79(सीएस)	38.75	
105.		2202-03-102-B1(एसएस)	3.00	
106.		2202-03-102-B7(एसएस)	30.00	
107.	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-B8(एसएस)	3.00	
108.		2202-03-789-79(सीएस)	7.50	
109.		2202-03-796-79(एसएस)	3.75	
110.		2202-03-796-B1(एसएस)	2.00	
111.		4055-00-207-16(एसएस)	1.00	
112.		4055-00-207-19(एसएस)	1.00	
113.		4055-00-207-45(सीएस)	11.65	
114.		4055-00-207-45(एसएस)	6.62	
115.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-83(एसएस)	10.00	
116.		4055-00-207-85(एसएस)	7.00	
117.		4055-00-796-16(एसएस)	1.00	
118.		4055-00-796-83(एसएस)	22.00	
119.		4055-00-796-85(एसएस)	9.00	
120.		2851-00-102-61(एसएस)	1.00	
121.		2852-80-102-10(एसएस)	8.00	
122.		2852-80-102-93(एसएस)	2.00	
123.	23- उद्योग विभाग	2852-80-796-10(एसएस)	2.00	
124.		2852-80-796-89(सीएस)	10.00	
125.		2852-80-796-89(एसएस)	6.39	
126.		2852-80-796-93(एसएस))	6.00	
127.		6851-00-101-02(एसएस)	0.00	9.95
128.		2220-01-796-03(एसएस)	1.00	
129.	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	2220-60-106-13(एसएस)	2.00	
130.		2235-60-796-11(एसएस)	2.50	
131.		2230-01-789-47(सीएस)	4.97	
132.		2230-01-789-47(एसएस)	3.31	
133.		2230-01-796-45(सीएस)	5.99	
134.	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	2230-02-101-42(एसएस)	0.00	35.74
135.		2230-02-789-38(एसएस)	50.00	
136.		2230-02-789-39(एसएस)	5.20	
137.		2230-02-789-40(एसएस)	10.86	
138.		2230-02-789-41(एसएस)	17.17	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
139.		2230-02-789-42(एसएस)	0.00	2.90
140.		2230-02-796-42(एसएस)	0.00	44.37
141.		2230-03-796-54(सीएस)	0.40	1.59
142.		4250-00-203-04(सीएस)	6.00	
143.		4250-00-203-04(एसएस)	2.00	
144.		4250-00-796-04(सीएस)	9.00	
145.		4250-00-796-04(एसएस)	3.00	
146.		4250-00-796-09(सीएस)	2.80	
147.		4250-00-796-09(एसएस)	1.20	
148.		4225-80-277-10(एसएस)	1.00	
149.		4225-80-277-20(एसएस)	1.00	
150.	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक प्रभाग)	4225-80-277-23 (एसएस)	8.00	
151.		4225-80-796-20(एसएस)	1.00	
152.		4225-80-796-21(सीएस)	1.00	
153.		4225-80-796-23(एसएस)	12.00	
154.			2053-00-094-34(एसएस)	10.00
155.		2053-00-094-36(एसएस)	1.00	
156.		2053-00-796-33(एसएस)	1.00	
157.	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-34(एसएस)	14.50	
158.		2053-00-796-36(एसएस)	1.50	
159.		2053-00-796-41(एसएस)	3.00	
160.		3454-02-796-16(एसएस)	1.39	
161.		4215-01-102-10(सीएस)	801.12	
162.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-789-10(सीएस)	274.36	
163.		4215-01-796-10(सीएस)	504.02	
164.	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02(स्थापना)	1.00	
165.			2235-01-001-02(स्थापना)	3.00
166.		2235-01-101-06(स्थापना)	5.00	
167.		2245-01-102-02(स्थापना)	10.00	
168.		2245-01-102-03(स्थापना)	20.00	
169.		2245-01-102-04(स्थापना)	1.00	
170.		2245-01-104-01(स्थापना)	1.00	
171.		2245-02-102-02(स्थापना)	1.00	
172.	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-02-104-01(स्थापना)	1.00	
173.		2245-02-106-01(स्थापना)	2.00	
174.		2245-02-107-01(स्थापना)	1.00	
175.		2245-02-109-02(स्थापना)	1.00	
176.		2245-02-112-01(स्थापना)	1.00	
177.		2245-05-101-07(सीएस)	568.00	
178.		2245-05-101-07(एसएस)	130.21	158.40
179.		2245-80-001-22(सीएस)	1.60	
180.	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-796-21(एसएस)	10.00	
181.		3454-01-101-05(सीएस)	1.00	
182.		5054-03-052-06(एसएस)	1.75	
183.	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-796-06(एसएस)	1.87	
184.		5054-03-796-08(एसएस)	15.00	
185.	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-07(एसएस)	9.80	
186.		2501-02-789-07(एसएस)	3.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीक्षित व्यय
187.		2501-02-796-07(एसएस)	7.20	
188.		2501-06-796-14(सीएस)	20.64	
189.		2501-06-796-14(एसएस)	13.76	
190.		2515-00-789-48(सीएस)	20.00	
191.		4515-00-796-47(एसएस)	0.00	4.40
192.		2203-00-004-एड(एसएस)	7.40	
193.		2203-00-004-एजी(एसएस)	3.70	
194.	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-796-ए7(एसएस)	1.30	
195.		2203-00-796-एड(एसएस)	2.60	
196.		2203-00-796-एजी(एसएस)	1.30	
197.		4202-02-105-76(सीएस)	51.60	
198.		2203-00-001-89(एसएस)	2.00	
199.		2203-00-001-ए1(एसएस)	50.00	
200.		2203-00-001एजे(एसएस))	5.00	
201.	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-796-89(एसएस)	2.00	
202.		2203-00-796-एआय(एसएस)	10.00	
203.		2203-00-796-एजे(एसएस)	10.00	
204.		4202-02-105-79(एसएस)	10.00	
205.	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	3452-80-104-18(एसएस)	4.00	
206.		3452-80-796-18 (एसएस)	6.00	
207.		3055-00-796-02(एसएस)	3.00	
208.		5055-00-190-23(एसएस)	4.00	
209.		5055-00-190-27(एसएस)	3.73	
210.	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	5055-00-796-19(एसएस)	10.00	
211.		5055-00-796-23(एसएस)	6.00	
212.		5055-00-796-25(एसएस)	5.00	
213.		5055-00-796-27(एसएस)	6.00	
214.		2217-80-191-80(एसएस)	1.00	
215.		2217-80-796-60(सीएस)	8.00	
216.		2217-80-796-60(एसएस)	5.50	
217.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	2217-80-796-61(एसएस)	2.00	
218.		2217-80-796-80(एसएस)	1.20	
219.		2217-80-796-A1(एसएस)	2.50	
220.		4217-60-796-50(एसएस)	200.00	
221.		4217-60-796-54(एसएस)	25.00	
222.		4700-80-789-12(सीएस)	55.00	
223.		4700-80-789-12(एसएस)	31.06	
224.	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-11(एसएस)	1.00	
225.		4700-80-796-12(सीएस)	55.00	
226.		4700-80-796-12(एसएस)	31.06	
227.		2225-01-789-99(एसएस)	2.00	
228.		2225-02-277-01(सीएस)	10.00	
229.	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2215-02-277-98(एसएस)	2.00	
230.		4225-01-789-02(सीएस)	2.00	
231.		4225-01-789-02(एसएस)	2.00	
232.		4225-03-796-02(सीएस)	1.00	
233.		4225-03-796-02(एसएस)	1.00	
234.	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा	2204-00-104-58(एसएस)	4.00	
235.		2204-00-796-58(एसएस)	6.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
236.	कार्य प्रभाग)	4202-03-102-22(एसएस)	20.00	
237.		4202-03-796-21(एसएस)	1.40	
238.		4202-03-796-22(एसएस)	30.00	
239.	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-101-78(एसएस)	3.50	
240.		2405-00-101-79(एसएस)	1.15	
241.		2405-00-796-78(एसएस)	2.20	
242.		4405-00-101-58(सीएस)	2.40	
243.		4405-00-101-58(एसएस)	1.60	
244.		4405-00-101-65(एसएस)	1.20	
245.		2404-00-102-73(सीएस)	3.60	
246.	2404-00-102-73(एसएस)	3.60		
247.	2404-00-102-74(सीएस)	1.32		
248.	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74(एसएस)	1.32	
249.		2404-00-102-76(सीएस)	1.20	
250.		2404-00-102-76(एसएस)	1.20	
251.		2404-00-796-73(सीएस)	1.62	
252.		2404-00-796-73(एसएस)	1.62	
253.	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-83(एसएस)	0.00	40.00
254.		2515-00-102-81(एसएस)	5.00	
255.		2515-00-789-81(एसएस)	1.00	
256.		2515-00-789-83(एसएस)	0.00	10.00
257.		2515-00-796-81(एसएस)	5.00	
258.		2515-00-796-83(एसएस)	0.00	50.00
259.		4515-00-103-44(एसएस)	1.00	
260.		4515-00-796-44(एसएस)	1.00	
261.	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-109-04(स्थापना)	0.10	1.00
262.		2515-00-001-42(एसएस)	3.00	
263.		2515-00-001-56(सीएस)	20.00	
264.		2515-00-001-56(एसएस)	15.00	
265.		2515-00-001-73(एसएस)	15.00	
266.		2515-00-101-75(एसएस)	50.00	
267.		2515-00-001-76(एसएस)	1.50	
268.		2515-00-789-42(एसएस)	2.00	
269.		2515-00-789-56(सीएस)	10.00	
270.		2515-00-789-56(एसएस)	5.00	
271.	2515-00-789-73(एसएस)	5.00		
272.	2515-00-789-75(एसएस)	5.00		
273.	2515-00-796-42(एसएस)	5.00		
274.	2515-00-796-56(सीएस)	30.00		
275.	2515-00-796-56(एसएस)	20.00		
276.	2515-00-796-73(एसएस)	25.00		
277.	2515-00-796-75(एसएस)	15.00		
278.	2515-00-796-76(एसएस)	2.00		
279.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-86(एसएस)	3.00	
280.		2202-02-789-18(एसएस)	3.40	
281.		2202-02-789-64(एसएस)	1.70	
282.		2202-02-789-68(एसएस)	15.30	
283.		2202-02-789-86(एसएस)	1.00	
284.		2202-02-796-64(एसएस)	3.30	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	पुनरीकित व्यय
285.		2202-02-796-81(एसएस)	1.65	
286.		2202-02-796-86(एसएस)	2.00	
287.		2202-05-200-05(सीएस)	2.10	
288.		2202-05-200-05(एसएस)	1.40	
289.		2202-05-796-05(सीएस)	1.40	
290.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-63(एसएस)	5.70	
291.		2202-01-789-63(एसएस)	1.50	
292.		2202-01-796-63(एसएस)	2.80	
293.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-47(सीएस)	1.61	
294.		2235-02-102-47(एसएस)	1.08	
295.		2235-02-102-48(सीएस)	5.53	5.77
296.		2232-02-102-48(एसएस)	3.69	3.85
297.		2235-02-102-53(सीएस)	1.54	
298.		2235-02-103-75(सीएस)	1.74	2.16
299.		2235-02-103-75(एसएस)	1.16	1.44
300.		2235-02-789-एएच(एसएस)	3.30	
301.		2235-02-796-47(सीएस)	1.75	
302.		2235-02-796-47(एसएस)	1.16	
303.		2235-02-796-48(सीएस)	5.99	6.25
304.		2235-02-796-48(एसएस)	3.99	4.16
305.		2235-02-796-53(सीएस)	1.68	
306.		2235-02-796-53(एसएस)	1.12	
307.		2235-02-796-75(सीएस)	2.01	2.30
308.		2235-02-796-75(एसएस)	1.34	1.53
309.		2235-02-796-B6(सीएस)	0.00	12.35
310.	2235-02-796-B6(एसएस)	0.00	37.04	
311.	4235-02-101-78(सीएस)	32.69		
312.	4235-02-106-74(एसएस)	2.40		
313.	4235-02-796-78(सीएस)	40.00		
कुल			6,950.13	564.78

परिशिष्ट 3.8
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4थी तिमाही का योग	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च के व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	4थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	4235	42.60	42.60	42.60	100	100
2	4416	0.68	0.68	0.68	100	100
3	5475	1.25	1.25	1.25	100	100
4	4404	0.05	0.63	0.63	7.94	100
5	4408	3.03	39.94	39.94	7.58	100
6	4402	442.43	456.15	456.15	96.99	100
7	4202	374.35	967.03	1,011.79	37.00	95.58
8	5452	63.82	74.14	78.13	81.68	94.89
9	4403	4.39	8.76	9.29	47.28	94.36
10	4405	11.16	15.73	16.72	66.73	94.11
11	2236	0.00	332.94	357.67	0.00	93.09
12	3451	432.61	441.79	492.66	87.81	89.67
13	4401	12.45	13.45	15.03	82.83	89.49
14	3452	42.97	55.97	64.53	66.59	86.74
15	4055	313.86	320.23	372.95	84.16	85.86
16	2425	394.26	401.78	483.73	81.50	83.06
17	3053	3.96	5.83	7.06	56.17	82.62
18	4070	7.52	8.52	10.42	72.20	81.80
19	4225	584.61	655.86	848.34	68.91	77.31
20	5055	9.74	14.09	18.36	53.03	76.78
21	2401	472.91	669.43	909.17	52.02	73.63
22	2216	11.41	13.84	19.10	59.76	72.49
23	4217	383.89	496.67	721.66	53.20	68.82
24	2217	1,087.50	1,295.31	1,945.13	55.91	66.59
25	4210	310.05	409.44	624.50	49.65	65.56
26	2204	29.62	50.02	76.79	38.58	65.14
27	2405	51.85	72.51	112.97	45.90	64.19
28	4250	14.82	16.04	25.13	59.00	63.82
29	4702	85.41	162.66	257.78	33.13	63.10
30	4515	725.37	1,370.25	2,219.58	32.68	61.73
31	2852	94.23	112.04	185.51	50.80	60.40
32	4047	2.02	3.70	6.22	32.43	59.56
33	4059	193.54	285.63	483.39	40.04	59.09
34	3054	166.76	217.83	376.99	44.23	57.78
35	5053	0.05	29.62	52.81	0.10	56.09
36	2404	11.29	44.73	79.78	14.15	56.07
37	4701	242.54	396.15	714.76	33.93	55.42
38	2053	100.82	204.77	381.40	26.43	53.69
39	4215	276.25	972.26	1,840.08	15.01	52.84
40	4711	11.19	21.68	42.28	26.46	51.29
कुल		7,017.26	10,701.95	15,402.96		

परिशिष्ट 3.9
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 3.5.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	व्यय	अनुपूरक
1	2401-00-102-बीएस	6.29	0.21	6.29
2	2401-00-102-बीयू	1.23	0.00	1.23
3	2401-00-102-बीडब्ल्यू	1.20	0.00	1.20
4	2401-00-102-बीएक्स	6.00	3.00	6.00
5	2401-00-103-01	4.30	3.61	0.32
6	2401-00-105-01	1.01	0.85	0.10
7	2401-00-108-01	0.08	0.04	0.05
8	2401-00-109-01	80.97	69.92	3.00
9	2401-00-789-बीआर	6.00	3.09	6.00
10	2401-00-789-बीएस	2.10	0.06	2.10
11	2401-00-789-बीटी	14.70	8.57	14.70
12	2401-00-789-बीयू	0.41	0.00	0.41
13	2401-00-789-बीवी	2.50	2.50	2.50
14	2401-00-789-बीडब्ल्यू	0.40	0.00	0.40
15	2401-00-789-बीएक्स	2.00	1.00	2.00
16	2401-00-796-बीआर	36.00	23.33	36.00
17	2401-00-796-बीएस	12.60	0.82	12.60
18	2401-00-796-बीटी	92.40	53.15	92.40
19	2401-00-796-बीयू	2.46	0.00	2.46
20	2401-00-796-बीडब्ल्यू	2.40	0.00	2.40
21	2401-00-796-बीएक्स	12.00	6.00	12.00
22	2415-01-277-02	1.75	1.42	0.36
23	2435-01-102-02	1.43	1.36	0.20
24	3451-00-090-07	5.99	5.87	0.11
कुल		296.22	184.80	204.83

परिशिष्ट 3.10
सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)	अभियुक्ति
1	2401-00-102-बीजे	1.50	0.00	1.50	100	गन्ना विकास के लिए योजना
2	2401-00-102- बीडब्ल्यू	2.40	0.00	2.40	100	विभाग ने आई.टी एवं परामर्श की स्थापना
3	2401-00-103-सी1	2.40	0.00	2.40	100	बीज और पोषण सामाग्री पर प्रस्तुतीकरण
4	2401-00-103-सी1	1.60	0.00	1.60	100	बीज और पोषण सामाग्री पर प्रस्तुतीकरण
5	2401-00-105-एवी	14.70	0.00	14.70	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
6	2401-00-105- एवी	6.77	0.00	6.77	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
7	2401-00-109-28	29.02	0.00	29.02	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
8	2401-00-109-28	13.37	0.00	13.37	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
09	2401-00-115-बीओ	1.95	0.00	1.95	100	किसान समृद्धि योजना
10	2401-00-789-28	7.26	0.00	7.26	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
11	2401-00-789-28	3.34	0.00	3.34	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
12	2401-00-789-एवी	3.68	0.00	3.68	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
13	2401-00-789-एवी	1.69	0.00	1.69	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
14	2401-00-789-बीजे	0.50	0.00	0.50	100	गन्ना विकास के लिए योजना
15	2401-00-789-बीओ	0.65	0.00	0.65	100	किसान समृद्धि योजना
16	2401-00-789-डब्ल्यू	0.80	0.00	0.80	100	विभाग में सूचना प्राथमिकी एवं परामर्श की स्थापना
17	2401-00-789-सी1	0.60	0.00	0.60	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
18	2401-00-789-सी1	0.40	0.00	0.40	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
19	2401-00-796-28	36.28	0.00	36.28	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
20	2401-00-796-28	16.71	0.00	16.71	100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम
21	2401-00-796-एवी	18.38	0.00	18.38	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
22	2401-00-796-एवी	8.47	0.00	8.47	100	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना
23	2401-00-796- बीआई	549.52	0.00	549.52	100	किसानों के लिए ऋण माफी योजना
24	2401-00-796-बीजे	3.00	0.00	3.00	100	गन्ना विकास के लिए योजना
25	2401-00-796-बीओ	3.90	0.00	3.90	100	किसान समृद्धि योजना
26	2401-00-796- बीडब्ल्यू	4.80	0.00	4.80	100	विभाग में सूचना प्राथमिकी एवं परामर्श की स्थापना
27	2401-00-796-सी1	3.00	0.00	3.00	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
28	2401-00-796-सी1	2.00	0.00	2.00	100	मृदा एवं जल संरक्षण योजना
कुल		738.69	0.00	738.69		

परिशिष्ट 3.11

नमूना-जाँच जिलों में सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	कार्यालयों/प्रमण्डलों का नाम	उप-शीर्षों की संख्या जिसमें अभ्यर्पण किया गया	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
1	राँची	उपनिदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	06	123.70	0.00	123.70
		भू-संरक्षण निदेशालय	04	4.01	0.00	4.01
		जिला कृषि पदाधिकारी	08	27.17	0.00	27.17
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	558.42	0.00	558.42
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	12	56.23	0.00	56.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	06	22.15	0.00	22.15
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	01	0.10	0.00	0.10
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	08	6.95	0.00	6.95
		जिला उद्यान पदाधिकारी	32	130.84	0.00	130.84
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	05	17.19	0.00	17.19
		जिला उद्यान पदाधिकारी	18	37.81	0.00	37.81
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	02	0.15	0.00	0.15
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	07	15.06	0.00	15.06
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	11	49.64	0.00	49.64
		जिला उद्यान पदाधिकारी	03	0.30	0.00	0.30
		सहायक मृदा केमिस्ट	01	0.50	0.00	0.50
8	चतरा	उप-प्रमंडलीय कृषि पदाधिकारी	08	7.96	0.00	7.96
कुल			134	1,058.18	0.00	1,058.18

परिशिष्ट 3.12
वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.8)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालयों/प्रमण्डलों का नाम	कार्य/उप-शीर्षों की संख्या जिसमें अभ्यर्पण किया गया	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	राँची	उपनिदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	10	184.33	38.50	145.83 (47 से 100%)	31.03.23
		भू-संरक्षण निदेशालय	04	4.01	0.00	4.01 (100%)	31.03.23
		जिला कृषि पदाधिकारी	12	104.45	16.73	87.72 (42 से 100%)	31.03.23
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	558.42	0.00	558.42 (100%)	31.03.23
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	21	186.00	54.50	131.50 (37 से 100%)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	07	22.95	0.37	22.58 (54 से 100 %)	31.03.23
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	3.81	1.14	2.67 (47 एवं 73 %)	31.03.23
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	11	10.10	1.06	9.04 (62 से 100 %)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	47	205.50	26.12	179.38 (50 से 100 %)	31.03.23
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	05	17.19	0.00	17.19 (100 %)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	22	95.33	27.81	67.52 (38 से 100%)	31.03.23
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	06	20.04	9.26	10.78 (52 से 100%)	31.03.23
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	06	7.36	0.00	7.36 (100%)	31.03.23
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	13	64.21	8.82	55.39 (31 से 100%)	31.03.23
		जिला उद्यान पदाधिकारी	06	335.37	170.83	164.54 (46 से 100%)	31.03.23
		सहायक मृदा केमिस्ट	02	0.70	0.13	0.57 (81%)	31.03.23
8	चतरा	उप-प्रमंडलीय कृषि पदाधिकारी	08	7.96	0.00	7.96 (100%)	31.03.23
कुल			184	1,827.73	355.27	1,472.46 (81%)	

परिशिष्ट 3.13
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.5.9)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/ प्रमंडल/ कार्यालय	लेखे शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1	राँची	सरकार पक्ष	2401-00-796-बीएस	82.39	29.78	36
			2401-00-796-एक्स	250.43	96.37	38
			2401-00-796-बीए	3,926.71	1,511.33	38
			2401-00-789-बीए	610.00	235.00	39
			2401-00-102-बीटी	4,451.95	1,809.23	41
			2415-01-277-06	8,903.31	4,403.31	49
			2415-80-277-15	1,981.89	981.89	50
			2401-00-796-एजी	2,651.00	1,325.49	50
			2401-00-109- एजी	750.00	375.00	50
			2401-00-789- एजी	250.00	125.00	50
			2401-00-789- एजी	441.84	220.92	50
			2401-00-796- एजी	1,500.00	750.00	50
			2415-80-796-17	294.00	147.00	50
			2401-00-109- एजी	1,325.54	662.78	50
			3451-00-101-12	250.00	162.02	65
			2401-00-109- एक्स	251.08	186.82	74
			2401-00-789- एक्स	63.96	54.13	85
			4401-00-796-12	1,180.00	1,080.00	92
			2401-00-113-एटी	260.85	245.70	94
			2401-00-113- एटी	173.90	163.80	94
			2401-00-796- एटी	521.04	491.40	94
			2401-00-796- एटी	347.36	327.60	94
			2401-00-102-बीजी	1,370.44	1,296.27	95
			2401-00-789- एटी	86.51	81.90	95
			2401-00-789- एटी	57.67	54.60	95
			4402-00-796-03	27,137.71	26,023.92	96
			4402-00-102-03	13,945.56	13,686.74	98
			2401-00-102-एओ	37.50	37.50	100
			2401-00-102- एओ	25.00	25.00	100
			2401-00-102-बीआई	22,427.40	22,427.40	100
			2401-00-102-बीएक्स	300.00	300.00	100
			2401-00-104-बीपी	900.00	900.00	100
			2401-00-113-सी2	1,916.04	1,916.04	100
			2401-00-789-एओ	12.50	12.50	100
2401-00-789-एओ	8.33	8.33	100			
2401-00-789-बीपी	300.00	300.00	100			
2401-00-789-बीएक्स	100.00	100.00	100			
2401-00-789-सी2	479.01	479.01	100			
2401-00-796- एओ	75.00	75.00	100			
2401-00-796- एओ	50.00	50.00	100			
2401-00-796- बीपी	1,800.00	1,800.00	100			

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/ प्रमंडल/ कार्यालय	लेखे शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
			2401-00-796-बीएक्स	600.00	600.00	100
			2401-00-796-सी2	2,395.05	2,395.05	100
			4402-00-789-03	4,532.09	4,532.09	100
			कुल	1,09,023.06	92,485.92	
			इकाई-वार विवरण			
		उपनिदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय, राँची	15	30,734.06	27,351.55	38 से 100
		भू-संरक्षण निदेशालय	07	529.93	298.58	86 से 94
		जिला कृषि पदाधिकारी	04	22.60	13.43	48 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	08	0.99	0.87	37 से 100
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	03	9.97	4.46	36 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	02	421.82	141.97	26 से 36
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	02	1.30	0.96	64 एवं 100
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	03	16.15	4.17	23 से 33
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	03	1.90	1.44	66 से 100
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	05	701.29	539.78	37 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	06	250.23	71.39	28 से 100
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	08	210.36	146.93	33 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	03	0.30	0.30	100
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	05	17.29	12.55	51 से 100
		जिला उद्यान पदाधिकारी	05	191.45	133.62	43 से 100
			कुल	79	33,109.64	28,722.00

परिशिष्ट 3.14
बैंक खातों में जमा राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.5.11)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	खातों की प्रकृति	बैंक खातों में जमा राशि	अभियुक्ति
1	राँची	उद्यान निदेशालय	एसबीआई, राँची	11049002433	चालू	61.43	
			पीएनबी, राँची	1091002100025348	चालू	11.10	
		भू-संरक्षण निदेशालय	एसबीआई, राँची	30727204393	चालू	8.55	
			बीओआई, राँची	496410110001620	चालू	0.63	
			यूबीआई, राँची	722501010050028	चालू	620.98	
			एचडीएफसी, राँची	50100384566230 (एसएनए)	बचत	2,070.77	
		जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, राँची	11049000774	चालू	206.47	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	एसबीआई, राँची	11049002783	चालू	136.99	
			आईडीबीआई, राँची	110110400025276	बचत	1.83	
			बीओआई, राँची	496410110004514	बचत	0.79	
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, पलामू	11112105564	बचत	229.97	
			जेआरबीजी, पलामू	1420106403	बचत	0.23	
			जेआरजीबी, पलामू	84016325314	बचत	8.18	
			एक्सिस बैंक, पलामू	916010056679831	बचत	11.40	
3	धनबाद	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, धनबाद	10900474189	चालू	23.47	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	बीओआई, धनबाद	474810100000164	बचत	62.37	
4	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, साहिबगंज	11466070352	बचत	161.49	
			आईडीबीआई, साहिबगंज	2068102000000080	चालू	86.22	
			झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, साहिबगंज	14075001174	चालू	0.49	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	एसबीआई, साहिबगंज	11466047834	चालू	85.61	जी. आर. एन. संख्या 2317671779 दिनांक 10.06.23 के द्वारा ₹ 85.61 लाख कोषागार में प्रेषित
		आईडीबीआई, साहिबगंज	20681026000000903	चालू	35.64		
5	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, गोड्डा	11093460366	बचत	6.87	₹ 3.27 लाख सितम्बर 2023 के दौरान कोषागार में प्रेषित
		जिला उद्यान पदाधिकारी	आईडीबीआई, गोड्डा	728102000004787	चालू	17.94	
			एसबीआई, गोड्डा	11093459850	चालू	5.20	
			इलाहाबाद (इंडियन) बैंक	20681204567	चालू	1.02	
			जेआरजीबी, गोड्डा	14071083378	बचत	0.40	

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	खार्तो की प्रकृति	बैंक खार्तो में जमा राशि	अभियुक्ति
6	देवघर	जिला कृषि पदाधिकारी	एक्सिस बैंक		बचत	18.84	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	एसबीआई, देवघर	11240650168	चालू	17.51	चालान संख्या 127/दिनांक 29.05.23 द्वारा शेष राशि कोषागार में प्रेषित
			आईडीबीआई, देवघर	07281000003209	चालू	1.88	
			इलाहाबाद (इंडियन) बैंक	6730591157	चालू	37.00	चालान संख्या 346/दिनांक 31.07.23 द्वारा शेष राशि कोषागार में प्रेषित
			इलाहाबाद बैंक (पुराना)	4759		0.12	
7	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	एक्सिस बैंक, दुमका	911010041095829	बचत	2.16	
			एक्सिस बैंक, दुमका	917010063725807	बचत	72.89	
		जिला उद्यान पदाधिकारी	यूनियन बैंक, दुमका	573902050000064	बचत	16.63	
8	चतरा	उप-प्रमंडलीय कृषि पदाधिकारी	एसबीआई, चतरा	11475682208	चालू	484.60	
			बीओआई, चतरा	589420110000028	चालू	149.76	
कुल						4,585.43	143.39

परिशिष्ट 3.15
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना
(संदर्भ: कंडिका 3.5.13)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य घटकों का नाम	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	निधि का आवंटन (₹ लाख में)	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी
1	डीएचओ, राँची	युवाओं का 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण	20 सं.	3.50	12 सं.	08 सं. (40%)
		कीट रहित सब्जी उत्पादन (ओ.एस.पी.)	25 सं.	56.25	00	25 सं. (100%)
		गृह वाटिका की स्थापना	30 सं.	12.00	00	30 सं. (100%)
		संरक्षित फूलों की खेती (ओ.एस.पी.)	1.5 हेक्टेयर	99.00	00	1.5 हेक्टेयर (100%)
		पपीता की खेती	35000 सं.	3.50	22500	12500 सं. (36%)
		पॉली हाउस की स्थापना (ओएसपी)	2000 वर्गमीटर	15.90	00	2000 वर्गमीटर (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीर्णोद्धार नर्सरियो में पौध प्रसारण का संचालन एवं रख-रखाव	02 सं.	10.00	00	02 सं. (100%)
		गुणवत्ता युक्त सब्जी, फूल आदि का उत्पादन	40 सं.	90.00	00	40 सं. (100%)
2	डीएचओ, साहिबगंज	शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर	4000 वर्गमीटर	14.20	0.00	4000 वर्गमीटर (100%)
		रायपेनिंग चेंबर	10 इकाई	5.00	0.00	10 इकाई (100%)
		प्रीजर्वेशन इकाई	18 इकाई	18.00		18 इकाई (100%)
		कम लागत प्याज भंडारण	1 इकाई	0.88	0.00	1 इकाई (100%)
3	डीएचओ, गोड्डा	हाईटेक नर्सरी की स्थापना (एससीएसपी)	04 सं.	40.00	0.00	04 सं. (100%)
		छोटी नर्सरी की स्थापना (ओएसपी)	01 सं.	7.50	0.00	01 सं. (100%)
		आम फलबाग की स्थापना (ओएसपी)	90 हेक्टेयर	6.89	35 हेक्टेयर	55 हेक्टेयर (61%)
		निम्बू फलबाग की स्थापना (ओएसपी)	06 हेक्टेयर	0.99	1.62 हेक्टेयर	4.38 हेक्टेयर (73%)
		मसाला की खेती (ओएसपी)	50 हेक्टेयर	6.00	33.57 हेक्टेयर	16.43 हेक्टेयर (33%)
		नेचुरली वेंटीलेटेड ट्यूबलर संरचना की स्थापना (ओएसपी)	2000 वर्गमीटर	10.60	0.00	2000 वर्गमीटर (100%)
		शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर (ओएसपी)	5000 वर्गमीटर	17.75	0.00	5000 वर्गमीटर (100%)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य घटकों का नाम	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	निधि का आवंटन (₹ लाख में)	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी
		शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर (एससीएसपी)	1000 वर्गमीटर	3.55	0.00	1000 वर्गमीटर (100%)
		रायपेनिंग चेंबर (ओएसपी)	10 इकाई	5.00	0.00	10 इकाई (100%)
		रायपेनिंग चेंबर (एससीएसपी)	03 इकाई	1.50	0.00	03 इकाई (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापित फलबाग का रख-रखाव (ओएसपी)	164 हेक्टेयर	4.19	0.00	164 हेक्टेयर (100%)
4	डीएचओ, देवघर	कीट रहित सब्जी उत्पादन (ओ.एस.पी)	09 सं.	20.25	02	07 सं. (78%)
		संरक्षित फूलों की खेती (ओ.एस.पी.)	0.9 हेक्टेयर	59.40	00	0.9 हेक्टेयर (100%)
		पॉली हाउस की स्थापना (ओएसपी)	1000 वर्गमीटर	7.95	00	1000 वर्गमीटर (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीर्णोद्धार नर्सरियो में पौध प्रसारण का संचालन एवं रख-रखाव (ओएसपी)	01 हेक्टेयर	5.00	01 हेक्टेयर	01 हेक्टेयर (100%)
		पपीता की खेती (एससीएसपी)	5000 सं.	0.50	00	5000 हेक्टेयर (100%)
		वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीर्णोद्धार नर्सरियो में पौध प्रसारण का संचालन एवं रख-रखाव (ओएसपी)	01 सं.	5.00	00	01 सं. (100%)
		कीट रहित सब्जी उत्पादन (ओएसपी)	03 सं.	6.75	00	03 सं. (100%)
5	डीएचओ, दुमका	कीट रहित सब्जी उत्पादन (टी.एस.पी.)	20 सं.	45.00	00	20 सं. (78%)
		संरक्षित फूलों की खेती (टी.एस.पी)	0.9 हेक्टेयर	59.40	00	0.9 हेक्टेयर (100%)
		पॉली हाउस की स्थापना (टी.एस.पी)	2000 वर्गमीटर	15.90	00	1000 वर्गमीटर (100%)
कुल				657.35		

परिशिष्ट 3.16
अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी
(संदर्भ: कंडिका 3.6.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम/ कार्य	कार्य का अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में व्यय की प्रगति	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो/ पुनरीक्षण तिथि
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग						
1	चंद्रपुरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	8.83	2020	93	7.81	
2	छत्तरपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना	68.18	2021	87	44.59	
3	पांडू ग्रामीण जलापूर्ति योजना	4.36	2020	40	0.90	
4	पांकी ग्रामीण जलापूर्ति योजना	41.36	2021	95	40.26	
5	निमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना	12.65	2022	50	2.70	
6	धनबाद जिला में खेराबेरा चेकडैम ग्रामीण जलापूर्ति योजना	6.73	2018	60	5.65	
7	बगोदरडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना	14.82	2019	95	12.00	
8	गिरिडीह प्रखंड में गादी श्रीरामपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना	25.70	2020	94	23.71	
9	डुमरी प्रखंड में कुलगो ग्रामीण जलापूर्ति योजना	17.41	2020	92	12.96	
10	बडकागांव ग्रामीण जलापूर्ति योजना	6.04	2020	71	3.30	
11	चंदवारा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना	42.44	2020	95	40.19	
12	मर्गामुन्डा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	103.96	2021	40	30.04	
13	चित्रा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	14.96	2016	95	16.91	18.49 / 14-09-2020
14	कपाली का पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना	18.23	2020	85	13.22	
15	चांडिल का पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना	15.00	2020	85	11.68	
कुल		400.67			265.92	18.49

परिशिष्ट 3.17
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.6.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	डी डब्ल्यू & एस. प्रमंडल	2022-23 में व्यय	मार्च 2023 में व्यय	प्रतिशत में
1	राँची	राँची पूर्व	144.62	24.00	16.60
2		राँची पश्चिम	57.15	16.29	28.50
3	पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	66.04	47.75	72.30
4		चक्रधरपुर	57.65	48.06	83.37
5	सरायकेला- खरसावा	सरायकेला-खरसावा	76.63	24.40	31.84
6		आदित्यपुर	111.57	13.03	11.68
7	धनबाद	धनबाद-1	21.56	11.20	51.95
8		धनबाद-2	46.73	20.14	43.10
9	गिरिडीह	गिरिडीह -1	178.91	102.47	57.27
10		गिरिडीह -2	243.69	82.55	33.88
11	दुमका	दुमका-1	71.82	22.58	31.44
12		दुमका-2	216.76	48.64	22.44
13	देवघर	देवघर	126.55	9.70	7.66
14		मधुपूर	212.56	53.93	25.37
15	साहिबगंज	साहिबगंज	167.59	49.07	29.28
कुल			1,799.83	573.81	31.88

परिशिष्ट 3.18
निधि का अनुपयोग
(सन्दर्भ: कंडिका 3.6.11)

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		बचत की सीमा (प्रतिशत में)
	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	
1. 2215-01-102-10-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम									
बजट	0	97.47	530.37	370	710.08	304.3	0	0	29.98 तथा 80.44 के बीच
कुल बजट	97.47		900.37		1014.4				
बचत	0	29.22	449.68	214.2	710.08	105.92	0	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	29.22 (29.98)		663.89 (73.74)		816 (80.44)		0		
2. 2215-01-789-11-ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए)									
बजट	123.06	84.73	60	0	59.32	8.5	51	8.5	62.77 तथा 99.73 के बीच
कुल बजट	207.79		60		67.82		59.5		
बचत	123.06	84.17	37.66	0	59.32	1.11	42.18	2.62	
कुल बचत (प्रतिशत)	207.23 (99.73)		37.66 (62.77)		60.43 (89.10)		44.80 (75.29)		
3. 2215-01-796-10-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम									
बजट	0	68.41	174.03	130	446.74	191.5	0	0	51.92 तथा 75.13 के बीच
कुल बजट	68.41		304.03		638.2		0		
बचत	0	35.51	118.27	50.72	446.74	32.76	0	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	35.51 (51.92)		168.99 (55.58)		479.50 (75.13)		0		
4. 2215-01-796-11-ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए)									
बजट	123.78	59.13	84		80.25	11.5	69	11.5	62.11 तथा 100 के बीच
कुल बजट	182.91		84		90.75		80.5		
बचत	123.78	59.13	57.49		80.25	1.18	50	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	182.91 (100)		57.49 (68.44)		81.43 (89.73)		50 (62.11)		
5. 2215-02-107-11-ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए)									
बजट	0	0	256	32	209.36	30	0	0	97.23 तथा 100 के बीच
कुल बजट	0		288		239.36		0		
बचत	0	0	252.08	27.94	209.36	30	0	0	
कुल बचत (प्रतिशत)	0		280.02 (97.23)		239.36 (100)		0		
6. 4215-01-796-02-ग्रामीण जल आपूर्ति योजना									
बजट	उपलब्ध नहीं	210.9	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	141.2	उपलब्ध नहीं	63.9	15.93 तथा 58.61 के बीच
कुल बजट	210.9		0		141.22		63.9		
बचत	उपलब्ध नहीं	33.6	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	82.76	उपलब्ध नहीं	36.86	
कुल बचत (प्रतिशत)	33.60 (15.93)		0		82.76 (58.60)		36.86 (57.68)		
7. 4215-01-796-03-ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (कुआं तथा बोरिंग से)									
बजट	उपलब्ध नहीं	5.8	उपलब्ध नहीं	100	उपलब्ध नहीं	108	उपलब्ध नहीं	25	9.59 तथा 100 के बीच
कुल बजट	5.8		100		108		25		
बचत	उपलब्ध नहीं	5.61	उपलब्ध नहीं	100	उपलब्ध नहीं	19.97	उपलब्ध नहीं	6.87	

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		बचत की सीमा (प्रतिशत में)
	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	सीएस	एसएस	
कुल बचत (प्रतिशत)	5.61 (96.72)		100 (100)		19.97 (18.49)		6.87 (27.48)		
8. 4215-01-102-03-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (कुआं तथा बोरिंग से)									
बजट	उपलब्ध नहीं	4.2	उपलब्ध नहीं	70	उपलब्ध नहीं	80.73	उपलब्ध नहीं	22	13.24 तथा 100 के बीच
कुल बजट	4.2		70		80.73		22		
बचत	उपलब्ध नहीं	4.2	उपलब्ध नहीं	70	उपलब्ध नहीं	10.69	उपलब्ध नहीं	6.6	
कुल बचत (प्रतिशत)	4.2 (100)		70 (100)		10.69 (13.24)		6.6 (30)		
9. 4215-01-102-02-ग्रामीण जलापूर्ति योजना									
बजट	उपलब्ध नहीं	322.6	उपलब्ध नहीं	207.5	उपलब्ध नहीं	205	उपलब्ध नहीं	102.52	27.93 तथा 43.72 के बीच
कुल बजट	322.55		207.52		205.02		102.52		
बचत	उपलब्ध नहीं	141	उपलब्ध नहीं	66.52	उपलब्ध नहीं	57.26	उपलब्ध नहीं	28.98	
कुल बचत (प्रतिशत)	141.02 (43.72)		66.52 (32.05)		57.26 (27.93)		28.98 (28.27)		

परिशिष्ट 3.19
शौचालय निर्माण का लक्ष्य तथा उपलब्धि
(सन्दर्भ: कंडिका 3.6.12)

क्र. सं.	जिला	प्रमंडल	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत में
1	राँची	राँची पूर्व	4,242	210	4.95
2		राँची पश्चिम	5,700	0	0.00
3	पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	4,708	15	0.32
4		चक्रधरपुर	2,998	512	17.08
5	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला-खरसावाँ	4,838	672	13.89
6		आदित्यपुर	2,701	1,471	54.46
7	धनबाद	धनबाद-1	2,698	967	35.84
8		धनबाद-2	4,047	382	9.44
9	गिरिडीह	गिरिडीह-1	6,525	2,089	32.02
10		गिरिडीह-2	6,900	5,500	79.71
11	दुमका	दुमका-1	2,362	1,737	73.54
12		दुमका-2	5,026	2,249	44.75
13	देवघर	देवघर	3,701	368	9.94
14		मधुपुर	5,945	1,240	20.86
15	साहिबगंज	साहिबगंज	3,701	614	16.59

परिशिष्ट 4.1
डी. सी. विपत्र का अप्रस्तुतीकरण
(सन्दर्भ: कंडिका 4.7)

(₹ में राशि)

कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र का दिनांक	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के लिए लंबित राशि
उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	2012-2013	2401	237/12-13	26.03.2013	24,00,000.00	14,27,833.00
	2014-2015	4401	88/2014-15	06.02.2015	1,72,85,200.00	10,54,859.00
	2019-2020	2401	60/2019-20	27.09.2019	3,00,00,00,000.00	11,23,450.00
		2401	27/2019-20	20.06.2019	5,00,00,00,000.00	6,20,46,285.00
		2401	76/2019-20	28.10.2019	1,00,00,00,000.00	17,00,002.25
	2020-2021	2401	115/2020-21	22.02.2021	3,00,00,00,000.00	1,76,13,037.00
	2021-2022	2401	87/2021-22	04.10.2021	3,60,00,00,000.00	95,47,271.00
		2401	183/2021-22	29.01.2022	3,00,00,00,000.00	2,25,85,42,948.00
		2401	231/2021-22	24.03.2022	90,00,00,000.00	67,50,000.00
		2401	24/2021-22	17.06.2021	6,00,00,00,000.00	1,50,49,79,884.00
उद्यान निदेशालय	2012-13	2401	71/12-13	06.03.2013	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00
डीएओ, राँची	2007-08	2401	225	31.03.2008	1,05,000.00	1,05,000.00
			209	30.03.2008	36,85,800.00	26,27,000.00
			212	30.03.2008	4,03,200.00	4,03,200.00
			214	30.03.2008	23,57,500.00	22,19,500.00
			224	31.03.2008	1,90,000.00	1,90,000.00
			213	30.03.2008	6,46,800.00	6,46,800.00
			215	31.03.2008	20,24,000.00	18,76,000.00
			210	30.03.2008	44,64,200.00	28,73,000.00
डीएओ, पलामू	2003-04	2401	35	12.12.2003	1,18,800.00	1,18,800.00
	2004-05	2415	71	27.09.2004	20,000.00	20,000.00
	2008-09	2401	60	19.02.2009	1,81,89,000.00	1,81,89,000.00
	2008-09	2401	61	19.02.2009	1,23,65,000.00	1,23,65,000.00
	2010-11	2401	113	31.03.2011	2,52,500.00	2,52,500.00
	2011-12	2401	36	24.11.2011	1,20,000.00	1,20,000.00
	2015-16	2401	138	31.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00
		2401	137	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00
		2401	168	31.03.2016	6,27,270.00	6,27,270.00
		2401	140	31.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00
		2401	139	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00
	2401	169	31.03.2016	70,833.00	70,833.00	
2016-17	2401	24	03.10.2016	40,00,000.00	40,00,000.00	
डीएससीओ, पलामू	2011-12	2402	89/11-12	31.03.2012	21,40,000.00	21,40,000.00
डीएओ, धनबाद	2010-11	2401	174	31.03.2011	95,000.00	6,000.00
			173	31.03.2011	1,42,500.00	16,500.00
	2011-12		88	01.03.2012	12,08,000.00	13,000.00
			98	19.03.2012	5,45,000.00	5,45,000.00
			90	01.03.2012	14,000.00	14,000.00
			89	19.03.2012	4,55,000.00	4,55,000.00
			162	31.03.2013	15,15,300.00	15,15,300.00
	2012-13		162	31.03.2013	15,15,300.00	15,15,300.00
	2015-16		154	31.03.2016	5,89,695.00	17,478.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र का दिनांक	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के लिए लंबित राशि	
			190	31.03.2016	70,833.00	70,833.00	
			191	31.03.2016	6,27,270.00	1,34,864.00	
डीएचओ, धनबाद	2009-10	2401	175	08.03.2010	49,750.00	49,750.00	
डीएओ, साहिबगंज	2016-17	2401	44	24.10.2016	75,00,000.00	28,35,164.00	
		4401	63	08.12.2016	1,16,33,720.00	1,16,33,720.00	
डीएओ, देवघर	2015-16	2401	177	23.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00	
			176	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00	
			220	31.03.2016	2,72,700.00	2,72,700.00	
			159	28.03.2016	67,040.00	67,040.00	
			178	23.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00	
			179	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00	
			221	31.03.2016	70,833.00	70,833.00	
	2016-17	2401	158	28.03.2016	32,00,000.00	32,00,000.00	
			38	11.08.2016	25,00,000.00	25,00,000.00	
			37	11.08.2016	3,00,000.00	3,00,000.00	
			2017-18	62	18.10.2017	40,00,000.00	40,00,000.00
				63	18.10.2017	2,00,000.00	2,00,000.00
डीएओ, दुमका	2004-05	2401	21	10.11.2004	12,39,700.00	67,464.00	
			49	23.12.2004	3,00,000.00	2,40,000.00	
			95	31.03.2005	2,820.00	2,820.00	
			97	31.03.2005	62,960.00	62,960.00	
	2010-11		135	31.03.2011	4,47,500.00	4,47,500.00	
	2015-16		225	31.03.2016	34,00,000.00	34,00,000.00	
			226	31.03.2023	51,00,000.00	51,00,000.00	
			227	31.03.2023	3,00,000.00	3,00,000.00	
			228	31.03.2023	4,50,000.00	4,50,000.00	
	2016-17		54	01.02.2017	35,00,000.00	35,00,000.00	
एसडीएओ, चतरा	2005-06	4401	23	31.03.2006	50,00,000.00	50,00,000.00	
	2009-10	2401	67	24.12.2009	6,01,920.00	6,01,920.00	
	2010-11		119	31.03.2011	7,80,000.00	7,80,000.00	
	2015-16		151	19.03.2016	1,05,00,000.00	18,80,913.00	
			198	31.03.2016	6,27,270.00	6,27,270.00	
			199	31.03.2016	70,833.00	70,833.00	
	2016-17		28	24.08.2016	40,00,000.00	10,42,221.00	
कुल					25,71,44,04,747.00	4,03,66,20,555.25	

परिशिष्ट 4.2
डी. सी. विपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब
(सन्दर्भ: कंडिका 4.8)

(₹ में राशि)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	दिनांक (Y-M-D)	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की अंतिम तिथि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की तिथि	विलंब (y,m,d)
1	राँची	उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	2401	290	2012-03-31	38,50,000.00	2012-09-30	2020-07-24	7y9m25d
				22	2011-06-21	1,66,00,000.00	2011-12-31	2017-03-06	5y2m6d
				272	2013-03-31	34,75,314.00	2013-09-30	2018-03-07	4y5m8d
				172	2017-03-16	1,08,18,000.00	2017-09-30	2018-03-12	0y5m13d
				181	2017-03-17	30,00,00,000.00	2017-09-30	2021-08-28	3y10m29d
				182	2017-03-27	15,00,00,000.00	2017-09-30	2021-08-26	3y10m27d
				183	2017-03-27	5,00,00,000.00	2017-09-30	2021-08-26	3y10m27d
				77	2019-10-28	3,00,00,00,000.00	2020-04-30	2022-12-13	2y7m14d
				116	2021-02-22	1,50,00,00,000.00	2021-08-31	2023-01-27	1y4m27d
				117	2021-02-22	50,00,00,000.00	2021-08-31	2023-01-27	1y4m27d
				88	2021-09-30	1,20,00,00,000.00	2022-03-31	2023-01-27	0y9m27d
				184	2022-01-29	30,00,00,000.00	2022-07-31	2023-01-27	0y5m27d
		डीएओ	2401	218	2008-03-31	22,73,000.00	2008-09-30	2009-12-14	1y2m15d
				217	2008-03-31	27,27,000.00	2008-09-30	2009-12-14	1y2m15d
				178	2013-03-31	15,15,300.00	2013-09-30	2014-07-16	0y9m17d
				195	2016-03-30	18,00,000.00	2016-09-30	2017-03-06	0y5m7d
				192	2016-03-30	2,07,81,151.00	2016-09-30	2017-10-25	1y0m26d
				128	2017-03-05	28,00,000.00	2017-09-30	2018-03-07	0y5m8d
				98	2018-02-03	74,00,000.00	2018-08-31	2019-02-12	0y5m9d
		डीएचओ	2401	211	2008-03-30	10,00,000.00	2008-09-30	2009-12-14	1y2m15d
				123	2011-03-31	15,63,000.00	2011-09-30	2014-09-16	2y11m16d
				150	2012-03-31	46,25,000.00	2012-09-30	2015-07-27	2y9m28d
		डीएससीओ	2401	43	2005-12-09	9,999.00	2006-06-30	2008-08-27	2y1m28d
				71	2004-12-20	35,88,198.00	2005-06-30	2008-08-30	3y2m0d
2402	37			2005-12-30	10,000.00	2006-06-30	2010-09-27	4y2m27d	
2401	58	2012-02-24	5,14,000.00	2012-08-31	2017-08-10	4y11m10d			
2	पलामू	डीएचओ	2401	77	2005-03-31	2,64,000.00	2005-09-30	2006-08-01	0y10m2d
				66	2005-03-31	1,67,214.00	2005-09-30	2008-08-05	2y10m6d
				83	2005-03-31	4,53,300.00	2005-09-30	2008-08-05	2y10m6d
		डीएओ	2401	55	2018-01-29	10,00,000.00	2018-07-31	2019-08-02	1y0m2d
		डीएससीओ	2401	58	2007-03-30	41,93,100.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d
				59	2007-03-30	4,65,900.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d
				60	2007-03-30	47,59,600.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d
61	2007-03-20			5,28,800.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d		
4402	48	2016-03-17	1,34,61,540.00	2016-09-30	2021-01-11	4y3m12d			
3	धनबाद	डीएओ	2401	153	2016-03-31	4,00,000.00	2016-09-30	2017-03-24	0y5m25d
				155	2016-03-28	9,00,000.00	2016-09-30	2017-07-27	0y9m28d
				54	2016-10-04	21,00,000.00	2017-01-31	2018-07-11	1y5m11d

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	दिनांक (Y-M-D)	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की अंतिम तिथि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की तिथि	विलंब (y,m,d)	
				152	2016-03-28	60,00,000.00	2016-09-30	2017-03-27	0y5m28d	
				153	2016-03-31	4,00,000.00	2016-09-30	2017-03-24	0y5m25d	
4	साहिबगंज	डीएओ	2401	95	2011-03-31	2,22,500.00	2011-09-30	2014-03-08	2y5m9d	
				96	2011-03-31	2,22,500.00	2011-09-30	2014-03-08	2y5m9d	
				122	2016-03-16	51,00,000.00	2016-09-30	2017-07-28	0y9m29d	
				123	2016-03-16	3,00,000.00	2016-09-30	2017-07-28	0y9m29d	
5	गोड्डा	डीएओ	2401	7	2016-12-26	40,00,000.00	2017-06-30	2018-01-29	0y6m30d	
				19	2016-12-26	20,00,000.00	2017-06-30	2018-01-29	0y6m30d	
				101	2018-03-03	5,00,000.00	2018-09-30	2019-11-18	1y1m18d	
				58	2018-03-03	11,56,126.00	2018-09-30	2020-01-09	1y3m10d	
		डीएचओ	2401	1	2004-12-28	1,47,500.00	2005-06-30	2008-08-07	3y1m8d	
83	2012-03-31	15,00,000.00	2012-09-30	2015-06-18	2y8m18d					
6	देवघर	डीएओ	2401	177	2011-03-30	10,000.00	2011-09-30	2014-03-05	2y5m6d	
				181	2011-03-31	10,000.00	2011-09-30	2012-09-24	0y11m24d	
				208	2012-03-31	6,30,000.00	2012-09-30	2014-03-05	1y5m6d	
				160	2012-03-31	12,50,670.00	2012-09-30	2015-06-20	2y8m20d	
		डीएचओ	2401	17	2004-10-13	25,76,000.00	2005-01-31	2008-11-01	3y9m0d	
				54	2007-03-31	2,000.00	2007-09-30	2008-08-07	0y10m8d	
				55	2007-03-31	7,000.00	2007-09-30	2009-06-11	1y8m11d	
				56	2007-03-31	10,000.00	2007-09-30	2009-02-12	1y4m10d	
		98	2012-03-31	23,75,000.00	2012-09-30	2013-10-17	1y0m18d			
		डीएससीओ	2401	80	2005-01-24	30,104.00	2005-07-31	2015-05-22	9y9m22d	
				109	2005-01-24	91,66,200.00	2005-07-31	2008-08-18	3y0m18d	
				113	2006-02-24	16,700.00	2006-08-31	2008-06-21	1y9m20d	
				126	2007-03-31	95,13,449.00	2007-09-30	2008-08-16	0y10m17d	
				125	2011-03-31	1,78,57,000.00	2011-09-30	2014-02-11	2y4m9d	
2402	61			2012-01-11	15,06,000.00	2012-07-31	2015-12-11	3y4m11d		
2401	91	2012-03-31	1,10,00,000.00	2012-09-30	2013-03-13	0y5m14d				
92	2012-03-31	2,87,00,000.00	2012-09-30	2013-03-13	0y5m14d					
7	दुमका	डीएओ	2415	44	2004-12-01	1,00,000.00	2005-06-30	2008-07-31	3y1m1d	
				2401	231	2004-11-10	1,50,000.00	2005-05-31	2008-09-08	3y3m7d
					77	2005-03-17	10,000.00	2005-09-30	2008-07-31	2y10m1d
					86	2005-03-31	9,332.00	2005-09-30	2008-07-31	2y10m1d
					84	2005-03-17	10,000.00	2005-09-30	2008-07-31	2y10m1d
					60	2006-02-17	2,50,000.00	2006-08-31	2008-07-31	1y11m0d
		डीएचओ	2401	96	2005-03-29	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				102	2005-03-31	2,500.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				104	2005-03-31	45,000.00	2005-09-30	2008-07-02	2y9m3d	
				108	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				120	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				125	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
				126	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d	
127	2005-03-31	10,000.00	2005-09-30	2009-06-12	3y8m12d					

क्र. सं.	जिला	कार्यालय का नाम	शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	दिनांक (Y-M-D)	ए. सी. राशि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की अंतिम तिथि	डी. सी. विपत्र के समर्पित करने की तिथि	विलंब (y,m,d)
				20	2005-11-17	1,26,000.00	2006-05-31	2009-06-12	3y0m11d
				21	2005-11-17	41,760.00	2006-05-31	2008-07-02	2y1m2d
				39	2006-11-14	3,29,065.00	2007-05-31	2008-06-18	1y0m17d
				40	2006-11-14	5,60,000.00	2007-05-31	2008-06-18	1y0m17d
				44	2007-01-13	3,62,270.00	2007-07-31	2008-06-18	0y10m17d
				51	2007-06-17	13,25,000.00	2007-12-31	2008-06-18	0y5m17d
				53	2007-07-04	10,00,000.00	2008-01-31	2008-06-18	0y4m17d
				54	2007-08-22	2,82,000.00	2008-02-29	2008-06-18	0y3m19d
				75	2007-03-28	3,20,000.00	2007-09-30	2008-06-18	0y8m18d
8	चतरा	एसडीएओ	2401	3	2008-01-30	6,30,000.00	2008-07-31	2015-05-05	6y9m5d
				7	2006-03-27	23,95,125.00	2006-09-30	2010-05-12	3y7m13d
				173	2006-02-17	9,42,000.00	2006-08-31	2015-08-18	8y11m18d
				165	2013-03-31	11,35,300.00	2013-09-30	2016-07-30	2y10m0d
				29	2016-08-24	20,00,000.00	2017-02-28	2018-11-03	1y8m5d
				153	2016-03-19	27,00,000.00	2016-09-30	2017-08-08	0y10m9d
कुल						7,23,50,37,517.00			

परिशिष्ट 4.3
चालान/चेक के माध्यम से निधि का प्रेषण
(सन्दर्भ: कंडिका 4.8)

(₹ करोड़ में)

कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की राशि	कोषागार में राशि का प्रेषण	चेक/चालान/ जीआरएन/दिनांक	उद्देश्य
डीएओ, पलामू	2010-11	113/31.03.11	0.03	0.03	738627/ 27.06.2012	
डीएओ, गोड्डा	2016-17	51/26.12.16	0.40	0.09	1800923516/ 15.01.18	सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना
	2017-18	179/03.03.18	0.12	0.00	1902506409/ 15.10.19	
	2017-18	172/03.03.18	0.05	0.05	1902505821/ 15.10.19	
डीएचओ, गोड्डा	2011-12	83/31.03.2012	0.15	0.15	15/02.11.2014	फल के वृक्षों का उत्पादन
डीएओ, देवघर	2012-13	160/31.03.13	0.13	0.13	93/17.06.15	बीज प्रसंस्करण के लिए भवन निर्माण
	2015-16	220/31.03.26	0.03	0.03	1700306493/ 08.09.17	कृषि मेला के अंतर्गत प्रशिक्षण/यात्रा इत्यादि
		178/23.03.26	0.05	0.05	1700599716/ 04.12.17	एनएमएसए के अंतर्गत जल प्रबंधन (राज्य)
		179/31.03.16	0.03	0.03	1700599810/ 04.12.17	एनएमएसए के अंतर्गत जल प्रबंधन (केन्द्रीय)
		221/31.03.16	0.01	0.01	1700306507/ 08.09.17	कृषि मेला के अंतर्गत प्रशिक्षण/यात्रा इत्यादि
		158/28.03.16	0.32	0.29	1700599596/ 04.12.17	झारखण्ड कृषि कार्ड योजना
डीएओ, चतरा	2012-13	165/31.03.13	0.11	0.11	729/30.07.14	
	2015-16	151/19.03.16	1.05	0.03	2318821295/ 18.08.23	
		198/31.03.16	0.06	0.06	2318821113/ 18.08.23	
		199/31.03.16	0.01	0.01	2318821215/ 18.08.23	
कुल			2.53	1.06		

परिशिष्ट 4.4
वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्र का आहरण
(सन्दर्भ: कंडिका 4.9)

(₹ में राशि)

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की तारीख	ए. सी. विपत्र की राशि	शेष राशि	
1	उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय, झारखण्ड सरकार	2011-12	2401	290	31.03.2012	38,50,000.00	0.00	
2		2012-13		237	26.03.2013	24,00,000.00	14,27,833.00	
3				272	31.03.2013	34,75,314.00	0.00	
4		2016-17		182	27.03.2017	15,00,00,000.00	0.00	
5				183	27.03.2017	5,00,00,000.00	0.00	
6				176	16.03.2017	36,06,000.00	0.00	
7				175	16.03.2017	24,04,000.00	0.00	
8				181	17.03.2017	30,00,00,000.00	0.00	
9				174	16.03.2017	2,16,36,000.00	0.00	
10				173	16.03.2017	1,44,24,000.00	0.00	
11				166	16.03.2017	72,12,000.00	0.00	
12		172		16.03.2017	1,08,18,000.00	0.00		
13		2021-22		231	24.03.2022	90,00,00,000.00	67,50,000.00	
14	उप-निदेशक, उद्यान निदेशालय	2012-13	71	06.03.2013	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00		
15	उप-निदेशक, भू-संरक्षण निदेशालय	2016-17	98	31.03.2017	17,99,85,446.00	0.00		
16			99	31.03.2017	6,00,00,000.00	0.00		
17			97	31.03.2017	35,98,20,000.00	0.00		
18	डीएओ, राँची	2007-08	2401	205	30.03.2008	14,39,000.00	0.00	
19				206	30.03.2008	15,61,000.00	0.00	
20				207	30.03.2008	7,40,000.00	0.00	
21				208	30.03.2008	7,60,000.00	0.00	
22				209	30.03.2008	36,85,800.00	26,27,000.00	
23				210	30.03.2008	4,46,42,000.00	28,73,000.00	
24				212	30.03.2008	4,03,200.00	4,03,200.00	
25				213	30.03.2008	6,46,800.00	6,46,800.00	
26				214	30.03.2008	23,57,500.00	22,19,500.00	
27				215	31.03.2008	20,24,000.00	18,76,000.00	
28				217	31.03.2008	27,27,000.00	0.00	
29				218	31.03.2008	22,73,000.00	0.00	
30				225	31.03.2008	1,05,000.00	0.00	
31				2012-13	178	31.03.2013	15,15,300.00	0.00
32				2015-16	192	30.03.2016	2,07,81,151.00	0.00
33					195	30.03.2016	18,00,000.00	0.00
34					227	31.03.2016	80,000.00	0.00
35	डीएचओ, राँची	2007-08	2401	211	2008-03-30	10,00,000.00	0.00	
36		2010-11	123	2011-03-31	15,63,000.00	0.00		
37		2011-12	150	2012-03-31	46,25,000.00	0.00		
38	डीएओ, पलामू	2010-11	2401	113	31.03.2011	2,52,500.00	2,52,500.00	
39		2015-16	2401	138	31.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00	
40			2401	137	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00	
41			2401	168	31.03.2016	6,27,270.00	6,27,270.00	
42			2401	140	31.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00	
43			2401	139	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की तारीख	ए. सी. विपत्र की राशि	शेष राशि		
44			2401	169	31.03.2016	70,833.00	70,833.00		
45	डीएचओ, पलामू	2004-05	2401	77	31.03.2005	2,64,000.00	0.00		
46				66	31.03.2005	1,67,214.00	0.00		
47				83	31.03.2005	4,53,300.00	0.00		
48				58	30.03.2007	41,93,100.00	0.00		
49	डीएससीओ, पलामू	2006-07	2401	59	30.03.2007	4,65,900.00	0.00		
50				60	30.03.2007	47,59,600.00	0.00		
51				2011-12	2402	89	31.03.2007	21,40,000.00	2,14,000.00
52				2015-16	4402	48	17.03.2016	1,34,61,540.00	0.00
53	डीएओ, धनबाद	2010-11	2401	174	31.03.2011	95,000.00	6,000.00		
54				173	31.03.2011	1,42,500.00	16,500.00		
55		2011-12		88	01.03.2012	12,08,000.00	13,000.00		
56				98	19.03.2012	5,45,000.00	5,45,000.00		
57				90	01.03.2012	14,000.00	14,000.00		
58				89	19.03.2012	4,55,000.00	4,55,000.00		
59		2012-13		162	31.03.2013	15,15,300.00	15,15,300.00		
60		2015-16		152	28.03.2016	60,00,000.00	0.00		
61				153	31.03.2016	40,00,000.00	0.00		
62				154	31.03.2016	5,89,695.00	17,478.00		
63				155	28.03.2016	9,00,000.00	0.00		
64				190	31.03.2016	70,833.00	70,833.00		
65				191	31.03.2016	6,27,270.00	1,34,864.00		
66		डीएचओ, धनबाद		2009-10	2401	175	08.03.2010	49,750.00	49,750.00
67	डीएओ, साहिबगंज	2010-11	2401	95	31.03.2011	2,22,500.00	0.00		
68				96	31.03.2011	2,22,500.00	0.00		
69		2015-16		122	16.03.2016	51,00,000.00	0.00		
70				123	16.03.2016	3,00,000.00	0.00		
71	डीएओ, गोड्डा	2017-18	2401	58	03.03.2018	11,56,126.00	0.00		
72				101	03.03.2018	5,00,000.00	0.00		
73	डीएचओ, गोड्डा	2011-12	2401	83	31.03.2012	15,00,000.00	0.00		
74	डीएओ, देवघर	2010-11	2401	177	30.03.2011	10,000.00	0.00		
75				181	31.03.2011	10,000.00	0.00		
76		2011-12		208	31.03.2012	6,30,000.00	0.00		
77		2012-13		160	31.03.2013	12,65,670.00	0.00		
78		2015-16		177	23.03.2016	20,00,000.00	20,00,000.00		
79				176	31.03.2016	30,00,000.00	30,00,000.00		
80				220	31.03.2016	2,72,700.00	2,72,700.00		
81				159	28.03.2016	67,040.00	67,040.00		
82				178	23.03.2016	4,50,000.00	4,50,000.00		
83				179	31.03.2016	3,00,000.00	3,00,000.00		
84		221		31.03.2016	70,833.00	70,833.00			
85		158		28.03.2016	32,00,000.00	32,00,000.00			
86	डीएससीओ, देवघर	2006-07	2401	126	31.03.2007	95,13,449.00	0.00		
87		2010-11		125	31.03.2011	1,78,57,000.00	0.00		
88		2011-12		91	31.03.2012	1,10,00,000.00	0.00		
89				92	31.03.2012	2,87,00,000.00	0.00		

क्र. सं.	कार्यालय	वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	ए. सी. विपत्र संख्या	ए. सी. विपत्र की तारीख	ए. सी. विपत्र की राशि	शेष राशि	
90	डीएओ, दुमका	2004-05	2401	77	17.03.2005	10,000.00	0.00	
91				86	31.03.2005	9,332.00	0.00	
92				95	31.03.2005	2,820.00	2,820.00	
93				97	31.03.2005	62,960.00	62,960.00	
94		2010-11		135	31.03.2011	4,47,500.00	4,47,500.00	
95		2015-16		225	31.03.2016	34,00,000.00	34,00,000	
96				226	31.03.2023	51,00,000.00	51,00,000	
97				227	31.03.2023	3,00,000.00	3,00,000	
98				228	31.03.2023	4,50,000.00	4,50,000	
99	डीएचओ, दुमका	2004-05	2401	96	29.03.2005	10,000.00	0.00	
100				102	31.03.2005	2,500.00	0.00	
101				104	31.03.2005	45,000.00	0.00	
102				108	31.03.2005	10,000.00	0.00	
103				120	31.03.2005	10,000.00	0.00	
104				125	31.03.2005	10,000.00	0.00	
105				126	31.03.2005	10,000.00	0.00	
106				127	31.03.2005	10,000.00	0.00	
107				2006-07	75	28.03.2007	3,20,000.00	0.00
108				2010-11	93	28.03.2011	22,97,000.00	290522
109		2011-12		89	31.03.2012	7,50,000.00	0.00	
110	एसडीएओ, चतरा	2005-06	23	31.03.2006	50,00,000.00	50,00,000.00		
111		07	27.03.2006	23,95,125.00	0.00			
112		2010-11	119	31.03.2011	7,80,000.00	7,80,000.00		
113		2012-13	165	31.03.2013	11,35,300.00	0.00		
114		2015-16	151	19.03.2016	1,05,00,000.00	18,80,913.00		
115			153	19.03.2016	27,00,000.00	0.00		
116			198	31.03.2016	62,7,270.00	6,27,270.00		
117	199	31.03.2016	70,833.00	70,833.00				
कुल						2,39,63,63,304.00	11,63,49,052.00	

परिशिष्ट 4.5

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची (संदर्भ: कंडिका 4.18)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2012-13
13.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूंटी	2015-16
14.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21.	स्वास्थ्य	जेएसएचएमआरएस, नामकुम	राँची	2015-16
22.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26.	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2022-23
27.	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2020-21
28.	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	फरवरी 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
29.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	फरवरी 2017 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
41.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूंटी	2016-17
53.	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54.	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन (जैप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57.	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58.	आई.टी. एवं ई- गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59.	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2021-22
60.	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2022-23
61.	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2021-22
62.	वन	लाह ट्रीटमेंट प्लांट, लातेहार	लातेहार	2008-09
63.	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड	राँची	जुलाई 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
64.	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	जुलाई 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
65.	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाह की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66.	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
67.	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
68.	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य हिन्दु धार्मिक ट्रस्ट परिषद	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
69.	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2021-22
70.	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2019-20
71.	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
72.	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
73.	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्टलैण्ड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
74.	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
75.	सूचना एवं जन संपर्क	सरकारी प्रेस	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
76.	शिक्षा	निदेशक, आर.के मिशन आश्रम, मोरावादी	राँची	2007-08
77.	वन	झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क)	राँची	2022-23

स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 5.1

सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची, जिनके पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में से किसी एक के खाते 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए हैं
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पंजीकरण/निगमन की तिथि	तक का खाता तैयार किया गया	तक लेखापरीक्षा पूरा हुआ
विद्युत (क्रियाशील)				
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	23.10.2013	2021-22	2021-22
2	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	23.10.2013	2020-21	2020-21
3	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	23.10.2013	2021-22	2021-22
विद्युत (अक्रियाशील)				
4	झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)	18.06.2009	2021-22	2021-22
5	पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल)	26.10.2012	2021-22	2021-22
6	कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल)	19.09.2008	2021-22	2021-22
गैर-विद्युत (क्रियाशील)				
1	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	13.03.2002	2021-22	2021-22
2	ग्रेटर राँची विकास एजेंसी	10.01.2003	2021-22	2021-22
3	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	15.12.2004	2021-22	2021-22
4	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	23.08.2006	2021-22	2021-22
5	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	19.11.2013	2021-22	2021-22
6	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	27.09.2016	2021-22	2021-22
7	झारखण्ड रेलवे आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	06.07.2018	2021-22	2021-22
8	झारखण्ड मेडिकल एवं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट विकास निगम लिमिटेड	24.05.2013	2020-21	2020-21
9	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	05.12.2015	2021-22	2021-22
10	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	30.09.2016	2021-22	2020-21

* 2020-21 से लेखापरीक्षा के लिए सुपुर्द किया गया

परिशिष्ट 5.2

कार्यात्मक पीएसयू जिनके खातों में तीन वर्ष से अधिक का बकाया है/पहले खाते प्राप्त नहीं हुए हैं/देय नहीं हैं (संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	पंजीकरण/ निगमन की तिथि	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों की अवधि
सरकारी कंपनियाँ			
विद्युत			
1	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	16.09.2013	2017-18
2	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	26.11.1987	2015-16
गैर-विद्युत			
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	22.03.2002	2009-10
4	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.03.2012	2019-20
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	07.05.2002	2017-18
6	झारखण्ड राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	26.11.2010	2015-16
7	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	22.03.2002	2016-17
8	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	27.03.2002	2018-19
9	झारखण्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड	28.01.2017	2018-19
10	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	20.09.2016	2017-18
11	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	20.01.2016	2019-20
12	झारखण्ड फिल्म विकास निगम लिमिटेड	07.09.2016	2019-20
13	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड	17.11.2016	2018-19
14	झारखण्ड राज्य खादय एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड*	18.06.2010	निगमन के बाद से लंबित है
15	अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब*	26.12.2018	
16	झारखण्ड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग निगम लिमिटेड*	27.01.2022	

* पीएसई जिन्होंने अपने पहले खाते प्रस्तुत/अंतिम रूप नहीं दिए हैं।

परिशिष्ट 5.3
राज्य सरकार के निवेश का निवल वर्तमान मूल्य
(संदर्भ: कंडिका 5.8.3)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी प्रदान की गई	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निशुल्क ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल कमाई	आरओआरआर (प्रतिशत में)
i	ii	iii	iv	v(iii+iv)	vi	vii(ii+v)	viii{vii*(1+vi)/100}	ix[{vii*vi}/100]	x	xi(x*100/viii)
2018-19 तक इक्विटी निवेश	6,097.41	4,379.14	0.00	4,379.14	7.98	6,114.49	6,602.42	487.94	-941.56	-14.26
2019-20	6,602.42	0.00	0.00	0.00	6.34	6,602.42	7,021.02	418.59	-1,608.46	-22.91
2020-21	7,021.02	643.00	0.00	643.00	6.13	7,664.02	8,133.82	469.80	-2,690.70	-33.08
2021-22	8,133.82	96.90	0.00	96.90	5.76	8,230.72	8,704.81	474.09	-2,544.15	-29.23
2022-23	8,704.81	0.00	0.00	0.00	5.50	8,704.81	9,183.58	478.76	0.00	0.00
कुल		5,119.04	0.00	5,119.04					-7,784.87	

स्रोत: 30 सितम्बर 2023 तक एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते और एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2]*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति घाटा सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्ति से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्ति के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्रहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi>